

VISIONIAS

www.visionias.in

समसामयिकी

अक्टूबर - 2017

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS

विषय सूची

1	. राजव्यवस्था और संविधान	6
	1.1. हेट स्पीच पर केन्द्रीय पैनल की अनुशंसाएँ	6
	1.2. राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र	7
	1.3 MPLAD निधि का न्यून उपयोग	8
	1.4. राजस्थान का लोक सेवक संरक्षण विधेयक	9
	1.5. न्यायाधिकरणों पर लॉ पैनल	10
	1.6. उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की कार्यवाही पब्लिक डोमेन में	12
	1.7. ई-समीक्षा	13
	1.8. सार्वजनिक वित्त प्रबन्धन प्रणाली	
	1.9. विधि आयोग द्वारा यातना निरोधक कानून का प्रस्ताव	14
	1.10. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016	16
2	अंतर्राष्ट्रीय संबंध	17
	2.1. भारत-यूरोपियन यूनियन	17
	2.1.1. भारत-इटली	18
	2.2. चाबहार बंदरगाह	
	2.3. भारत-अफ्रीका	
	2.4. ईरान परमाणु समझौता	20
	2.5. कैटालोनिया की स्वतंत्रता के लिए जनमत संग्रह	21
	2.6. कुर्दिश स्वतंत्रता के लिए जनमत संग्रह	21
	2.7. अमेरिका ने यूनेस्को की सदस्यता छोड़ी	22
	2.8. फिलिस्तीन इंटरपोल का सदस्य बना	23
3	अर्थव्यवस्था	24
	3.1. बैंकिंग क्षेत्र के लिए पुनर्पूंजीकरण की योजना	24
	3.2. ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस : वर्ल्ड बैंक	25
	3.3. इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी	26
	3.4. प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद	26
	3.5. कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सेबी पैनल	28
	3.6. स्टेट ऑफ़ कमोडिटी डिपेंडेंसी 2016: UNCTAD	29

	3.7. खाद्य तेल आयात	30
	3.8. सिल्क उत्पादन को प्रोत्साहन	31
	3.9. दूरसंचार क्षेत्र	33
	3.10. भारतमाला परियोजना	35
	3.11. भारत में जल विद्युत् उत्पादन : चुनौतियाँ और संभावनाएं	36
	3.12. रो-रो फेरी सेवा की शुरूआत	37
	3.13. संकल्प और स्ट्राइव योजनाएँ: स्किल इंडिया मिशन	38
	3.14. सम्पूर्ण बीमा ग्राम योजना	38
	3.15. बाजार अवसंरचना संस्थानों पर समिति का गठन	39
	3.16. भारत नेट प्रोजेक्ट	39
	3.17. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में स्वर्ण में ऑप्शन ट्रेडिंग	
	3.18. चिकित्सा उपकरणों के अधिकतम कीमतों का निर्धारण	41
	3.19. बैंक की उधारी दरों को बाह्य बेंचमार्क से जोड़ना	42
	3.20 पीयर-टू-पीयर (P2P) लेंडिंग	43
	3.21. औद्योगिक आवंटन के लिए भूमि बैंक	44
	3.22. प्रोजेक्ट चमन	45
	3.23. अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार	46
	3.24. अबू धाबी द्वारा NIIF के मास्टर फंड में निवेश	46
	3.25. स्टार्ट-अप संगम पहल	
	3.26. साथी योजना	47
4	. सुरक्षा	49
	4.1. शहरी आतंकवाद	49
	4.2. व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली	50
	4.3. CCTNS के अंतर्गत डिजिटल पुलिस पोर्टल	51
	4.4. म्यांमार के साथ मुक्त आवागमन व्यवस्था	52
	4.5. स्पेस, साइबर और स्पेशल ऑपरेशन कमांड का निर्माण	53
	4.6. एकीकृत चेक पोस्ट	54
	4.7. INS किल्तान	
5	. पर्यावरण	56
	5.1. कीटनाशक विषाक्तता	56

5.2. भारत में आपदा-संबंधित विस्थापन	57
5.3. प्रदूषण के कारण होने वाली मृत्यु	58
5.4. PAT योजना के परिणाम	59
5.5. वायुमण्डल में CO2 सांद्रता में उच्च वृद्धिः UN	60
5.6. अवैध रेत खनन	61
5.7. उद्योगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले भूजल के संबंध में दिशा-निर्देश	62
5.8. वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण	
5.9. राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना तथा सिक्योर हिमालय	
5.9.1. 2017-2031 के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना (NWAP)	
5.9.2 सिक्योर हिमालय	
5.10. पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल प्रबंधन समिति की स्थापना	65
5.11. अरब सागर का तेज़ी से बढ़ता तापमान	
5.12. भारत में विद्युत संयंत्रों के लिए उत्सर्जन मानक	67
5.13. इलाहाबाद में कछुआ अभयारण्य	67
5.14. इचथियोसर के जीवाश्म की खोज	68
6. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी	69
6.1. रसायन विज्ञान में नोबेल	69
6.2. भौतिकी में नोबेल पुरस्कार	69
6.3. चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार	70
6.4. जीन थेरेपी को USFDA की स्वीकृति	71
6.5. भ्रूण प्रत्यारोपण प्रौद्योगिकी	72
7. समाज	
7.1. भारत में कुपोषण का दोहरा बोझ	73
7.1.1. बच्चों में मोटापे की समस्या	
7.2. थेरप्यूटिक फूड	75
7.3. एक मिलियन बच्चों को बचाया गया	77
7.4 ग्लोबल हंगर इंडेक्स	78
7.5 सार्वजनिक स्वास्थ्य कैडर	80
7.6 अस्पतालों के प्रदर्शन का आकलन करने वाला सूचकांक	81
7.7. निष्क्रिय इच्छा-मृत्यु	82

7.8. नाबालिग पत्नी से शारीरिक सम्बन्ध बनाना बलात्कार की श्रेणी में शामिल	83
7.9. लिंगानुपात में वृद्धि: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP)	85
7.10 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का मूल्यांकन	86
7.11. ECHO क्लीनिक	86
8. संस्कृति	88
8.1 पाइका विद्रोह	88
8.2 वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड ने 25 जोखिमपूर्ण सांस्कृतिक स्थल नामित किए	88
8.3 'धरोहर गोद लें' योजना	89
8.4 इंटरनेशनल डायलॉग ऑन सिविलाइज़ेशन	90
9. नीतिशास्त्र	92
9.1. नैतिकता के दृष्टिकोण से मृत्यु दंड	92
10. विविध	93
10.1. मीनाक्षी मंदिर को 'क्लीनेस्ट आईकॉनिक प्लेस'(सबसे स्वच्छ प्रसिद्ध स्थल) का टैग मिला	93
10.2. पर्यटन पर्व	93
10.3. साहित्य का नोबेल पुरस्कार: काजुओ इशिगुरो	93
10.4. ICAN को नोबेल शांति पुरस्कार, 2017 दिया गया	94
10.5. जलवायु परिवर्तन नीति	94
10.6. वैल्यू इंजीनियरिंग प्रोग्राम	94
10.7 डेलामैनिड- टीबी की नई औषधि	95

1. राजव्यवस्था और संविधान

(POLITY AND CONSTITUTION)

1.1 हेट स्पीच पर केन्द्रीय पैनल की अनुशंसाएँ

(Centre Panel Recommendations on Hate Speech)

सर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार द्वारा गठित **टी.के.विश्वनाथन समिति** ने हेट स्पीच (द्वेषपूर्ण भाषण) के सन्दर्भ में कठोर प्रावधान बनाने की अनुशंसा की है। **पृष्ठभूमि**

- उच्चतम न्यायालय ने हेट स्पीच के मुद्दे पर गहन विचार-विमर्श की आवश्यकता का अनुभव किया। इस सन्दर्भ में विधि आयोग ने हेट स्पीच पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- विश्वनाथन समिति का गठन ऐसे साइबर अपराधों से बेहतर ढंग से निपटने हेतु एक कानूनी तंत्र की स्थापना करने के लिए किया गया जो हेट स्पीच तथा हिंसा को बढ़ावा देते हैं। समिति को हेट स्पीच पर विधि आयोग की रिपोर्ट की जांच करने का कार्य भी सौंपा गया था।

हेट स्पीच

- उच्चतम न्यायालय ने यह पाया कि "हेट स्पीच व्यक्तियों को, किसी समूह विशेष की सदस्यता के आधार पर हाशिए पर पहुँचाने का प्रयास है। हेट स्पीच उस समूह के सदस्यों को बहुसंख्यकों के समक्ष अमान्यता प्रदान करके समाज के अंदर उनकी सामाजिक स्थिति एवं स्वीकृति को कम कर देती है। इस प्रकार प्रारम्भ में यह किसी विशिष्ट समूह के सदस्यों का उत्पीड़न करती है, परन्तु यही कालांतर में उन सुभेद्य समूहों पर व्यापक हमलों के लिए आधार तैयार करती है।
- विधि आयोग की 267वीं रिपोर्ट के अनुसार, "हेट स्पीच से आशय सामान्यतः मूलवंश, नृजातीयता, लिंग, यौन उन्मुखता (sexual orientation) तथा धार्मिक विश्वास के आधार पर परिभाषित किए गए व्यक्तियों के किसी समूह के विरुद्ध घृणा की भावना को बढ़ावा देने से है। इस प्रकार, हेट स्पीच किसी व्यक्ति को लिखित या मौखिक शब्द, संकेत अथवा उसकी श्रवण सीमा अथवा दृश्य सीमा के अंतर्गत होने वाली दृश्य प्रस्तृति के माध्यम से भयभीत करने या चेतावनी देने अथवा हिंसा के लिए उकसाने से सम्बंधित है।
- मानवाधिकार परिषद की 'विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रचार और संरक्षण पर विशेष प्रतिवेदक की रिपोर्ट'(Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression) में व्यक्त किया गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को निम्नलिखित आधारों पर प्रतिबंधित किया जा सकता है:
 - चाइल्ड पोर्नोग्राफी (बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु)।
 - हेट स्पीच (प्रभावित समदायों के अधिकारों की रक्षा हेत्)।
 - मानहानि (अनुचित हमलों के विरुद्ध दूसरों के अधिकारों और प्रतिष्ठा की रक्षा हेतु)।
 - o जनसंहार करने के लिए निर्देश देना और जन उत्तेजना फैलाना (दूसरों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु)।
 - o भेदभाव, शत्रुता या हिंसा को बढ़ावा देने वाली राष्ट्रीय, नस्लीय या धार्मिक घृणा का समर्थन करना (दूसरों के अधिकारों की रक्षा हेत जैसे कि जीवन का अधिकार)

भारत में इससे संबंधित कानून

- संविधान का अनुच्छेद 19 भारत के सभी नागरिकों को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है। हालांकि, यह अधिकार भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार अथवा नैतिकता या न्यायालय की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाने के आधार पर युक्तियुक्त प्रतिबंधों के अधीन है। भारतीय दंड संहिता (IPC) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने हेतु निम्नलिखित प्रावधान किये गए हैं:
- **धारा 153 (a):** यदि कोई व्यक्ति धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शब्दों, संकेतों या अन्य माध्यमों से वैमनस्य को बढ़ावा देता है, तो उसे तीन वर्ष का कारावास या अर्थ दंड अथवा दोनों से दण्डित किया जायेगा।
- धारा 295 (a): यदि कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी वर्ग के नागरिकों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से शब्दों, दृश्य प्रतिरूपण या अन्य माध्यमों से उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करता है तो उसे दंडित किया जाएगा।

इन परिवर्तनों की आवश्यकता क्यों है?

- जहां ऐसे भाषण के कारण गिरमा को ठेस पहुँचती है, वहीं यह "अव्यक्त आश्वासन" भी कमजोर होता है कि किसी लोकतंत्र में नागरिकों, विशेषकर अल्पसंख्यक या सुभेद्य समूहों के नागरिकों को बहुसंख्यकों के समान स्तर पर ही रखा जाता है।
- साथ ही सुदृढ़ साइबर कानून तंत्र के अभाव में, बड़े पैमाने पर महिलाओं को अनेक प्रकार की अभद्रता एवं अन्य अपमानों तथा हेट स्पीच का निशाना बनाया जा रहा है।

समिति द्वारा किए गए अवलोकन

- सिमिति का मत है कि मूलभूत प्रावधानों को IT अधिनियम की अपेक्षा IPC में सिम्मिलित करना अधिक प्रभावी है, क्योंकि IT अधिनियम मुख्यतः ई-कॉमर्स विनियमन से संबंधित है।
- IT अधिनियम की धारा 78 मुख्य रूप से 'क्षमता निर्माण से संबंधित' है। अतः अधिकारियों को संवेदनशील बनाने तथा उन्हें इलेक्ट्रॉनिक विशेषज्ञता, कंप्यूटर-फोरेंसिक और डिजिटल फोरेंसिक से सम्बंधित सहायता प्रदान करने के लिए इसकी पुनर्समीक्षा की आवश्यकता है।
- इसने प्रत्येक राज्य में स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेटर (धारा 25B) और एक डिस्ट्रिक्ट साइबर क्राइम सेल (धारा 25C) की स्थापना करने के लिए CrPC में संशोधन करने की अनुशंसा की है।
- हेट स्पीच का आशय "किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के विरुद्ध अत्यधिक अपमानजनक, निन्दात्मक या भड़काऊ भाषण" से होना चाहिए जो "चोट पहुँचाने के भय या चेतावनी देने के उद्देश्य" से किया गया हो।
- सिमिति ने यह भी सुझाव दिया है कि जांच एजेंसियों द्वारा प्रावधानों के दुरुपयोग को प्रतिबंधित करने और सोशल मीडिया के अबोध उपयोगकर्ताओं की रक्षा के लिए दिशा-निर्देशों की आवश्यकता है।
- कई अनुशंसाएँ विधि आयोग की रिपोर्ट से ली गयीं, जो इस प्रकार हैं:
 - धर्म, जाति, समुदाय, लिंग, यौन उन्मुखता, जनजाति, भाषा, जन्म स्थान आदि के आधार पर ऑनलाइन अभिव्यक्तियों के
 माध्यम से घृणा को प्रोत्साहित करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए धारा 153C को अंतःस्थापित किया जाना चाहिए।
 - विधि आयोग द्वारा पहचान के आधार पर चेतावनी, भय, हिंसा के लिए उकसाने आदि को प्रतिबंधित करने के लिए धारा 505A
 को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया था।
 - o यह स्पष्ट किया गया कि **अभिप्राय की आवश्यकता (need for intent)** को स्थापित किया जाना चाहिए।

समिति की अनुशंसाओं से संबंधित चिंताएँ-

- विधि आयोग किसी भाषण को हेट स्पीच घोषित करने के लिए भाषण के लेखक की स्थिति, भाषण से पीड़ित लोगों की स्थिति तथा भाषण के संभावित प्रभावों की पहचान करता है। हालांकि, सिमिति की रिपोर्ट में इन चिंताओं को स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं किया गया है।
- इसके अलावा, रिपोर्ट के द्वारा **अत्यंत व्यापक शब्दों** जैसे अत्यधिक अपमानजनक, अभद्रता, अपमान, उत्तेजक, झूठी एवं अत्यंत आक्रामक सूचना इत्यादि का प्रयोग किया गया है जो हमें पुनः धारा 66A में विद्यमान अस्पष्टता की स्थिति में ले जाती है।

1.2 राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र

(Inner Party Democracy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधानमंत्री ने देश में राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की आवश्यकता के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किए।

दलों में आंतरिक लोकतंत्र के बारे में

- राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र से आशय दलों की संरचना के अंतर्गत निर्णय लेने और विचार-विमर्श करने में दल के सदस्यों को शामिल करने के स्तर और प्रणाली से है।
- स्वतंत्रता के बाद से, संगठनात्मक मामलों में प्राधिकारिता अधिकतर उच्च से निम्न स्तर के रूप में व्यवस्थित है। इस प्रकार, भारत में अधिकतर राजनीतिक दलों में नेतृत्व दिखने में तो लोकतांत्रिक हो सकता है लेकिन वास्तविकता में यह अत्यधिक कुलीन तंत्र आधारित है।

• कुछ देशों जैसे जर्मनी और पुर्तगाल के विपरीत भारत में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) की धारा 29A में कुछ संबंधित प्रावधानों और निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अतिरिक्त राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र को लागू करने से सम्बंधित कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।

इससे संबंधित प्रगति

- निर्वाचन कानूनों में सुधार पर **भारतीय विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट** (1999) "दलों में आंतरिक लोकतंत्र से संबंधित कानून प्रदान करने की आवश्यकता" पर केंद्रित थी।
- ARC की 2008 की एथिक्स एंड गवर्नेंस रिपोर्ट में अत्यधिक केंद्रीकरण के कारण भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा की गयी थी।
- भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता वाली एक सिमिति ने राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली को विनियमित करने के लिए एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया था।

दलों में आंतरिक लोकतंत्र के पक्ष में तर्क

- यह नेताओं को जवाबदेह बनाने और नीति निर्णय प्रक्रियाओं में सार्थक ढंग से शामिल करने में दल के सदस्यों की सहायता करेगा,
 क्योंकि इससे दल के अंदर प्रतियोगिता, भागीदारी और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिलता है।
- इससे **भाई-भतीजावाद और वंशवादी राजनीति** (पारिवारिक पृष्ठभूमि, जाति, धर्म आदि पर आधारित संबद्धता) का उन्मूलन करना संभव हो सकता है।
- यह दल के अंदर असहमित को उचित स्थान देगा जिससे राजनीतिक दलों के भीतर विभिन्न धड़ों के गठन की संभावना कम हो जाएगी।
- यह दल के कोष के रखरखाव में पारदर्शिता को बढ़ावा दे सकता है, जिससे धन और बल के प्रभाव में कमी आएगी।
- चूँिक नीतिगत निर्णयों में पार्टी के भीतर विचार-विमर्श और बहस शामिल हो सकेगी, अतः यह देश के समक्ष बड़े मुद्दों में स्थानीय राजनेताओं के भीतर स्वामित्व की भावना उत्पन्न कर सकता है।

दलों में आंतरिक लोकतंत्र के विरुद्ध कुछ मत-

- यह राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक कलह को बढ़ाकर दलीय संगठनों की दक्षता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है।
- यह माना जाता है कि राजनीतिक दलों को अपनी आंतरिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को शासित करने की अनुमित दी जानी चाहिए। उनके कामकाज में किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप बहुदलीय प्रतियोगिता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है।

आगे की राह

- वस्तुतः एक ऐसे व्यापक कानून की आवश्यकता है जो विशेष रूप से दलों में आंतरिक लोकतंत्र के ढाँचे और प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान केंद्रित करता हो।
- दलों द्वारा गैर-अनुपालन के विरुद्ध कुछ दंडनीय प्रावधानों के माध्यम से मौजूदा आंतरिक लोकतंत्र के उपायों के बेहतर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए ECI को सक्षम बनाया जाना चाहिए।
- एक बाहरी संगठन द्वारा आंतरिक चुनावों को मान्यता देना उन्हें अधिक वैधता प्रदान करेगा तथा दल के सदस्यगण भी प्रतिकूल परिणाम स्वीकार करने के प्रति अधिक सहज होंगे।
- दल-बदल कानून में संशोधन किया जाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में यह किसी विधायिका के निर्वाचित सदस्यों को उनके दल के आदेश के विरुद्ध मतदान करने से रोकता है। यह भारतीय लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व और असहमति की बुनियादी विशेषताओं के विरुद्ध है।

1.3 MPLAD निधि का न्यून उपयोग

(Underutilization of MPLAD Funds)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में, केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने MPLADS निधि के सन्दर्भ में अनुशंसाएँ दी हैं।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLAD) के बारे में

- MPLAD योजना का प्रारंभ 1993 में किया गया था।
- इसका क्रियान्वयन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा किया जाता है।
- यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। इसके अंतर्गत प्रत्येक सांसद जिला प्रशासन (DA) को 5 करोड़ रूपए प्रति वर्ष तक का विकास कार्य करने हेतु सुझाव दे सकता है। यह व्यपगत नहीं होता तथा इस धनराशि का उसके निर्वाचन क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है।
- इसके अतिरिक्त, कुल राशि के 15% और 7.5% राशि का उपयोग क्रमशः SC और ST जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए किया जाएगा।

- क्षेत्र में अपर्याप्त जनजातीय जनसंख्या होने की स्थिति में, सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर स्थित आदिवासी क्षेत्रों में सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण के लिए इस राशि के उपयोग की सिफारिश कर सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि वह क्षेत्र उसी राज्य में हो जहाँ से वह चुना गया है।
- सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् अनुशंसाओं की प्राप्ति की तिथि से 75 दिनों के भीतर सभी अनुशंसित कार्यो को मंजूरी दी जानी चाहिए।
- DA प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र (Utilization Certificate) प्रस्तुत करेगा।

MPLADS से संबंधित समस्याएं

विभिन्न समितियों और आयोगों जैसे वित्त संबंधी स्थायी समिति (1998), द्वितीय ARC और राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग आदि ने MPLADS से संबंधित समस्याओं को उजागर किया है। जैसे:

- भ्रष्टाचार और दुरुपयोग से सम्बंधित मुद्दे- अनेक मामलों में, निजी ठेकेदार (जिन्हें अनुमित नहीं है) कार्य में संलग्न हैं। इसके अलावा, ऐसे भी उदाहरण सामने आए हैं जहाँ योजना में निषिद्ध कार्यों पर व्यय किया गया है।
- वित्तपोषण संबंधी मुद्दा वर्षों से निधियों के न्यून उपयोग तथा कुछ विशेष क्षेत्रकों के प्रति व्यय में पक्षपात के कारण अत्यधिक मात्रा में बिना व्यय की गई राशि शेष रह जाती है।
- निगरानी संबंधी मुद्दे- DA, स्वीकृत कार्यों की आवश्यक संख्या का निरीक्षण करने के साथ-साथ नियमित रूप से निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहा है।
- शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर प्रभाव- सांसदों को विकास कार्य का कार्यान्वयन सौंपा गया है, जो मुख्य रूप से कार्यपालिका का कार्य है। हालांकि, 2010 में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि वास्तविक कार्य को कार्यकारी अंगों जैसे नगरपालिका और पंचायत के द्वारा किया जाएगा।
- जन भागीदारी का अभाव- लोगों की भागीदारी के अभाव के कारण सांसदों के पास सूचना की कमी रहती है, जिससे निधि का वितरण क्षेत्र की आवश्यकता को आधार बनाये बिना असंगत तरीके से किया जाता है।

CIC की अनुशंसाएँ

- प्रत्येक सांसद द्वारा अपनी MPLAD निधि का "100 प्रतिशत उचित उपयोग" सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- दलों को स्वेच्छापूर्वक लोक सूचना अधिकारी (PIO) और प्रथम अपीलीय प्राधिकरण (FAA) की नियुक्ति करनी चाहिए ताकि MPLADs से संबंधित प्रश्नों, धन के उपयोग और गैर-उपयोग तथा कार्यों की सिफारिश के लिए मानदंड से संबंधित प्रश्नों का शीघ्रातिशीघ्र जवाब दिया जा सके।
- प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने आय के स्रोतों के संबंध में वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ावा देना चाहिए।

अन्य किए जा सकने योग्य उपाय

- निर्वाचन क्षेत्र की आवश्यकताओं का बेहतर मूल्यांकन करने के लिए NGO's तथा स्थानीय समुदायों की सहायता से पूरे निर्वाचन क्षेत्र में सर्वेक्षण किया जा सकता है।
- स्थानीय समुदाय को सार्वजनिक संपत्ति के रख-रखाव में शामिल किया जाना चाहिए।
- बेहतर समझ के लिए प्रत्येक वर्ष निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया जाना चाहिए।
- वर्षों से न व्यय की जा पा रही राशि का संचयन हो रहा है। इस मुद्दे से निपटने के लिए निधि को व्यपगत किया जा सकता है। इस प्रकार अप्रयुक्त राशि को अन्य उपयोगों के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है।
- MPLADS को जिला स्तर के योजनाबद्ध विकास के व्यापक संदर्भ में स्थापित करने का समय आ गया है, जिसके लिए एक अधिक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

1.4. राजस्थान का लोक सेवक संरक्षण विधेयक

(Rajashtan's Bill to Shield Public Servants)

सर्खियों में क्यों?

हाल ही में राजस्थान सरकार ने लोक सेवकों, न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों को अग्रिम स्वीकृति के बिना जांच से उन्मुक्ति प्रदान करने वाला एक आपराधिक कानून (राजस्थान संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया।

CrPC-

धारा 156 पुलिस अधिकारियों द्वारा संज्ञेय मामलों की जांच की शक्ति से संबंधित है।

धारा 190 मजिस्ट्रेट द्वारा किये गए अपराधों के संज्ञान से संबंधित है।

धारा 197 न्यायाधीशों और लोक सेवकों के अभियोजन से संबंधित है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह विधेयक आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 156 और 190 में संशोधन प्रस्तावित करता है। साथ ही यह CrPC, 1973 की धारा 197 के अंतर्गत पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना "आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में" किए गए कृत्यों के लिए सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जांच या जांच के आदेश देने से मजिस्ट्रेटों को रोकता है।
- इसमें प्रावधान है कि स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी निर्णय लेने में छह माह तक का समय ले सकता है। इससे अधिक समय होने की स्थिति में इसे स्वीकृत माना जाएगा।
- यह विधेयक मीडिया को भी, तब तक के लिए ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध आरोपों अथवा दोषारोपण से संबंधित कोई सूचना साझा करने से प्रतिबंधित करता है, जब तक कि स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी इसकी अनुमित प्रदान नहीं करता है। यह मीडिया की स्वतंत्रता और जनता के जानने के अधिकार के लिए एक गंभीर खतरा है।

पूर्व स्वीकृति की अवधारणा से संबंधित विवाद

सामान्यतः पूर्व स्वीकृति की अवधारणा का उद्देश्य लोक सेवकों को उनकी सार्वजनिक कार्रवाई के लिए कानूनी उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करना है। हालाँकि इस सन्दर्भ में मुद्दा यह है कि पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता जांच शुरू करने से पूर्व होनी चाहिए अथवा न्यायालय में अभियोजन से पूर्व।

- सरकार का दृष्टिकोण- पूर्व स्वीकृति ईमानदार अधिकारियों के निहित स्वार्थों के आधार पर आरोपित किये गए ओछे आरोपों से रक्षा करेगी और इस प्रकार, नीतिगत जड़ता की स्थिति से बचाएगी।
- **उच्चतम न्यायालय का दृष्टिकोण** पूर्व स्वीकृति के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय का दृष्टिकोण विवादास्पद रहा है -
 - M.K.अयप्पा वाद, 2013 और नारायण स्वामी वाद, 2016 में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि CrPC की धारा
 156(3) के तहत किसी भी पूर्व स्वीकृति के बिना जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता।
 - जबिक कुछ अन्य मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा इसके विपरीत विचार व्यक्त किया गया और कहा गया कि जांच के लिए पूर्व स्वीकृति एक निष्पक्ष और कुशल जांच में बाधक हो सकती है।
- वर्तमान कानूनी स्थिति- वर्तमान में न्यायालयों में अभियोजन से पूर्व CrPC के तहत पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 19 के तहत लोक सेवकों के अपराध जैसे कि रिश्वत लेना या आपराधिक कदाचार में संलिप्तता के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए भी पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है।
- इसी तरह के अन्य विधान इससे पूर्व 'महाराष्ट्र विधान' में भी जांच से पूर्व स्वीकृति को सम्मिलित किया गया था, किन्तु उस मामले में स्वीकृति 3 माह के भीतर दी जानी थी। इसमें अभियुक्त लोक अधिकारियों के नामों के प्रकाशन को प्रतिबंधित नहीं किया गया था। आगे की राह
- दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम की धारा 6A को अवैध घोषित करते हुए उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कहा था कि पूर्व स्वीकृति का प्रावधान भ्रष्टाचार विरोधी कानून के उद्देश्य को नष्ट कर देता है। यह स्वतंत्र जांच को विफल कर देता है, भ्रष्ट अधिकारियों को पूर्व चेतावनी दे देता है तथा साथ ही अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। उपर्युक्त निर्णय को जांच पूर्व स्वीकृति आवश्यकताओं की संवैधानिकता की जाँच करने के लिए कसौटी माना जाना चाहिए।
- इसके अतिरिक्त **लोकपाल अधिनियम** को लागू करने की आवश्यकता है ताकि सार्वजनिक कार्यालयों के उच्च स्तरों में भ्रष्टाचार पर रोक लग सके।

1.5. न्यायाधिकरणों पर लॉ पैनल

(Law Panel on Tribunals)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विधि आयोग ने अपनी 272वीं रिपोर्ट में, देश में न्यायाधिकरण प्रणाली के कामकाज में सुधार के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की है।

न्यायाधिकरण क्या हैं?

- 'न्यायाधिकरण' एक **प्रशासनिक निकाय** है, जिसे **अर्द्ध-न्यायिक कर्तव्यों** का निर्वहन करने के उ**द्दे**श्य से स्थापित किया जाता है।
- एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण न तो एक न्यायालय होता है और न ही एक कार्यकारी निकाय, अपितु यह दोनों के बीच की एक व्यवस्था है।
- न्यायाधिकरण न्यायपालिका के बोझ को कम करने हेतु एक प्रभावी तंत्र के रूप में कार्य करते हैं।
- न्यायाधिकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हैं अथवा उन वैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करते हैं जिसके तहत न्यायाधिकरण स्थापित किया गया हो।

भारत में न्यायाधिकरण

- स्वर्ण सिंह सिमिति की अनुशंसा पर 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 323-A और 323-B को अंतःस्थापित किया गया था।
 - o अनुच्छेद 323A प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है।
 - o अनुच्छेद 323B अन्य मामलों हेतु न्यायाधिकरणों से संबंधित है।
- प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985- यह अधिनियम लोक सेवाओं में नियुक्त किसी व्यक्ति की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों के लिए प्रशासकीय न्यायाधिकरण को अधिनिर्णयन की शक्ति प्रदान करता है।

भारत में न्यायाधिकरण से संबंधित समस्याएँ

- विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत न्यायाधिकरणों ने विवादों के समाधान के लिए बड़े पैमाने पर उच्च न्यायालयों को प्रतिस्थापित किया है। किसी अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश से असंतुष्ट व्यक्ति उच्च न्यायालय की जगह सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। इसके परिणामस्वरूप कुछ संस्थागत चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं।
- हालाँकि न्यायाधिकरणों में प्रतिवर्ष मामलों के निपटान की दर दाखिल मामलों की तुलना में उल्लेखनीय है अर्थात्, 94% की दर से मामलों का निपटारा किया गया है। इसके बावजूद, विचाराधीन मामलों की संख्या काफी अधिक है।
- कई बार न्यायाधिकरण त्वरित न्याय देने में असमर्थ रहे हैं, जबिक उनकी स्थापना के पीछे का प्रमुख उद्देश्य त्वरित न्याय ही था।
- न्यायाधिकरणों की बढ़ती संख्या ने शक्ति के पृथक्करण की पूरी संरचना को प्रभावित किया है, क्योंकि इसे सरकार द्वारा न्यायपालिका के अतिक्रमण के रूप में देखा जाता है।

उच्च न्यायालय की उपेक्षा से उत्पन्न समस्याएं-

- न्यायाधिकरण को उच्च न्यायालयों के समान संवैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं है क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया और सेवा शर्तें कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं होती हैं। कई न्यायाधिकरण अभी भी अपने मूल मंत्रालयों के प्रति निष्ठा रखते हैं।
- भौगोलिक रूप से देशभर में अनुपलब्धता के कारण उच्च न्यायालयों के समान न्यायाधिकरण भी सुलभ नहीं हैं। यह न्याय को महँगा और न्याय तक पहुँच को मुश्किल बनाता है।
- जब उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रत्येक न्यायाधिकरण की अध्यक्षता करते हैं, तो न्यायाधिकरण की स्थापना के पीछे का
 यह तर्क निरस्त हो जाता है कि न्यायाधिकरण विशेषज्ञ अभियोजन के उद्देश्य से स्थापित किए गए हैं।
- न्यायाधिकरण से सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील करने के अधिकार ने उच्चतम न्यायालय को संवैधानिक न्यायालय से महज एक अपीलीय न्यायालय बना दिया है तथा इस कारण से उच्चतम न्यायालय में हजारों मामले लंबित हो गये हैं। अत्यधिक मामलों के लंबित होने का दबाव न्यायालय के निर्णयों की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है।
- न्यायाधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई करने वाले उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कानून के विशिष्ट क्षेत्रों के तहत उत्पन्न विवादों की सूक्ष्म बारीकियों का एकदम पहली बार सामना करना पड़ता है। यह स्थिति अंतिम विकल्प के रूप में देखे जाने वाले न्यायालय के लिए उपयुक्त नहीं है।

विधि आयोग द्वारा की गयी अनुशंसाएं

- न्यायाधीशों की अर्हता उच्च न्यायालय (या जिला न्यायालय) के न्यायाधिकार क्षेत्र को एक न्यायाधिकरण में स्थानांतरित करने के मामले में, नए गठित न्यायाधिकरण के सदस्यों को उच्च न्यायालय (या जिला न्यायालय) के न्यायाधीशों के समान अहर्ता धारण करनी चाहिए।
- न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति-
 - विधि आयोग ने न्यायाधिकरण के कामकाज की निगरानी के लिए यथासंभव कानून मंत्रालय के तहत एक कॉमन नोडल एजेंसी स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। न्यायाधिकरण के कामकाज की निगरानी के साथ-साथ यह एजेंसी न्यायाधिकरण में नियुक्त सभी सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा शर्तों में एकरूपता सुनिश्चित करेगी।

- नियुक्ति की प्रक्रिया को समय से प्रारंभ करके न्यायाधिकरण में होने वाली रिक्तियों को शीघ्रता से भरा जाना चाहिए। नियुक्ति की प्रक्रिया को रिक्ति से लगभग छः महीने पूर्व प्रारंभ करना ज्यादा उचित होगा।
- न्यायाधिकरणों के सदस्यों का चयन-
 - आयोग द्वारा कहा गया है कि सदस्यों का चयन निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। चयन में सरकारी एजेंसियों की न्यूनतम भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि सरकार अभियोजन में एक पक्ष के रूप में शामिल होती है।
 - न्यायिक और प्रशासनिक, दोनों सदस्यों के लिए पृथक चयन समिति गठित की जानी चाहिए।
- कार्यकाल- अध्यक्ष को 3 वर्ष के लिए या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। जबिक उपाध्यक्ष और सदस्यों को 3 वर्ष के लिए या 67 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए।
- चूंकि न्यायिक पुनरावलोकन भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषता है, अतः न्यायाधिकरण के किसी भी आदेश को उच्च न्यायालय (जिस उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय न्यायाधिकार के अंतर्गत वह न्यायाधिकरण आता हो) की डिवीज़न बेंच में या न्यायाधिकरण की अपीलीय अदालत में चुनौती दी जा सकती है।
- देश के विभिन्न भागों में न्यायाधिकरण की बेंचों की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे लोगों की न्याय तक आसान पहुँच हो सके। वस्तुतः आदर्श रूप में जहाँ-जहाँ उच्च न्यायालय स्थित हैं, उन स्थानों पर न्यायाधिकरण की बेंचों की स्थापना की जानी चाहिए।

1.6. उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की कार्यवाही पब्लिक डोमेन में

(SC Collegium Proceedings in Public Domain)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने अपनी सभी अनुशंसाओं को पब्लिक डोमेन में रखने का निर्णय लिया है। इन अनुशंसाओं के साथ उन कारणों का भी उल्लेख होगा जिनके आधार पर कॉलेजियम ने उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति, स्थानातरण या प्रोन्नति के लिए नामों की संस्तुति की या नामों को अस्वीकार करने का निर्णय लिया।

न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने हेतु कुछ अन्य उपाय

- संभावित उम्मीदवारों का एक पूर्ण और समय-समय पर अपडेटेड डाटाबेस तैयार करना, जो जनता के लिए उपलब्ध हो।
- बार एवं बार संगठनों के सदस्यों के साथ परामर्श कर नामांकन/विज्ञापन द्वारा आवेदन आमंत्रित करना।
- शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के संबंध में जनता से सुझाव लिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में नागरिकों की अवमानना और मानहानि के कानूनों से प्रतिरक्षा और उनकी गोपनीयता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- कॉलेजियम के विचार-विमर्श के वीडियो/ऑडियो का पुरा रिकॉर्ड तैयार करना।
- उच्चतम न्यायालय ने इसके न्यायिक परिसर में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए, कोर्टरूम और उसके परिसर में CCTV कैमरों की स्थापना (ऑडियो रिकार्डिंग के बिना) का आदेश दिया था।

पृष्ठभूमि

- कॉलेजियम प्रणाली में समस्याएं:
 - इसकी कार्यवाही में अपारदर्शिता है।
 - ० भाई-भतीजावाद
 - नियुक्तियों की देखरेख हेतु स्थायी आयोग का अभाव है जिसके परिणामस्वरूप न्यायालयों को अकुशलता तथा बड़ी संख्या में पदों की रिक्ति का सामना करना पड़ता है।
- कॉलेजियम प्रणाली का स्थान लेने वाले राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित चिंताएँ
 व्यक्त करते हुए निरस्त कर दिया:
 - इसमें "न्यायिक तत्वों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्रदान किया गया है" और नये प्रावधान न्यायाधीशों की नियुक्ति और चयन के मामले में न्यायपालिका की प्रधानता को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त हैं।
 - दो "प्रतिष्ठित व्यक्तियों" को "NJAC के सदस्यों के रूप में शामिल करने के कारण, यह "न्यायपालिका की स्वतंत्रता" के साथ-साथ "शक्तियों के पृथक्करण" के सिद्धांत का भी अतिक्रमण करता है।
- इसके अतिरिक्त, कार्यपालिका और न्यायपालिका में मेमोरैन्डम ऑफ प्रोसीजर (MOP) को लेकर भी टकराव की स्थिति बनी हुई है।
- हाल ही में, न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने पारदर्शिता और प्रभावशीलता की कमी का हवाला देते हुए कॉलेजियम की बैठकों में भाग लेने से इंकार कर दिया था।

इस निर्णय के पीछे दिए गए तर्क

- नैतिक दायित्व: विशेष रूप से NJAC को समाप्त करने के पश्चात् न्यायपालिका ने अपने नैतिक दायित्व को पूरा किया है।
- सूचना का अधिकार: न्यायपालिका द्वारा अग्रसक्रिय प्रकटीकरण (प्रो-एक्टिव डिस्क्लोजर) सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की भावना के अनुरूप एक स्वागतयोग्य कदम है।

- प्रक्रिया में पारदर्शिता: इसका अर्थ न केवल राज्य कार्यपालिका के कामकाज में बल्कि न्यायिक नियुक्तियों और स्थानांतरण सहित न्यायिक प्रणाली में भी खुलापन लाना है।
- जानने का अधिकार: यह कदम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और वाक् स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को सशक्त बनाता है, क्योंकि जानने का अधिकार इसका एक अंतर्निहित भाग है। गोपनीय कॉलेजियम प्रणाली अभी तक इसका उल्लंघन कर रही थी।

आलोचना

- सीमित पारदर्शिता: वेबसाइटों पर आदर्श रूप से इन निर्णयों को तब सार्वजनिक करना चाहिए, जब उच्च न्यायालय ने अनुशंसा की हो न कि प्रक्रिया पूरी हो जाने के पश्चात जबकि कुछ भी नहीं किया जा सकता।
- स्पष्ट मानदंडों का अभाव: प्रदर्शन और उपयुक्तता को सुनिश्चित करने के लिए पात्रता मानदंडों को निष्पक्ष रूप से तैयार किया जाना चाहिए और उन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए। नियुक्ति या गैर-नियुक्ति के कारणों को केवल उस मानदंड के संदर्भ में ही भली प्रकार समझा जा सकता है।
- व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्रतिष्ठा: "अनुपयुक्तता" के आधार पर उम्मीदवारों की अस्वीकृति उनकी पेशेवर और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को हानि पहुँचा सकती है क्योंकि वे या तो सेवारत न्यायिक अधिकारी या प्रतिष्ठित अधिवक्ता होते हैं।

1.7. ई-समीक्षा

(E-SAMIKSHA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार के विभागों को उन विशिष्ट लक्ष्यों हेतु विस्तृत योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं जिन्हें 2022 तक प्राप्त किया जाना है। इन लक्ष्यों की निगरानी प्रधानमंत्री द्वारा **ई-समीक्षा** प्लेटफार्म के तहत की जाएगी।

ई-समीक्षा

- ई-समीक्षा एक ऑनलाइन निगरानी तथा अनुपालन तंत्र है।
 इसे कैबिनेट सचिवालय द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
 (NIC) की तकनीकी सहायता से विकसित किया गया है।
- इसका उपयोग, परियोजनाओं और नीतिगत पहलों की प्रगति
 की निगरानी करने और रियल टाइम के आधार पर कैबिनेट
 सचिव और प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों की
 जांच करने के लिए किया जाता है।
- एक ई-पत्राचार सुविधा प्रारंभ की गयी है जो ई-मेल और SMS के माध्यम से बैठकों की सूचना और एजेंडा, सर्कुलर, पत्र इत्यादि भेजती है। इस प्रकार यह 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' के सिद्धांत को बढ़ावा देता है।
- दक्षता में वृद्धि, पारदर्शिता लाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने, तथा गवर्नमेंट से गवर्नमेंट, बिज़नेस से गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से बिज़नेस के बीच संचार में सुधार के लिए ई-समीक्षा पोर्टल का निर्माण किया गया है।



1.8. सार्वजनिक वित्त प्रबन्धन प्रणाली

(Public Finance Management System)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र की सभी योजनाओं की निगरानी हेतु सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के उपयोग को अनिवार्य कर दिया गया है।

सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली क्या है?

- यह एक वेब आधारित सॉफ़्टवेयर एप्लीकेशन है, जिसे महालेखा नियंत्रक (CGA) कार्यालय द्वारा विकसित और कार्यान्वित किया
 गया है।
- इसके अंतर्गत केंद्रीय योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के साथ-साथ वित्त आयोग के अनुदान सहित अन्य व्यय शामिल किये गए हैं।

यह सरकारी योजनाओं के लिए वित्तीय प्रबंधन मंच (फाइनेंसियल मैनेजमेंट प्लेटफ़ॉर्म) के साथ-साथ भुगतान सह लेखांकन (पेमेंट कम एकाउंटिंग) नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। इसे कोर बैंकिंग प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है तथा यह पूरे देश में RBI सहित 170 बैंकों से संबद्ध (interface) है।

सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली के लाभ

- फण्ड की बेहतर निगरानी और पारदर्शिता: यह संसाधन उपलब्धता, प्रवाह और फण्ड के वास्तविक उपयोग के संबंध में रियल टाइम सूचना प्रदान करती है। इस प्रकार, यह केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न एजेंसियों को दिए गए धन की निगरानी के लिए एक साझा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म स्थापित करती है।
- बेहतर वित्तीय प्रबंधन: फण्ड के 'बिल्कुल समय पर (just in time)' निर्गमन (रिलीज) के माध्यम से यह वित्तीय प्रणाली में अस्थिरता को कम कर सकती है, इस प्रकार इसमें वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाने की क्षमता है। यह सरकारी उधारी को और भी कम कर सकती है, जिसका सीधा प्रभाव सरकार की ब्याज लागत पर पड़ेगा।
- **ई-गवर्नेंस और सुशासन को अपनाना:** इससे पेपर वर्क कम होगा, प्रशासन में प्रौद्योगिकी के उपयोग में वृद्धि होगी तथा सार्वजनिक धन के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित होगी, इस प्रकार सुशासन को बढ़ावा मिलेगा।
- फण्ड में होने वाले विलम्ब और लाल-फीताशाही की रोकथाम: इससे कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किसी भी फण्ड के अनावश्यक एकत्रण की बेहतर निगरानी और ट्रैकिंग सुनिश्चित होगी तथा विलम्ब और लंबित भुगतान के मामलों में कमी आएगी।

चुनौतियाँ

- व्यापक बुनियादी कार्यों की आवश्यकता: PFMS का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रारंभिक कार्य करने की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर का उन्नयन तथा प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षण कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी सम्मिलित है।
- समृद्ध राज्यों की ICT अवसंरचना की विषम (skewed) प्रकृति तकनीकी दृष्टि से कम विकसित राज्यों के संबंध में एक चुनौती के रूप में कार्य करती है।
- गवर्नेंस में प्रौद्योगिकी को अपनाने की धीमी गति।

1.9. विधि आयोग द्वारा यातना निरोधक कानून का प्रस्ताव

(Law Commission Proposes Anti Torture Legislation)

सर्ख़ियों में क्यों?

विधि आयोग ने केंद्र सरकार से यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर की पुष्टि करने और एक सुदृढ़ यातना निरोधक कानून (एंटी-टॉर्चर लॉ) के निर्माण करने की अनुशंसा की है।

यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर (UNCAT)

यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पहल है। इसका उद्देश्य विश्व भर में यातना और क्रूर, अमानवीय, अपमानजनक व्यवहार या सजा को समाप्त करना है। यह कन्वेंशन 1987 से लागू है।

मुख्य प्रावधान:

- किसी ऐसे राज्य में व्यक्ति के निर्वासन/प्रत्यर्पण का निषेध करना, जहाँ उन्हें यातना का सामना करना पड़ सकता है।
- जिन मामलों में कथित उत्पीड़क को प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता, उन मामलों की सुनवाई के लिए सार्वभौम न्यायाधिकार (Universal Jurisdiction) की स्थापना की जानी चाहिए।
- यातना के लिए आपराधिक दायित्व: सभी देशों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सभी प्रकार की यातनाएं उनके आपराधिक कानून के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में सूचीबद्ध हों।
- विधि प्रवर्तन, नागरिक व सैन्य तथा सार्वजनिक पदाधिकारियों आदि को यातना की रोकथाम के सम्बन्ध में शिक्षा और सूचनाएं प्रदान करना।
- यातना से पीड़ितों या आरोपों की त्विरत जांच के लिए प्रक्रियाएं होनी चाहिए। न्यायालयों को उन साक्ष्यों के उपयोग को प्रतिबंधित करना चाहिए जिनको यातना के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है।
- पीड़ितों और गवाहों के लिए **संरक्षण, मुआवजा और पुनर्वास** तथा प्रभावी उपचार प्रणाली प्रदान करना।

पृष्ठभूमि

 यद्यपि भारत द्वारा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर पर 1997 में ही हस्ताक्षर कर दिए गये थे, लेकिन अभी तक इसकी पृष्टि नहीं की गयी है। भारत विश्व के उन नौ देशों में शामिल है, जिनके द्वारा अभी तक इसकी पृष्टि नहीं की गयी है।

- यातना विरोधी कानून को अपनाने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रबल समर्थन के बावजूद, यातना निरोधक विधेयक
 2010 के समाप्त हो जाने बाद से सरकार द्वारा इस प्रकार के कानून की उपेक्षा की गयी है।
- इसके प्रमुख कारण हैं- ऐसे कानूनों के लिए राज्यों के बीच सहमित का अभाव है (क्योंकि पुलिस एवं लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं)। दूसरा प्रमुख कारण यह है कि, हिरासत में यातनाओं के मामलों से निपटने के लिए IPC और CrPC में पर्याप्त प्रावधान हैं।
- हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि, 'हिरासत के दौरान दी जाने वाली यातना, राज्य द्वारा प्रयुक्त "मानवीय गरिमा को अपमानित" करने वाला एक उपकरण है।'
- इसके बाद इस मुद्दे को विधि आयोग को भेजा गया। विधि आयोग ने अपनी 273वीं रिपोर्ट में, **यातना निरोधक विधेयक, 2017** की सिफारिश की है।

यातना निरोधक कानून की आवश्यकता

- मानवाधिकारों के उल्लंघन, अल्पसंख्यक अधिकारों, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर में AFSPA के उपयोग, निर्दोषों को यातना देने के लिए पुलिस द्वारा आतंक-रोधी कानूनों के दुरुपयोग तथा व्यवसाय से संबंधी मानवाधिकारों के संदर्भ में, इस प्रकार का कानून महत्वपूर्ण है।
- इसके अतिरिक्त, IPC हिरासत के दौरान दी जाने वाली यातनाओं के विभिन्न पहलुओं को विशेष और व्यापक रूप से संबोधित नहीं करता है। साथ ही IPC हिरासत के दौरान हुई हिंसा की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए अपर्याप्त है।
- NHRC ने स्पष्ट किया है कि, हालांकि पुलिस को हिरासत के दौरान हुई मौत की रिपोर्ट करना अनिवार्य है लेकिन मौजूदा प्रावधानों के तहत हिरासत के दौरान हुई हिंसा की रिपोर्ट करना आवश्यक नहीं होता है।
- यातना निरोधक कानून के अभाव में प्रत्यर्पण सुनिश्चित करने में कठिनाई होती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भय है कि आरोपी
 व्यक्तियों को भारत में यातना का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए डेनमार्क ने भारत में "यातना या अन्य अमानवीय
 व्यवहार" के जोखिम के कारण पुरुलिया शस्त्र मामले में किम डेवी के प्रत्यर्पण से मना कर दिया था।
- यह कानून भारत की जीवंत लोकतांत्रिक परंपरा तथा अनुच्छेद 21 (जीवन और गरिमा के मौलिक अधिकार) को मजबूत करने में सहायता प्रदान करेगा।

यातना निरोधक विधेयक, 2017

- यातना की विस्तृत परिभाषा शारीरिक चोट तक ही सीमित नहीं है अपितु इसके अंतर्गत जानबूझकर या अनजाने में किसी भी शारीरिक, मानसिक या मनोवैज्ञानिक चोट पहुँचाने का प्रयास करना भी सम्मिलित है।
- राज्य के एजेंट के लिए संप्रभु प्रतिरक्षण नहीं- राज्य को अपने एजेंटों के द्वारा लोगों को चोट पहुँचाए जाने की ज़िम्मेदारी लेनी होगी क्योंकि संप्रभु प्रतिरक्षण का सिद्धांत (principle of sovereign immunity) संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रत्यादिष्ट (override) नहीं कर सकता।
- यातना देने वाले सरकारी अधिकारियों के लिए यातना हेतु सजा का प्रावधान।

विधि आयोग की अन्य महत्वपूर्ण अनुशंसाएँ

- अपराध का अनुमान: IPC में एक नई धारा 114B को शामिल किया जाना चाहिए, जिसके तहत यदि कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में घायल अवस्था में पाया जाता है, तो यह माना जाएगा कि उसे पुलिस द्वारा चोट पहुंचाई गयी है। किसी मुकदमे में विचाराधीन कैदी को लगी चोटों के संबंध में स्पष्टीकरण का दायित्व पुलिस पर होना चाहिए।
- मुआवजा और पुनर्वास: IPC की धारा 357B में संशोधन करके, पीड़ितों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, चिकित्सीय उपचार और पुनर्वास व्यय को ध्यान में रखते हुए "न्यायसंगत मुआवजा" प्रदान किया जाना चाहिए। मुआवजे और साक्ष्यों के दायित्व सम्बन्धी प्रावधानों को समायोजित करने के लिए CrPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का भी संशोधन किया जाना चाहिए।
- पीड़ितों, शिकायतकर्ताओं और गवाहों को संरक्षण: यातना के पीड़ितों, शिकायतकर्ताओं और गवाहों को संभावित खतरों, हिंसा या अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रभावी तंत्र को लागू किया जाना चाहिए।

भारतीय दंड संहिता की धारा 357- यदि कोई व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति को अनिधकृत रूप से बंधक बनाने के प्रयत्न में उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो उसे एक वर्ष की अविध तक के कारावास, अथवा एक हजार रुपए तक के जुर्माने, अथवा दोनों से दण्डित किया जाएगा।

1.10. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016

(Bureau of Indian Standards Act, 2016)

सुर्ख़ियों में क्यों?


हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) अधिनियम, 2016 लागू किया गया है, जिसने पूर्व में विद्यमान भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम,1986 का स्थान लिया है।

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) अधिनियम, 2016 की मुख्य विशेषताएँ

- यह भारतीय मानक ब्यूरो को भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में स्थापित करता है। यह राष्ट्रीय मानक निकाय वस्तुओं, सेवाओं, सामग्रियों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों के लिए गुणवत्ता के निश्चित मानकों के निर्माण, कार्यान्वयन और प्रमाणन की दिशा में कार्य करेगा।
- यह अधिनियम केंद्र सरकार को कुछ निश्चित वस्तुओं, सामग्रियों, आदि को अधिसूचित करने की अनुमित देता है जिन्हें सार्वजिनक हित, पर्यावरण की सुरक्षा, अनुचित व्यापार प्रथाओं की रोकथाम और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में मानक चिन्ह प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- मानक चिन्ह युक्त ऐसे उत्पादों के उत्पाद दायित्व सहित, उनकी मरम्मत या वापस लेने (recall) का प्रावधान किया गया है जो भारतीय मानक के अनुरूप नहीं हैं।
- मानक के अनुरूप होने के संबंध में स्व-घोषणा (self-declaration) सहित विभिन्न प्रकार की सरलीकृत अनुरूपता मूल्यांकन पद्धतियों की अनुमति प्रदान की गई है, जो मानकों का पालन करने और अनुरूपता प्रमाण-पत्र (certificate of conformity) प्राप्त करने के लिए निर्माताओं को आसान विकल्प उपलब्ध कराएगा।
- बहुमूल्य धातु के सामान की हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाने हेतु भी प्रावधान किया गया है।
- इसमें भारतीय मानक चिह्न के अनुचित उपयोग के मामलों में दंड संबंधी प्रावधान हैं तथा लाइसेंस प्रदान करने या अनुरूपता प्रमाण-पत्र देने के आदेश के विरुद्ध अपील का भी प्रावधान किया गया है।

महत्त्व

- इसका उद्देश्य भारतीय मानकों के अनिवार्य या स्वैच्छिक अनुपालन के माध्यम से, उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्तापूर्ण उत्पादों और सेवाओं की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और BIS को सशक्त बनाना है।
- यह देश में ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगा और मेक इन इंडिया अभियान को प्रोत्साहन प्रदान करेगा।



2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध

(INTERNATIONAL RELATIONS)

2.1. भारत-यूरोपियन यूनियन

(INDIA - EU)

सर्ख़ियों में क्यों?

भारत और यूरोपियन यूनियन (EU) के मध्य 14वाँ वार्षिक शिखर सम्मेलन हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न हुआ।

भारत-EU संबंध

- भारत और EU 2004 से ही रणनीतिक भागीदार रहे हैं।
- वर्ष 2016 में 88 बिलियन डॉलर के द्विपक्षीय वस्तु-व्यापार के साथ EU भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रीय व्यापारिक भागीदार है।
- EU भारतीय निर्यातों के लिए भी सबसे बड़ा गंतव्य स्थल है। यह निवेश व प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
- 2000-17 की अवधि के दौरान भारत ने यूरोप से लगभग 83 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्राप्त किया जो इस अवधि के दौरान भारत में आए कुल FDI का लगभग 24 प्रतिशत था।

भारत और EU के बीच 14वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित समझौते:

- भारतीय शोधकर्ताओं के लिए यूरोपियन कमीशन और साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड (SERB) के मध्य कार्यान्वयन समझौता।
- बंगलूरु मेट्रो रेल परियोजना की फेज-2-लाइन का वित्तीय अनुबंध।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अंतरिम सचिवालय व यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के मध्य संयुक्त घोषणापत्र।

संयुक्त वक्तव्य के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु:

- आतंकवाद पर: इसमें हाफिज सईद, दाउद इब्राहिम, लश्कर-ए-तैयबा और जकी-उर-रहमान लखवी के विरुद्ध 'संगठित व निर्णायक कार्रवाई' करने का आह्वान किया गया है। इसके द्वारा आतंकवाद को समर्थन देने के मुद्दे पर पाकिस्तान को चुनौती देने के भारत के प्रयासों को और मजबूती मिलेगी।
- बहुध्रुवीयता पर: "नियम-आधारित" अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था व एक "बहुध्रुवीय" विश्व के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन। अमेरिका द्वारा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर अपना रुख परिवर्तित करने के परिप्रेक्ष्य में इस तरह की प्रतिबद्धता दर्शाना और भी अधिक महत्वपूर्ण है।
- संयुक्त राष्ट्र में सुधार के एजेंडे पर: सुधार के तीन बिंदुओं शांति व सुरक्षा, विकास और प्रबंधकीय सुधार को समर्थन।
- ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर: वर्तमान में कार्यरत ज्वाइंट कॉम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ़ एक्शन (JCPOA) के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए समर्थन।
- अफगानिस्तान पर: भारत द्वारा निभाई गई सार्थक भूमिका की सराहना करते हुए, दोनों पक्षों ने अफगान-नेतृत्व और अफगान स्वामित्व वाली राष्ट्रीय शांति और समाधान प्रक्रिया का आह्वान किया।
- BTIA पर: INDIA-EU BTIA के संबंध में अवरुद्ध वार्ताओं को पुन: प्रारंभ करने में असमर्थ दोनों पक्षों के बीच सहमित बनी। इसके परिणामस्वरूप दोनों पक्ष 'व्यापक और परस्पर लाभकारी BTIA' के लिए वार्ताओं को समयबद्ध ढंग से पुन: आरंभ करने के लिए तैयार हुए हैं।

ब्रॉड-बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट (BTIA) में गतिरोध

- भारत द्वारा 'डाटा सिक्योर' स्टेटस (जो कि भारत के IT क्षेत्र के यूरोपियन यूनियन की फर्मों के साथ अधिक कारोबार करने की दृष्टि
 से महत्वपूर्ण है) और कुशल श्रमिकों के अस्थायी आवागमन के लिए नियमों में ढील की माँग जैसे मुद्दों के चलते गतिरोध उभरा है।
- ऑटोमोबाइल्स व शराब और स्पिरिट जैसी वस्तुओं पर भारत द्वारा लगाए गए शुल्कों को हटाने की EU की माँगों को लेकर भी मतभेद हैं।
- EU मुक्त व्यापार समझौता (FTA) वार्ताओं को पुनः प्रारंभ करने से पूर्व एक **भारत-EU द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT)** को अंतिम

रूप देने में रूचि रखता है, जबकि भारत **'निवेश सुरक्षा'** को प्रस्तावित कॉम्प्रीहेंसिव FTA वार्ताओं का एक भाग बनाना चाहता है।

भारत-EU साझेदारी को मजबूत बनाने की आवश्यकता

- वर्तमान में अमेरिका अपनी वैश्विक उपस्थिति कम कर रहा है और चीन उस रिक्त स्थान को भरने के लिए आगे आ रहा है। इन वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में भारत और EU दोनों के लिए अपनी स्थिरता और सुरक्षा का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है।
- भारत और यूरोप दोनों लोकतांत्रिक संस्थाओं और खुले समाज से संबद्ध हैं, अतः भारतीय और यूरोपीय दुनिया के विचार काफी मिलते-जुलते हैं। ये वैचारिक साम्यता यूरेशियन कनेक्टिविटी प्लान सुनिश्चित करने तथा नौवहन की स्वतंत्रता सरीखे अंतर्राष्ट्रीय विधिक सिद्धांतों की रक्षा आदि जैसे साझा हितों में निरंतर झलकती है।
- एक-दूसरे के समान साझा मूल्यों को देखते हुए, भारत और EU दोनों को एक-दूसरे की वैश्विक नेतृत्वकारी भूमिका का स्वागत करना चाहिए।

2.1.1. भारत-इटली

(India-Italy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में इटली के प्रधानमंत्री पाओलो जेंटिलोनी अपनी आधिकारिक यात्रा पर भारत आए।

भारत-इटली संबंध

- 2016-17 में 8.79 बिलियन डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ इटली यूरोपियन यूनियन में भारत का पाँचवा सबसे बड़ा साझेदार है।
- इटली, EU के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सदस्य देशों में से एक है। EU में यूनाइटेड किंगडम व नीदरलैंड के बाद भारतीय समुदाय के लोगों की संख्या सर्वाधिक संख्या इटली में है।

संयुक्त वक्तव्य के महत्वपूर्ण बिंदु

- इस यात्रा को "**महत्वपूर्ण**" बताया गया है, क्योंकि इससे 'इटालियन मरीन के मामले' को लेकर पाँच वर्ष से अधिक समय से चल रहे तनाव के समाप्त होने की उम्मीद है।
- भारत और इटली की सुरक्षा फर्मों के मध्य **"व्यवस्थित वार्ता"** को बढ़ाने और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक **संयुक्त रक्षा समिति** की स्थापना का निर्णय लिया गया था।
- इटली ने भारत के **आण्विक, मिसाइल और दोहरे प्रयोग वाली तकनीक** व पदार्थ-निर्यात (substances-export) पर नियंत्रण वाली व्यवस्थाओं जैसे वासेनार व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया समूह और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) के साथ **"सघन जुड़ाव"** (intensified engagement) का समर्थन किया। इससे अप्रसार के वैश्विक प्रयासों को बल मिलेगा।
- दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय नियमों, सुशासन, विधि के शासन, आदि पर आधारित कनेक्टिविटी मानकों पर सहमत हुए। इसे चीन की OBOR परियोजना के लिए चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।

2.2. चाबहार बंदरगाह

(Chabahar Port)

सर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने ईरान के **चाबहार बंदरगाह** के मार्ग से अफगानिस्तान को गेहूँ की अपनी पहली खेप भेजी।

इस मार्ग के बारे में और अधिक जानकारी

 यह समुद्री मार्ग गुजरात के कांडला बंदरगाह (वर्तमान में दीनदयाल बंदरगाह) को चाबहार से जोड़ता है। शिपमेंट को चाबहार से आगे स्थल मार्ग द्वारा अफगानिस्तान ले जाया जाएगा।

चाबहार बंदरगाह का महत्व

• पाकिस्तान के प्रतिरोध से बचाव- यह मार्ग भारत के लिए पाकिस्तान के गतिरोध से बचने के संदर्भ में रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इससे अफगानिस्तान से व्यापार और पारगमन के नए अवसर खुले हैं और तीनों देशों (अर्थात् भारत, ईरान, अफगानिस्तान) के मध्य व्यापार और वाणिज्य बढा है।

GEO-STRATEGIC PUSH



- यूरोप और मध्य एशिया के साथ कनेक्टिविटी- अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) से जुड़ने के बाद यह दक्षिण एशिया, यूरोप व मध्य एशिया को आपस में जोड़ेगा। इससे भारतीय व्यापार को मध्य एशिया में प्रसार के बेहतर अवसर मिलेंगे।
- भू-सामरिक अवस्थिति- यह बंदरगाह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के काफी निकट (लगभग 100 किमी की दूरी पर) स्थित है। ग्वादर बंदरगाह को चीन ने विकसित किया है। चाबहार बंदरगाह की अवस्थिति का रणनीतिक लाभ चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल्स' नीति को संतुलित करने के संदर्भ में भी है। चीन द्वारा इस नीति का उपयोग एशिया में अपनी उपस्थिति बढ़ाने हेतु किया जा रहा है।
- परिवहन लागत में कमी- भारत के कांडला बंदरगाह और चाबहार बंदरगाह के बीच की दूरी काफी कम है, जिससे वस्तुओं की परिवहन-लागत और परिवहन-समय में कमी आएगी।
- **क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण** दीर्घकाल में, इस परियोजना द्वारा नए अवसरों के सृजन से क्षेत्र के आर्थिक हालात सुधरने की उम्मीद है।

अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC)

- यह एक मल्टीमोडल परिवहन गलियारा है जिसकी स्थापना वर्ष 2000 में भारत, रूस और ईरान द्वारा की गयी थी।
- इसका लक्ष्य हिंद महासागर व फारस की खाड़ी को ईरान से होते हुए कैस्पियन सागर और आगे चलकर रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से होकर उत्तरी यूरोप से जोड़ने का है।
- बाद में INSTC का विस्तार करते हुए इसमें 10 नए सदस्यों अर्थात् आर्मेनिया, अज़रबैजान, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान और सीरिया को सम्मिलित किया गया।

2.3. भारत-अफ्रीका

(India-Africa)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय राष्ट्रपति ने हाल ही में जिबूती (किसी भी भारतीय नेता द्वारा पहली बार) तथा इथियोपिया (45 वर्षों में भारतीय राष्ट्रपति द्वारा पहली बार) की आधिकारिक यात्रा संपन्न की।

• भारत-जिबूती

- भारत और जिबूती ने नियमित विदेश कार्यालयी-स्तर की वार्ताओं (Foreign Office-level consultations) के लिए
 - office-level consultations) क लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- यमन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के अभियान में जिब्रूती ने भारत के साथ सहयोग किया था। जिब्रूती ने हज़ारों लोगों को बायु और समुद्री मार्ग से भारत वापस लाने के लिए आवश्यक सुविधाएं व सहयोग प्रदान किया था।
- जिबूती अदन की खाड़ी से काफी निकट स्थित है, अतः इसकी अवस्थिति सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।



भारत-इथियोपिया

- भारत और इथियोपिया ने द्विपक्षीय संबंधो को बढ़ावा देने के लिए व्यापार और संचार के क्षेत्र में सहयोग के समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
- 2016 में इथियोपिया के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 1 बिलियन डॉलर के आस-पास था। भारत 4 बिलियन डॉलर के अनुमोदित निवेश के साथ इथियोपिया में तीन प्रमुख विदेशी निवेशकों में से एक है।
- अधिकांश भारतीय निवेश कृषि, अभियांत्रिकी और वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में है। भारत ने इथियोपिया को 1 बिलियन डॉलर के
 रियायती ऋण की सुविधा भी प्रदान की है।

यात्रा का महत्व

- **हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका** के चार अलग-अलग देशों **सोमालिया, इथियोपिया, इरीट्रिया और जिब्**ती के साथ लाल सागर की सीमा पर यमन को दीर्घकाल से विश्व के सर्वाधिक प्रमख क्षेत्रों में से एक माना जाता रहा है।
- अनेक क्षेत्रीय शक्तियाँ सैन्य अड्डों की स्थापना (उदा० जिबूती में चीन द्वारा) और सशस्त्र हस्तक्षेप के माध्यम से इस हॉर्न क्षेत्र के सामरिक भूदृश्य को आकार देने की कोशिश कर रही हैं।
- आर्थिक संवृद्धि के लिए समुद्री संचार मार्गों पर भारत की निर्भरता बढ़ी है। इसके चलते "अदन से मलक्का" तक विस्तृत क्षेत्र में समुद्री गतिविधियों के प्रति भारत की नई संवेदनशीलता देखने को मिली है।
- ऐसी यात्राएं इस बात की द्योतक हैं कि भारत क्षेत्रीय स्थिरता हेतु व्यापक उत्तरदायित्व स्वीकार करने के लिए तैयार है। इसके साथ-साथ ये यात्राएं इस विचार को पुनर्स्थापित करने में भी सहायक होंगी कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में एक "समग्र सुरक्षा प्रदाता" है।

2.4. ईरान परमाणु समझौता

(Iran Nuclear Deal)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि वह ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते को औपचारिक रूप से अप्रमाणित (decertify) अर्थात समाप्त कर रहे हैं।

ईरान परमाणु समझौता क्या है?

- **ईरान और P5+1** (सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्य और जर्मनी) के बीच 2015 में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिसके तहत ईरान द्वारा संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA) पर सहमित प्रदान की गई। JCPOA पर ईरान की सहमित के पश्चात उस पर लगे हुए आर्थिक प्रतिबंध हटा लिए गए थे।
- यह समझौता सुनिश्चित करता है कि ईरान अपनी **यूरेनियम संवर्धन क्षमता व स्तर, संवर्धित भण्डार, और सेंट्रीफ्यूज** कम करेगा तथा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को आवश्यक निरीक्षण व निगरानी की अनुमित प्रदान करेगा।
- अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) ने 31 अगस्त 2017 को अपनी तिमाही रिपोर्ट में प्रमाणित किया कि ईरान ने JCPOA का अनुपालन किया है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि ईरान के निम्न-संवर्धित यूरेनियम के भंडार व संवर्धन हेतु बनाए गए सेंट्रीफ्यूज परमाणु समझौते के तहत निर्धारित मापदंडों के अनुरूप हैं।

विवरण

- अमेरिकी कानून के अंतर्गत, प्रशासन को प्रत्येक 90 दिनों पर यह प्रमाणित करना होता है कि ईरान समझौते का अनुपालन कर रहा है या नहीं तथा इस समझौते में बने रहना अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है अथवा नहीं।
- जब राष्ट्रपित यह प्रमाणित करने से मना कर देता है तो आगे की कार्यवाही तय करने की जिम्मेदारी अमेरिकी कांग्रेस की होती है।
 कांग्रेस (संसद) के पास यह निर्णय लेने के लिए 60 दिन का समय होता है कि परमाणु समझौते के तहत ईरान पर से हटाए गए प्रतिबंध पुन: लगाए जाएँ अथवा नहीं।

ईरान पर आरोप

यह आरोप लगाया गया है कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के निरीक्षकों के कार्य में व्यवधान डाल रहा है। ईरान IAEA के निरीक्षकों को उसके 'गुप्त परमाणु हथियार कार्यक्रम' का हिस्सा रहे सैन्य प्रतिष्ठानों तक पहुँच प्रदान करने के लिए अनिच्छुक था।

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA)

- यह एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो वार्षिक रूप से संयुक्त राष्ट्र महासभा को रिपोर्ट करती है।
- यह नाभिकीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सुरक्षित, सुदृढ़ और शांतिपूर्ण उपयोग की दिशा में कार्य करती है। इस प्रकार यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा व संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में योगदान देती है।

अन्य देशों की प्रतिक्रियाएँ

- JCPOA का भाग रहे अन्य देश इस कार्य योजना पर बनी सहमित को तोड़ने के इच्छुक नहीं हैं।
- केवल दो देशों, सऊदी अरब और इजराइल ने अमेरिका के निर्णय की सराहना की है।

निहितार्थ

- IAEA के इस निष्कर्ष के बाद कि ईरान ने JCPOA का अनुपालन किया है, अमेरिका के एक तरफा प्रतिबंध वैश्विक अप्रसार व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को कमजोर करने वाले हैं।
- अमेरिका द्वारा ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते, और उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते को ख़ारिज करने के बाद आया वर्तमान निर्णय अमेरिकी विश्वसनीयता को और कम करता है।


2.5. कैटालोनिया की स्वतंत्रता के लिए जनमत संग्रह

(Catalonia's Independence Referendum)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में कैटालोनिया की स्वतंत्रता के लिए एक जनमत संग्रह आयोजित किया गया। इसमें 90 प्रतिशत मतदाताओं ने कैटालोनिया के स्पेन से अलग होने के पक्ष में मतदान किया। पृष्ठभूमि

- कैटालोनिया आइबेरिया प्रायद्वीप के उत्तर-पूर्वी सिरे पर स्थित स्पेन का एक स्वायत क्षेत्र (autonomous community) है। इसमें चार प्रांत हैं: बार्सिलोना, गिरोना, ल्लेइदा, और टैरागोना।
- **बार्सिलोना** इसकी राजधानी व सबसे बड़ा शहर है। यह स्पेन का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर भी है।
- कैटालोनिया ऐतिहासिक रूप से **आइबेरिया प्रायद्वीप** (जिसमें स्पेन और पुर्तगाल सम्मिलित हैं) का एक स्वायत्त क्षेत्र था।
- स्पेन के उत्तराधिकार के युद्ध ने आधुनिक स्पेन का निर्माण किया।
 इस युद्ध में 1707 में वेलेंसिया और 1714 में कैटालोनिया को हार का सामना करना पड़ा था।





- इसके चलते यूरोप में चल रहे अनेक अलगाववादी आंदोलनों की ओर फिर से ध्यान आकृष्ट हुआ है।
- कैटालोनिया स्पेन के सर्वाधिक संपन्न क्षेत्रों में से एक है। स्पेन की GDP में इसका योगदान 20.07% है। अत: इसके अलग होने से स्पेन को अपने आर्थिक उत्पादन (economic output) का लगभग पांचवाँ भाग गंवाना पड़ेगा।

2.6. कुर्दिश स्वतंत्रता के लिए जनमत संग्रह

(The Kurdish Independence Referendum) सुर्ख़ियों में क्यों?

इराक के कुर्द लोगों ने एक जनमत संग्रह में स्वतंत्रता का समर्थन किया।

- हालांकि यह जनमत संग्रह गैर-बाध्यकारी है, किंतु कुर्द लोगों की अलग देश की मांग के दशकों पुराने संघर्ष में इसका प्रतीकात्मक महत्व है।
- कुर्दिस्तान, इराक के उत्तर में स्थित एक अर्द्धराज्य (protostate) है। यह इस देश का एकमात्र स्वायत्त क्षेत्र है।
- यह क्षेत्र आधिकारिक रूप से कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट (KRG) द्वारा शासित है। इसकी राजधानी एरबिल (Erbil) है।

कुर्द कौन हैं?

- कुर्द लोगों को व्यापक रूप से विश्व के एक ऐसे सबसे बड़े राष्ट्रीय समूह के तौर पर पहचाना जाता है जिनका अपना कोई देश नहीं है।
- कुर्दिस्तान कई भाषाओं, धर्मों और राजनीतिक गुटों का निवास
 स्थान है और अपनी मजबूत सांस्कृतिक एकता के लिए जाना जाता है।
- प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात्, ब्रिटेन और फ्रांस ने ऑटोमन साम्राज्य को विखंडित कर दिया जिससे कुर्द आबादी मुख्यत: चार देशों
 (इराक, ईरान, तुर्की और सीरिया) में विभाजित हो गयी।
- कुर्दों अत्याचारों का सामना करना पड़ा और यहाँ तक की उन्हें अपनी भाषा बोलने के अधिकार से वंचित रखा गया।





- अमेरिका के नेतृत्व में इराक पर किए गए हमले के बाद स्थापित नई शासन व्यवस्था में कुर्दों को बेहतर हिस्सेदारी प्राप्त हुई।
 कालांतर में जब इराक, इस्लामिक स्टेट (IS) के विरुद्ध गृह युद्ध में उलझ गया तो इन लोगों ने अपनी स्वायत्तता बढ़ा ली।
- इस्लामिक स्टेट के विरुद्ध लड़ाई में कुर्द लोग इराक के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। **पेशमर्गा बलों (इराकी कुर्दिस्तान सैन्य बल)** को अमेरिका भी **एक सहयोगी** के रूप में देखता है।

निहितार्थ

• इराक में "दक्षिण कुर्दिस्तान" की आजादी की किसी भी मुहिम से व्यापक भू-राजनीतिक जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। विशेष रूप से तुर्की व ईरान के साथ-साथ सीरिया ने भी ऐसे किसी भी कदम का सख्त विरोध किया है, क्योंकि इन देशों में भी कुर्द लोगों की आबादी है जो इस तरह के आंदोलन से प्रेरित हो सकती है।

2.7. अमेरिका ने यूनेस्को की सदस्यता छोड़ी

(US Withdraws From UNESCO)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अमेरिका ने यूनेस्को (UNESCO) पर **इज़राइल-विरोधी पक्षपात** का आरोप लगाते हुए इसकी सदस्यता छोड़ने का निर्णय लिया है।

यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन) के बारे में

- इसका उद्देश्य "शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार और सूचना के माध्यम से शांति स्थापित करने, गरीबी उन्मूलन, सतत
 विकास और अंतर-सांस्कृतिक संवाद में योगदान" देना है।
- इसकी स्थापना 1945 में हुई थी।
- इसका मुख्यालय **पेरिस** में स्थित है।
- 195 देश इसके सदस्य हैं और 10 देश इसके सहयोगी सदस्य हैं।
- इसके पाँच मुख्य कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:
 - ० शिक्षा.
 - प्राकृतिक विज्ञान,
 - ० सामाजिक/मानव विज्ञान.
 - ० संस्कृति,
 - ० संचार/सूचना।

संबंधित जानकारी

- इससे पूर्व अमेरिका ने 1984 में इस संगठन की सदस्यता छोड़ी थी और वर्ष 2002 में वह पुन: इसका सदस्य बना।
- यूनेस्को द्वारा फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता दिए जाने के विरोध में, अमेरिका ने इसे दिए जाने वाले महत्वपूर्ण बजट योगदान को वर्ष 2011 में रद्द कर दिया था। अमेरिकी कानून ऐसी किसी भी एजेंसी को फंडिंग का प्रतिषेध करते हैं जो फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देती है।
- अमेरिका एक पर्यवेक्षक देश के तौर पर यूनेस्को में अपनी उपस्थिति बनाए रखेगा।

यूनेस्को में परिवर्तन की आवश्यकता

- अपने सीमित वित्तीय संसाधनों के चलते, यह महत्वपूर्ण सार्वजनिक विषयों पर कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं है।
- भ्रम, अकुशलताओं और भेदभाव के आरोप के चलते यूनेस्को द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों का दायित्व अन्य एजेंसियों ने ले लिया है।
- चूँिक यह शिक्षा के क्षेत्र के अतिरिक्त और भी विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती है, इसलिए इसके पास संयुक्त राष्ट्र की किसी भी अन्य विशेषज्ञ एजेंसी की तुलना में कार्य का बोझ अधिक है। ऐसे में यूनेस्को के लिए यह काफी कठिन है कि वह किसी एक क्षेत्र विशेष की ओर समुचित ध्यान दे पाए।
- यूनेस्को के कामकाज के कुछ विशिष्ट क्षेत्र, विशेष रूप से संस्कृति व संचार, इसे विभिन्न राजनीतिक रुखों और दावों (posturing and assertion) के प्रति और अधिक सुभेद्य बनाता है। अमेरिका द्वारा यूनेस्को की सदस्यता छोड़ने का निर्णय इसका एक उदाहरण है।

2.8. फिलिस्तीन इंटरपोल का सदस्य बना

(Palestine Joins Interpol)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इंटरपोल ने 86वीं इंटरपोल जनरल असेंबली के दौरान फिलिस्तीन को एक सदस्य देश के रूप में स्वीकार करने के पक्ष में मतदान किया है।

इंटरपोल के बारे में

- अंतर्राष्ट्रीय अपराधिक पुलिस संगठन को आमतौर पर इंटरपोल के नाम से जाना जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग को बढ़ावा देने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
- 192 देश इसके सदस्य हैं।
- इसका मुख्यालय ल्योन, फ्रांस में है।

विवरण

- इजराइल ने इसका विरोध करते हुए तर्क दिया है कि- चूँकि फिलिस्तीन एक देश नहीं है, अत: वह इंटरपोल की सदस्यता हेतु अयोग्य है।
- इजराइल-फिलिस्तीन के मध्य हुए अंतरिम शांति समझौते के तहत, एक फिलिस्तीनी प्राधिकरण को उनके नियंत्रण वाले वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर सीमित स्व-शासन की अनुमति प्रदान की गयी थी।
- 2012 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण के पर्यवेक्षक दर्जे को, "इकाई" (entity) से उन्नत करके वेटिकन की भाँति "गैर-सदस्य देश" कर दिया था।
- इंटरपोल की सदस्यता के चलते, अब फिलिस्तीन इजरायली नेताओं और IDF (इजरायल डिफेंस फोर्सेस) के सैन्य अधिकारियों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय कानूनी कार्यवाही करने के लिए इंटरपोल का उपयोग कर सकता है।



ALTERNATIVE CLASSROOM PROGRAM for

GSPRELIMS & MAINS 2019 & 2020

25th Oct | 5 PM

- Approach is to build fundamental concepts and analytical ability in students to enable them to answer questions of Preliminary as well as Mains examination
- Includes comprehensive coverage of all the topics for all the four papers of G.S. Mains, GS Prelims & Essay
- Includes comprehensive, relevant & updated study material



Access to recorded classroom videos at personal student platform

Includes All India G.S. Mains, Prelim, CSAT & Essay
 Test Series of 2018, 2019, 2020

Our Comprehensive Current Affairs classes of PT 365 and Mains 365 of year 2018, 2019, 2020





LIVE / ONLINE CLASSES AVAILABLE (Online Classes only)

3. अर्थव्यवस्था

(Economy)

3.1. बैंकिंग क्षेत्र के लिए पुनर्पूंजीकरण की योजना

(Recapitalisation Plan for Banking Sector)

सुर्खियों में क्यों?

• केंद्र सरकार ने अगले दो वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों (PSBs) के लिए 2.11 लाख करोड़ रुपये की पुनर्पूंजीकरण की योजना की घोषणा की है।

पुनपूँजीकरण बांड प्रणाली

- यह किसी संस्था के ऋण पुनर्गठन के लिए इक्किटी साधनों के उपयोग को संदर्भित करता है।
- ऐसे बॉन्ड या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा या होल्डिंग कंपनी द्वारा जारी किये जा सकते हैं।
- सरकार इन बैंकों में अपने इक्किटी हिस्सेदारी को ध्यान में रखते हए बॉन्ड जारी करेगी।
- इन बॉन्डों पर वार्षिक ब्याज का भुगतान और इनके विमोचन (रिडम्पशन) पर मूलधन का भुगतान केंद्र सरकार करेगी।
- अपनी पूँजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बैंक इन बॉन्डों को बाजार में बेच सकते हैं।

पुनपूँजीकरण की आवश्यकता क्यों?

- बढ़ता NPA निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में, PSBs का कुल NPA विगत 10 वर्षों में तीव्रता से बढ़ा है (2013 में 2.9 फीसदी से 2016 में 13.8 फीसदी)।
- दिवाला और दिवालियापन संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code) के तहत निपटान प्रक्रिया (resolution process) के चलते बैंकों को 40-50 प्रतिशत (पूँजी) नुकसान होने की संभावना है।
- बेसल III मानकों का अनुपालन करने के लिए PSBs को 2019 तक 65 बिलियन डॉलर की आवश्यकता है।

बेसल III वस्तुतः बैंकिंग क्षेत्र के विनियमन, पर्यवेक्षण और जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल कमेटी द्वारा विकसित किए गए सुधार उपायों का एक व्यापक समूह है।

बेसल समिति की स्थापना *ब्यूरो ऑफ़ इंटरनेशनल सेटलमें*ट द्वारा की गई थी।

पुनर्पूंजीकरण योजना के संदर्भ में

- पुनर्पूंजीकरण की यह योजना तीन भागों का एक पैकेज है: बजट से 18,000 करोड़ रुपये, बैंकों द्वारा अपनी इक्विटी को कम करके
 प्राप्त किये जा सकने वाले 58,000 करोड़ रुपये तथा पुनर्पूंजीकरण बांड जारी करके 1.35 लाख करोड़ रुपये।
- यदि इस सम्पूर्ण वित्त की व्यवस्था बजट के माध्यम से की जाती तो सरकार पर अनावश्यक बोझ पड़ सकता था, जो कि अंततः राजकोषीय घाटे में परिणत होता।
- दूसरी ओर, अपनी इक्किटी को कम करने के संदर्भ में PSBs के हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि उन्हें 51% की सरकारी इक्किटी बनाए रखनी है।
- ऊपर वर्णित प्रथम दो भागों की तुलना में पुनर्पूंजीकरण बांड कम जोखिमयुक्त है, और तार्किक रूप से भी अधिकतम वित्तीय सहायता प्रदान करने में यह सहायक भी है।

पुनपूँजीकरण बांड जारी करने के निहितार्थ

- पुनर्पूंजीकरण से न केवल बैंकों को **बैड लोन** से निपटने में सहायता मिलेगी, बल्कि नये साख सृजन के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है, जो कि लम्बे समय से स्थिर बना हुआ है।
- इससे बैंक के **परिसंपत्ति-ऋण अनुपात** में भी सुधार होगा जिससे शेयर बाजार में इनकी अपनी इक्विटी रेटिंग में सुधार होगा। इससे निजी शेयरधारकों के आकर्षित होने की संभावना है।
- पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड जारी करने के परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटे में भी वृद्धि होगी। हालांकि, कैश न्यूट्रल ट्रांजैक्शन होने के कारण, राजकोषीय घाटा केवल बांडों पर ब्याज की लागत से ही प्रभावित होगा जिसका सरकार प्रति वर्ष भुगतान करती है।
- पुनर्पूंजीकरण बांड सरकारी ऋण देयता को GDP के 0.8% भाग के बराबर (वित्त वर्ष 17 में 47.5%) बढ़ा देंगे। हालांकि कोई अतिरिक्त सरकारी उधारी न होने के कारण, पुनर्पूंजीकरण बांड जारी करने से मुद्रास्फीति में वृद्धि होने की संभावना नहीं है।

पुनर्पुंजीकरण बांड के लाभ

- सरकार को बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए बिलों का भुगतान करने हेतु तत्काल कर राजस्व बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी, जिसका अर्थ है करदाता पर कम बोझ।
- बाजार के बजाय बैंकिंग सिस्टम से सीधे उधार लेने के चलते क्राउडिंग आउट से या बाजार व्यवस्था को विकृत करने से बचा जा सकता है।
- पुनपूँजीकरण बांड बैंकिंग वित्त को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि सरकार को ऋण देना उनके लिए सबसे सुरक्षित तरीका है। किसी भी मामले में, PSBs सरकारी प्रतिभूतियों में अपने वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) के अधिकांश भाग का बेहतर निवेश करते हैं।

पुनर्पूंजीकरण बांड की सीमाएँ

- यह विधि बैंकिंग प्रणाली के संरचनात्मक समस्याओं का समाधान नहीं है, जिसकी उत्पत्ति बैड लोन संकट, कमजोर प्रशासन प्रणाली, ऋण प्रदान करने के निर्णयन में चूक और NPAs की बार-बार अनदेखी के कारण हुई है। पूँजी प्रवाह की प्रकृति से पता चलता है कि यह एक प्रकार का बेल आउट है और जरूरी नहीं है कि यह बैंकों की संवृद्धि में सहायता करे।
- मौजूदा बाजार में ऋण की क्रेडिट माँग कमजोर है, जिसका बैंकिंग संचालन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

3.2. ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस : वर्ल्ड बैंक

(Ease of Doing Business: World Bank) सर्खियों में क्यों?

 हाल ही में, वर्ल्ड बैंक द्वारा 2018 के लिए ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट जारी की गयी, जिसमें भारत को 190 देशों में 100 वां स्थान प्राप्त हुआ है।

विवरण

- भारत ने विगत कुछ वर्षों से इस रिपोर्ट की रैंकिंग में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। 2017 की रैंकिंग में भारत को 130 वां स्थान प्राप्त हुआ था।
- भारत तीन श्रेणियों में शीर्ष 30 देशों में से एक है। ये श्रेणियाँ हैं: विद्युत आपूर्ति, ऋण प्राप्ति तथा छोटे निवेशकों की सुरक्षा।
- भारत ने 10 मापदण्डों में से छह में अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। यह ऐसा करने वाली एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है।
- भारत इस वर्ष के आकलन में प्रगति करने वाले शीर्ष 10 देशों में से एक है।

Fast Mover			
India's Performance in World Bank's e	ease of	doing b	usiness'
Indicator (Ranking)	2017	2018	
Starting a Business	155	156	
Dealing with Construction Permits	185	181	
Getting Electricity	26	29	
Registering Property	138	154	
Getting Credit	44	29	
Protecting Minority Investors	13	04	
Paying Taxes	172	119	wo
Trading across Borders	143	146	
Enforcing Contracts	172	164	
Resolving Insolvency	136	103	
Overall Ranking	130	100	



report

 हालांकि, वर्ल्ड बैंक ने उल्लेख किया है कि भारत व्यवसाय प्रारंभ करने, अनुबंध लागू करने और निर्माण परिमट जारी करने इत्यादि क्षेत्रों में अभी भी पीछे है।

रैंकिंग में सुधार हेतु उत्तरदायी कारक

- करों का भुगतान: वर्ष 2016 में आय संगणना और प्रकटीकरण मानक (Income Computation and Disclosure Standards: ICDS) (आय कर के प्रयोजन हेतु एक लेखा मानक) अपनाया/लागू किया गया। इसके द्वारा आय में कुछ बढ़ोत्तरी तथा व्यय को कुछ समय के लिए टालकर कंपनियों को लाभ की स्थिति तक लाया गया। इसी प्रकार इस नवीनतम सॉफ़्टवेयर के उपयोग से डेटा एकत्रण को स्वचालित कर लिया गया।
- निर्माण परिमट के संदर्भ में : भारत में निर्माण योजनाओं के अनुमोदन के लिए ऑनलाइन सिंगल विंडो व्यवस्था को लागू किये जाने से इमारतों के लिए निर्माण परिमट प्राप्त होने में तीव्रता आयी है।
- ऋण प्राप्त करना: भारत ने सुरक्षित लेनदारों को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए नियमों में संशोधन कर तथा एक नया इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (दिवाला और दिवालियापन संहिता) अपनाकर ऋण तक पहुंच को सुविधाजनक बनाया है।
- सीमा पार व्यापार: भारत ने मुंबई में न्हावा-शेवा बंदरगाह पर आधारभूत संरचना में सुधार करके लगने वाले समय को कम किया है। इससे आयात में लगने वाले समय में कमी आयी है। इसके साथ ही मर्चेंट ओवरटाइम फीस की समाप्ति से दिल्ली और मुंबई में निर्यात और आयात सीमा अनुपालन लागत में भी कमी आई है।

- **दिवालियापन का समाधान**: नये इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को अपनाने के अतिरिक्त देश में 'इन्सॉल्वेंसी एडमिनिस्ट्रेटर' के पेशे को भी विनियमित किया गया है।
- व्यवसाय प्रारम्भ करना: भारत ने SPICe फॉर्म (INC-32) को शुरू कर व्यापार निगमन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है। इसके अंतर्गत एक ही आवेदन में परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और टैक्स अकाउंट नंबर (TAN) के लिए आवेदन किया जा सकता है।

अन्य रिपोर्ट

वैश्विक निवेश प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट 2017

(Global Investment Competitiveness report 2017)

- यह वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है।
- यह किसी देश में निवेश के निर्णय को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को प्रदर्शित करती है।
- घरेलू बाजार का आकार, व्यापक आर्थिक स्थिरता और अनुकूल विनिमय दर, श्रम शक्ति प्रतिभा और कौशल तथा भौतिक बुनियादी
 ढांचा आदि इसमें शामिल हैं।

(नोट: नीति आयोग ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस के बारे में विस्तार से जानने के लिए इकॉनोमी मेंस-365 2017 देखिये।)

3.3. इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी

(Information Utility)

सर्खियों में क्यों?

• नेशनल ई-गवर्नेन्स सर्विसेज लिमिटेड (NeSL), इन्सॉल्वेंसी एन्ड बैंकरप्सी कोड 2016 के अंतर्गत दिवालियापन के मामलों के लिए भारत की पहली इनफार्मेशन यूटिलिटी (सूचना उपयोगिता) बन गयी है। इसके साथ ही इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ़ इंडिया (IBBI) द्वारा इनफार्मेशन यूटिलिटीज़ के स्वामित्व के मानदंडों को सरल किये जाने से स्टॉक एक्सचेन्जों में सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों को इनमें 100% हिस्सेदारी रखने की अनुमित प्राप्त हो गयी है।

इनफार्मेशन यूटिलिटी (IU) क्या है ?

- यह एक सूचना नेटवर्क है जो कंपनियों के उधार, डिफ़ॉल्ट और सुरक्षा हितों इत्यादि जैसे वित्तीय डेटा को संग्रहित करेगा।
- यह उद्यमों, वित्तीय संस्थानों, न्यायनिर्णयन प्राधिकरण, इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स और अन्य संबंधित हितधारकों से वित्तीय जानकारी प्राप्त करने, उसकी देखरेख करने और उसे उपलब्ध कराने में विशेषज्ञता धारण करेगा।
- **उद्देश्य** ऋण और डिफॉल्ट्स के संबंध में उच्च गुणवत्तायुक्त प्रमाणीकृत जानकारी प्रदान करना।
- वित्तीय ऋणदाताओं के लिए इनफार्मेशन यूटिलिटी को वित्तीय जानकारी प्रदान करना अनिवार्य है। अतः इनके द्वारा बनाये गए डेटाबेस और रिकॉर्ड, ऋणदाताओं को ऋण लेनदेन के संदर्भ में समुचित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करेंगे।
- यूटिलिटी के पास उपलब्ध सूचनाओं को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के समक्ष दिवालियापन के मामलों में साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
- ये इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 तथा IBBI (सूचना उपयोगिता) विनियम, 2017 द्वारा शासित होते हैं। IBBI इन संस्थाओं के पंजीकरण और निरस्तीकरण, शेयरधारिता तथा अभिशासन जैसे मामलों पर नज़र रखता है।
- चुनौतियां संवेदनशीलता के कारण प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करना; सूचना साझा करने में रुकावट और डेटा पायरेसी और डेटा चोरी संबंधी जोखिम इत्यादि।

3.4. प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद

(Economic Advisory Council to Prime Minister)

सर्खियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) की पहली बैठक आयोजित की गई जिसमें तीव्र आर्थिक संवृद्धि और रोजगार सूजन की आवश्यकता पर बल दिया गया।

पृष्ठभूमि

- यह प्रधानमंत्री द्वारा गठित एक स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर भारत सरकार, विशेष रूप से प्रधानमंत्री, को सलाह देने के लिए किया गया है।
- EAC की संदर्भ-शर्तों (Terms of reference) में शामिल हैं:
 - 🔾 प्रधानमंत्री द्वारा इसे संदर्भित किसी आर्थिक या अन्य मुद्दे का विश्लेषण कर उसके सम्बन्ध में प्रधानमंत्री को सलाह देना।

- व्यापक आर्थिक महत्व के मृद्दों को संबोधित करना एवं प्रधानमंत्री को इनके संदर्भ में राय प्रदान करना।
- यह स्वत: संज्ञान से अथवा प्रधानमंत्री या किसी अन्य द्वारा संदर्भित मुद्दों का विश्लेषण करेगी। इसके साथ ही यह समय-समय पर प्रधानमंत्री द्वारा वांछित किसी अन्य कार्य को संपन्न करेगी।
- इसका गठन पहली बार 1980 के दशक में उस समय किया गया था, जब राष्ट्रीय आय में गिरावट आई थी तथा वैश्विक तेल संकट और सूखे के प्रभाव के कारण मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई थी।
- इसे तीन दशकों तक जारी रखा गया तथा वर्ष 2014 में इसे समाप्त कर दिया गया था।
- नवगठित पांच सदस्यीय परिषद में डॉ. बिबेक देबराय (अध्यक्ष), डॉ. सुरजीत भल्ला, डॉ. राथिन रॉय, डॉ. आशिमा गोयल एवं रतन वाटल शामिल हैं।
- इसके द्वारा अनेक ऐसे विषयों की पहचान की गयी है जिन पर यह परिषद रिपोर्ट तैयार करेगी। उदाहरण के लिए आर्थिक विकास, रोजगार और रोजगार सृजन, अनौपचारिक क्षेत्रक, राजकोषीय ढांचा, मौद्रिक नीति, सरकारी व्यय, आर्थिक प्रशासन के संस्थान, कृषि और पशुपालन, उपभोग और उत्पादन के पैटर्न और सामाजिक क्षेत्र आदि।
- इसके अतिरिक्त एक और क्षेत्र की पहचान की गयी है, जहाँ इसे महत्वपूर्ण कार्य करना है। संसूचित मूल्यांकन (informed assessment) और विश्लेषण के आधार पर प्रमुख सूचकों का प्रयोग करते हुए इकॉनमी ट्रैक मॉनिटर की स्थापना कर इसे प्रमुख आर्थिक मानदंडों (parameters) के प्रभावी निगरानी करने की आवश्यकता होती है।

EAC-PM की आवश्यकता

- अर्थव्यवस्था में संवृद्धि की दर और रोजगार सृजन की धीमी गित को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं।
- वर्तमान राजकोषीय वर्ष की पहली तिमाही में GDP संवृद्धि दर 5.7 % रही है, जो कि विश्व में सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की सूची में भारत को चीन के बाद दूसरे स्थान पर रखती है।
- बढ़ते NPA के कारण बैंक अत्यधिक दबावग्रस्त हैं। भारत की क्रेडिट ग्रोथ की स्थिति चिंताजनक है।
- उच्च ब्याज दर कई मायनों में लघु और मध्यम उद्यमों को कर्ज लेने और उनके फंड ग्रोथ को हतोत्साहित करती है। इससे रोजगार सृजन की गति कम होती है, और निवेश चक्र प्रभावित होता है।
- EAC-PM, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री को दी जाने वाली सलाह में एक गुणात्मक बदलाव लाएगी। इसके अतिरिक्त, इससे प्रधानमंत्री के पास सलाह का एक नया स्रोत होगा और सरकारी प्रणाली में एक वैकल्पिक राय लेने का अवसर प्राप्त होगा।
- परिषद विभिन्न हितधारकों के माध्यम से, आवश्यक कार्रवाई के संदर्भ में सिफारिश देने और इन कार्रवाईयों को समर्थ बनाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है।
- यह मौद्रिक नीति और राजकोषीय फ्रेमवर्क पर भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ मिलकर कार्य करेगी।

नीति आयोग और मुख्य आर्थिक सलाहकार कार्यालय के मध्य टकराव

- इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की जा रही है कि जब पहले से ही सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग और मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) के कार्यालय जैसे विभिन्न संस्थान उपस्थित हैं, तो ऐसे में EAC-PM किस सीमा तक योगदान कर सकेगी।
- इसके अतिरिक्त, सरकार को नौकरशाहों, उद्योग जगत, उपभोक्ता समूहों, थिंक टैंक आदि से भी नीतिगत सुझाव प्राप्त होते रहते हैं।
- हालांकि, अक्सर इन हितधारकों में से प्रत्येक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक विशिष्ट हित समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विदेशी निवेशक आदि। कई बार ये एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने में समर्थ नहीं होते।
- अपनी आंतरिक विशेषज्ञता, स्थिति और प्रधानमंत्री तक प्रत्यक्ष पहुंच को देखते हुए, EAC-PM को गैर-पक्षपातपूर्ण नीतिगत सलाह प्रदान करने के लिए एक प्रणालीगत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसमें विभिन्न हितधारक समूहों के हितों को एक साथ जोड़ना भी शामिल है, जिसमें वे हितधारक भी शामिल होते हैं जो प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम नहीं होते हैं।
- एक ओर जहाँ, CEA केंद्रीय वित्त मंत्री को रिपोर्ट करता है और आर्थिक वास्तविकता और पूर्वानुमानों के साथ आर्थिक सर्वेक्षण को तैयार करता है। यह अर्थव्यवस्था के लिए भविष्य के अवसरों और चुनौतियों का अनुमान लगाने के लिए आधार प्रदान करता है।
- दूसरी ओर नीति आयोग, विभिन्न सरकारी विभागों और राज्य सरकारों को नीति निर्माण, उनकी निगरानी तथा पर्यवेक्षण पर विशेषज्ञ सलाह प्रदान करता है।
- CEA से प्राप्त डेटा विश्लेषण तथा नीति आयोग से प्राप्त सरकारी विभागों और राज्य सरकारों की कार्यान्वयन क्षमताओं की समझ के आधार पर EAC-PM, प्रधानमंत्री को नीतिगत सलाह प्रदान करने के संदर्भ में एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की स्थिति में होगा।

3.5. कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सेबी पैनल

(SEBI Panel on Corporate Governance)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर **उदय कोटक पैनल** ने अपनी रिपोर्ट सेबी को सौंप दी है। इसके द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस में विभिन्न परिवर्तन किये जाने की अनुशंसा की गयी है।
- कॉर्पोरेट गवर्नेंस वस्तुतः उन नियमों, प्रक्रियाओं और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है, जिसके द्वारा कोई कंपनी निर्देशित और नियंत्रित होती है।
- इसमें अनिवार्य रूप से शेयरधारकों, प्रबंधन, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, फाइनेंसरों, सरकार और समुदाय जैसे अनेक हितधारकों के हितों में संतुलन स्थापित करना शामिल है।

पृष्ठभूमि

- भारत का कॉर्पोरेट क्षेत्र वर्तमान में अतिरिक्त ऋण और बोर्डरूम विवादों (excess debt and boardroom disputes) की समस्या का सामना कर रहा है। बोर्डरूम विवादों के हालिया उदाहरण टाटा और इन्फोसिस के विवाद हैं।
- पूर्व में विभिन्न समितियों, जैसे कि कुमार मंगलम बिड़ला (1999) और एन. आर. नारायण मूर्ति (2003) की अध्यक्षता में बनी समितियों ने भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मानकों में सुधार की प्रक्रिया में योगदान दिया है।

उदय कोटक पैनल की अनुशंसाएँ

- लेखा परीक्षा समिति के संबंध में- इसके द्वारा लेखा-परीक्षा समिति की न्यूनतम 5 बैठकों की अनुशंसा की गयी है, जिससे तिमाही रिपोर्टिंग के अतिरिक्त मामलों को संबोधित करने हेतु अपेक्षित समय प्रदान किया जा सके। इसके अतिरिक्त, लेखा-परीक्षा समिति को-
 - ि किसी सूचीबद्ध संस्था द्वारा अपने विदेशी अनुषंगी संस्था सहित गैर-सूचीबद्ध अनुषंगी कंपनियों में निवेश की गयी निधियों के उपयोग की समीक्षा करनी चाहिए।
 - यदि होल्डिंग कंपनी के पास रकम 100 करोड़ रूपये से अधिक हो तो ऋण, अग्रिम और निवेश के उपयोग की समीक्षा करनी चाहिए।

स्वतंत्र निदेशक (Independent Directors: ID)

- सेबी द्वारा लिस्टिंग एग्रीमेंट, 2000 के क्लॉज 49 के माध्यम से स्वतंत्र निदेशक की अवधारणा प्रस्तुत की गयी है। क्लॉज
 49 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानदंडों से संबंधित है।
- स्वतंत्र निदेशक वस्तुतः प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक या नामांकित निदेशक के अतिरिक्त किसी कंपनी के बोर्ड में निदेशक होते हैं।
- स्वतंत्र निदेशक शेयरधारकों, विशेष रूप से अल्पसंख्यक शेयरधारकों के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हैं। इनसे किसी
 मामले में कंपनी के अतिरिक्त अन्य बाहरी दृष्टिकोण प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है, जिससे चेक और बैलेंस
 सुनिश्चित होता है।
- कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत:
 - कोई ID प्रमोटर नहीं होना चाहिए; न ही इसे कंपनी के प्रमोटर, सहायक कंपनी अथवा किसी सहयोगी से सम्बंधित होना चाहिए।
 - ID कंपनी का कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
 - ID का पूर्व दो वित्तीय वर्षों में या चालू वित्त वर्ष में कंपनी के साथ किसी भी प्रकार का आर्थिक संबंध नहीं होना चाहिए।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति के संबंध में:

- सिमिति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 2/3 सदस्य स्वतंत्र निदेशकों के रूप में होने चाहिए।
- सिमिति की भूमिका में 'सीनियर मैनेजमेंट' में शामिल होने योग्य व्यक्तियों की पहचान करना तथा निदेशक मंडल को उनकी नियक्ति और निष्कासन के सम्बन्ध में सिफारिश करना सिम्मिलित है।
- o सिमिति की बैठक के लिए कोरम: सभी हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए पैनल ने सिफारिश की है कि कोरम की पूर्ति के लिए, कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक को ऐसी बैठक में शामिल होना अनिवार्य बनाया जा सकता है।

• स्वतंत्र निदेशकों के पारदर्शी रूप से कार्य करने के लिए:

- कंपनियों को बोर्ड में उपस्थित सभी निदेशकों की योग्यता को सुचीबद्ध करना होगा।
- o किसी सूचीबद्ध संस्था के बोर्ड में कम से कम आधे (पहले 1/3) और **छह स्वतंत्र निदेशकों के साथ** स्वतंत्र निदेशक मंडल का गठन किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशकों में कम से कम **एक महिला निदेशक** होनी चाहिए।
- किसी नये स्वतंत्र निदेशक के लिए औपचारिक रूप से प्रशिक्षण (induction) अनिवार्य होना चाहिए और वर्तमान निदेशकों के लिए पांच वर्ष में कम से कम एक बार प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए।
- सूचीबद्ध कंपनियों को स्वतंत्र निदेशकों के त्यागपत्र के विस्तृत कारणों का भी खुलासा करना चाहिए। इसके साथ ही इन कंपनियों को किसी भी स्वतंत्र निदेशकों के स्थान पर वैकल्पिक निदेशक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति की अनुमित नहीं दी जानी चाहिए।
- यह उनके लिए न्यूनतम मुआवजा देने की सुविधा प्रदान करती है और कंपनी मामलों के संबंध में चर्चा करने के लिए उनके मध्य आपस में अधिक नियमित रूप से विशेष बैठकें बुलाई जा सकती हैं।

अनुपालन और नियमों के सन्दर्भ में:

- ् निदेशक मंडल को एक वर्ष में कम से कम एक बार विनियामक और अनुपालन संबंधी परिवर्तनों से अवगत कराया जाए।
- सिमिति ने गैर-कार्यकारी निदेशकों और विरष्ठ प्रबंधन के बीच नियमित वार्ता की अपेक्षा की है।
- सूचीबद्ध कंपिनयों के अध्यक्ष और MD-CEO की भूमिकाओं को पृथक् किया जाए। ऐसी आपसी वार्ता वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होनी चाहिए।

बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए-

- \circ े उत्तराधिकारी के संबंध में वार्ता और जोखिम प्रबंधन के लिए वर्ष में कम से कम एक बार चर्चा अवश्य होनी चाहिए।
- स्वतंत्र निदेशकों के हितों की रक्षा के लिए बाजार पूंजीकरण के दृष्टिकोण से शीर्ष 500 कंपनियों को अपने स्वतंत्र निदेशकों हेतु
 'निदेशक और अधिकारी बीमा' का उत्तरदायित्व लेना आवश्यक है।

निष्कर्ष

- कोटक समिति की सिफारिशों से सचीबद्ध कंपनियों के कार्यों और बोर्ड में पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ने की उम्मीद है।
- चूंकि प्रस्तावित परिवर्तनों में से कुछ की प्रकृति संरचनात्मक है, इसलिए इनके चरणबद्ध कार्यान्वयन के लिए समय सीमा प्रदान की जानी चाहिए। प्रतिभूति बाजार नियामक को सूचीबद्ध कंपनियों को अधिक प्रभावी ढंग से विनियमित करने और छोटे शेयरधारकों के हितों की रक्षा करने में सक्षम होने के लिए अपनी क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता है।

3.6. स्टेट ऑफ़ कमोडिटी डिपेंडेंसी 2016: UNCTAD

(State of Commodity Dependency 2016: UNCTAD)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में UNCTAD ने स्टेट ऑफ़ कमोडिटी डिपेंडेंसी रिपोर्ट, 2016 प्रस्तुत की है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

- जब किसी देश का कमोडिटी निर्यात, मूल्य के आधार पर उसके कुल व्यापार के 60 प्रतिशत से अधिक होता है तो उस देश को कमोडिटी पर निर्भर माना जाता है।
- िकसी विशेष देश में यदि यह भाग 80 प्रतिशत से अधिक है तो इसे "मजबूत रूप से" कमोडिटी निर्यात पर निर्भर माना जाता है।
- 2010 और 2015 के बीच 9 अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ कमोडिटी निर्यात पर निर्भर हो गई हैं। वर्तमान में 135 विकासशील देशों में कुल 91 देश (अर्थात् दो तिहाई विकासशील देश) कमोडिटी निर्यात पर निर्भर हैं।
- वर्ष 2014 -15 में भारत के कमोडिटी निर्यात का कुल मूल्य 44.3 प्रतिशत बढ़कर 1,22,500 मिलियन डॉलर हो गया, जो 2009 -10 में 84,861 मिलियन डॉलर था।

अंकटाड (United Nation Conference on Trade and Development)

- यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1964 में स्थापित एक स्थायी अंतरसरकारी संस्था है।
- यह संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का एक अंग है तथा व्यापार, वित्त, निवेश और विकास के मुद्दों से निपटने वाला एक मुख्य निकाय भी है।

विश्लेषण

• विकासशील देशों, विशेष रूप से जिनके विदेशी मुद्रा आय की प्राप्ति मुख्यतः प्राथमिक वस्तुओं के निर्यात से होती है, के दृष्टिकोण से देखा जाये तो ऐसी कमोडिटी निर्भरता वृहद् आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न करती है तथा व्यापक आर्थिक प्रबंधन को जटिल बना देती है।

- इसका कारण यह है कि विगत वर्ष में अंतरराष्ट्रीय वस्तुओं की कीमतों में 50 प्रतिशत की कमी आई है, जो निर्यात राजस्व में अनियमितता उत्पन्न कर रही है। कीमतों में अस्थिरता विदेशी मुद्रा भंडार में अस्थिरता का कारण बनती है तथा इससे विकास में भी अस्थिरता आती है।
- कीमतों में अस्थिरता कम-आय वाले देशों (LIC) में गरीबी को प्रभावित करती है क्योंकि अधिकतर गरीब लोग अपनी आजीविका के लिए प्राथमिक वस्तओं के उत्पादन पर निर्भर होते हैं।
- इसके अतिरिक्त, दीर्घ अविध में, प्राथिमक वस्तुओं पर निर्भरता एक देश की सुभेद्यता को बढ़ाती है। इसका कारण यह है कि (गैर-तेल) प्राथिमक वस्तुओं के मुल्य दीर्घ अविध के दौरान काफी हद तक गिरावट का रुझान दर्शाते हैं।
- कमोडिटी की कीमतों में निरंतर गिरावट एक देश की ऋण स्थिरता स्थितियों को भी खतरे में डालती है। क्योंकि कमोडिटी की कीमतों में गिरावट से निर्यात-लाभ में कमी आती है और ऋण अनुपात बढ़ जाता है।

आगे की राह

- प्राइमरी कमोडिटी की कीमतों को स्थिर करने की आवश्यकता है। साथ ही, इनके कीमतों में अत्यधिक गिरावट की स्थिति में कमोडिटी उत्पादकों को मुआवजा प्रदान करने के लिए एक तंत्र निर्मित करने की आवश्यकता है।
- यद्यपि हाल में आय स्थिरीकरण के उपायों की ओर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है, फिर भी प्राथमिक वस्तुओं के निर्यात पर निर्भरता को कम करते हुए विविधीकरण को बढ़ावा देना दीर्घकालिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा।

3.7. खाद्य तेल आयात

(Edible Oil Import)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आयातित खाद्य तेल पर भारत की निर्भरता वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ने की संभावना है।

पृष्ठभूमि

- भारत प्रमुख तिलहन उत्पादकों और खाद्य तेल आयातकों में से एक है। भारत की वनस्पित तेल अर्थव्यवस्था का अमेरिका, चीन और ब्राजील के बाद विश्व में चौथा स्थान है।
- तिलहन, सकल फसली क्षेत्र के 13%, GDP के 3% और सभी कृषि वस्तुओं के मूल्य 10% के लिए जिम्मेदार है।
- भारत के कुल खाद्य तेल आयात में पॉम ऑयल की हिस्सेदारी आधे से अधिक है।
- तिलहन और खाद्य तेल उत्पादन में भारत को आत्मिनभिर बनाने के लिए विभिन्न सरकारी पहलों की शुरुआत की गई है। (बॉक्स में विवरण देखें)

ISOPOM (तिलहन, दलहन, पॉम ऑयल और मक्का की एकीकृत योजना)

- इसके तहत तिलहन, दलहन, पॉम ऑयल और मक्का से संबंधित चार योजनाओं को एक केंद्र प्रायोजित योजना ISOPOM में एकीकृत कर दिया गया है।
- यह कृषि सहकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।
- प्रजनक (ब्रीडर) बीज की खरीद, आधार बीज का उत्पादन, प्रमाणित बीज आदि के उत्पादन और वितरण के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

तिलहन और पॉम ऑयल पर राष्ट्रीय मिशन (NMOOP)

- इसे तीन उप मिशन के तहत लागू किया जाता है; MM I ऑयल सीड्स ,MM II पॉम ऑयल , MM III TBOs (ट्री बेस ऑइल)।
- मिशन का लक्ष्य वित्त वर्ष 2019 तक तिलहन का उत्पादन 42 mn टन तक बढ़ाना है, जो कि वित्तीय वर्ष 2017 में 34 mn टन अनुमानित है।
- NMOOP के लिए रणनीति और दिशानिर्देशों में शामिल हैं:
- इनके विकल्पों पर बल देते हुए बीज प्रतिस्थापन अनुपात (SRR) में वृद्धि;
- तिलहन के सिंचित क्षेत्र को 26% से बढ़ाकर 36% करना,
- कम उपज वाली अनाज फसलों से तिलहन के क्षेत्र में विविधीकरण,
- अनाज / दालों / गन्ना के साथ तिलहन की कृषि,

- धान / आलू की कृषि के पश्चात परती भूमि का उपयोग
- वाटरशेड और बंजर भूमि में पॉम ऑयल और ट्री बेस्ड तिलहनों की कृषि का विस्तार,
- गुणवत्ता वाले रोपण सामग्री की उपलब्धता में वृद्धि;
- तिलहनों की खरीद और संग्रह को बढ़ाना
- ट्री बेस्ड तिलहनों का प्रसंस्करण।

आयात की आवश्यकता:

• कृषि परिस्थितियाँ

- भारत में तिलहन उत्पादन मुख्य रूप से वर्षा सिंचित क्षेत्रों में होता है। देश में तिलहन उत्पादन क्षेत्र का केवल एक चौथाई भाग सिंचित है।
- 🔾 विगत दो वर्षों में लगातार सूखे के कारण तिलहन उत्पादन और घरेलू खाद्य तेल का उत्पादन कम हुआ है।
- वर्ष 2017-18 की बात करें तो प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में बाढ़ के कारण कम बुवाई और फसल की क्षिति से सोयाबीन के उत्पादन क्षेत्र का आकार कम हो गया है, जिससे तेल निष्कर्षण प्रभावित हुआ है।
- 🔾 विगत वर्ष स्पॉट मार्केट में मूल्यों में आयी गिरावट के कारण ख़रीफ़ मौसम में तिलहन फसलों का बुवाई क्षेत्र भी कम रहा।
- भारत में विभिन्न तिलहन फसलों की औसत पैदावार में वृद्धि हुई है, लेकिन फिर भी यह अन्य प्रमुख तिलहन उत्पादक देशों से काफी पीछे है।

प्रसंस्करण उद्योग

 प्रसंस्करण उद्योग स्थानीय उपभोग के लिए तेल की आपूर्ति करने हेतु रिपैिकंग और वितरण का कार्य करते हैं। इस हेतु वे तेल सम्मिश्रण के लिए परिष्कृत तेल के आयात पर अधिक फोकस करते हैं।

• वैश्विक प्रतिस्पर्धा और घरेलू मांग

- o मौजूदा आयातित वनस्पिति तेल और पॉम ऑयल घरेलू बाजार में उत्पादित अन्य तिलहन से सस्ता है।
- े देश में वार्षिक खाद्य तेल की मांग करीब 22 मिलियन टन है और यह प्रति वर्ष 3 से 4% की दर से बढ़ रही है। भारत अपनी कुल खाद्य तेल की मांग का केवल 40% ही उत्पादित करता है और शेष की आपूर्ति सामन्यतया दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रगतिशील पॉम ऑयल उद्योग से की जाती है।

• आयात नीति

o खाद्य तेल पर वर्तमान आयात शुल्क अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल की कीमतों में दीर्घकालीन गिरावट पर आधारित है। इसके चलते कच्चे तेल या अपरिष्कृत तेल की तुलना में परिष्कृत तेल का आयात अधिक आकर्षक बन जाता है।

आगे की राह

तिलहन उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जाने चाहिए :

- गुणवत्तापूर्ण बीज और बेहतर अवसंरचनात्मक स्विधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- कृषि क्षेत्र में ऋण और बीमा संबंधी ढांचे का विस्तार किया जाना चाहिए और ऋण तथा बीमा नीतियों को किसान-अनुकूल होना चाहिए।
- बेहतर तकनीक के संदर्भ में किसानों को जागरूक बनाना और बाजार से बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करना।
- अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में निवेश करना तथा नई स्थान-विशिष्ट उच्च उपज देने वाली किस्मों का विकास करना।
- भारतीय रिफाइनरियों की उच्च क्षमता का उपयोग करना जो कि अभी तक स्थापित क्षमता का मात्रा 35% है। ये किसानों और उद्योगों को काफी लाभ प्रदान कर सकते हैं।

3.8. सिल्क उत्पादन को प्रोत्साहन

(Boosting Silk Production)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में सरकार ने भारत में रेशम उत्पादन में वृद्धि के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (NERTPS) के तहत 24 जिलों में
 690 करोड़ रुपये निवेश किये हैं।

उत्तर पूर्व क्षेत्रीय वस्त्र संवर्धन योजना (NERTPS)

 इसका उद्देश्य कच्चे माल, मशीनरी, कौशल विकास आदि से संबंधित आवश्यक सरकारी सहायता प्रदान करके पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र क्षेत्रक को विकसित करना और उसका आधुनिकीकरण करना है।

- यह दो व्यापक श्रेणियों अर्थात, एकीकृत रेशम उत्पादन विकास परियोजना (ISDP) और इंटेंसिव बिवोल्टिन सेरीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट [IBSDP] के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है।
- यह वस्त्रों के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए वस्त्र मंत्रालय के तहत एक अम्ब्रेला योजना है, अर्थात इसमें रेशम, हथकरघा, हस्तिशिल्प और कपड़े इत्यादि शामिल है।

भारत में रेशम उद्योग (Sericulture)

- भारत विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह उद्योग देश में 8.25 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है।
- भारत में उत्पादित चार प्रमुख प्रकार के रेशम हैं: शहतूत, टसर, मूगा, इरी। इसमें शहतूत की भागीदारी कुल कच्चे रेशम उत्पादन में
 70% है।
- भारत में शहतूत रेशम का उत्पादन मुख्य रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तिमलनाडु, जम्मू और कश्मीर और पश्चिम बंगाल राज्यों में होता है। जबिक अन्य प्रकार के रेशम का उत्पादन मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर-पूर्वी राज्यों में होता हैं।
- कर्नाटक रेशम का अग्रणी उत्पादक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का स्थान आता है।
- भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को रेशम की सभी वाणिज्यिक किस्मों के उत्पादन का अनूठा गौरव प्राप्त है। यह क्षेत्र देश के कुल रेशम उत्पादन में लगभग 21 प्रतिशत का योगदान देता है।
- भारत में लगभग 85 प्रतिशत रेशम की खपत हथकरघा उद्योग में होती हैं। जबकि पावरलूम उद्योग शेष भाग का उपयोग करता है।

रेशम संबंधी अन्य तथ्य

- यह कैटरपिलर (रेशमकीट) द्वारा स्नावित तरल प्रोटीन से निर्मित होता है।
- एशिया विश्व में रेशम का मुख्य उत्पादक है और कुल वैश्विक उत्पादन का 95% से अधिक उत्पादित करता है।
- चीन और भारत रेशम के दो प्रमुख उत्पादक देश हैं। इनके बाद जापान, ब्राजील और कोरिया का स्थान है।
- वन्य रेशम जंगली रेशमकीटों की गैर-शहतूत रेशम किस्मों को संदर्भित करते हैं जो कि केस्टर, केसरू, साल आदि की पत्तियों पर निर्भर होते हैं। इनमें टसर, इरी और मूंगा रेशम शामिल हैं।

रेशम-उत्पादन की प्रासंगिकता

- **लो जेस्टेशन टाइम और उच्च रिटर्न**; उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों में एक वर्ष में पांच फसलें उगाई जा सकती हैं।
- महिलाओं के अनुकूल उद्यम वर्तमान में इसमें 60% से अधिक महिलाएं कार्यरत हैं।
- यह समाज के कमजोर वर्गों के लिए आदर्श कार्यक्रम है, क्योंकि यह कम पूंजी लागत वाला उद्योग है।
- पर्यावरण-अनुकूल गतिविधि: अच्छी पत्तियां होने और जड़ के विस्तृत होने के साथ ही यह बारहमासी फसल भी है। इससे शहतूत मृदा संरक्षण में योगदान भी देता है और हरित आवरण प्रदान करता है। रेशम के कीटों के पालन से व्युत्पन्न अपशिष्ट को उद्यान के लिए आगत के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।
- **इक्विटी की चिंताओं दूर करता है :** अंतिम-उत्पाद के अधिकतर उपयोगकर्ता उच्च आर्थिक समूहों (संपन्न लोग) से हैं। इन उच्च आय समूहों से कम आय समूहों की ओर धन प्रवाह होता है।
- **श्रमिक सघन और उच्च आय सृजक** यह विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार पैदा करता है और विदेशी मुद्रा अर्जन का एक साधन है।

सिल्क इंडस्ट्री के विकास के लिए एकीकृत योजना

- केंद्रीय सिल्क बोर्ड द्वारा कार्यान्वित यह एक केंद्र प्रयोजित योजना है,
- इसमें निम्नलिखित चार घटक होते हैं:
 - अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और आई.टी. पहल,
 - ० सीड आर्गेनाइजेशन
 - समन्वय और बाजार विकास.
 - o गुणवत्ता सर्टिफिकेशन तंत्र (QCS) / एक्सपोर्ट ब्रांड प्रोमोशन एंड टेक्नोलॉजी अप-ग्रेडेशन
- यह घरेलू रेशम की उत्पादन, गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि देश की निर्भरता आयातित रेशम पर कम हो सके।

उद्योग के समक्ष चुनौतियां

- निर्यात आय में कमी वैश्विक मंदी और पश्चिमी देशों में रेशम उत्पादों की मांग में कमी के कारण निर्यात में कमी आ रही है। रुपये के मूल्य में गिरावट से निर्यात प्रभावित हुआ है। हालांकि रेशम निर्यातकों को संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, थाईलैंड आदि गैर-पारंपरिक / नये बाज़ार प्राप्त हुये हैं।
- **हथकरघा के नाम पर पावरलूम की बिक्री** पॉवरलूम बहुत सस्ता होता है। अतः **हथकरघा के नाम पर पावरलूम की बिक्री** के कारण हथकरघा श्रमिकों को उनकी कड़ी मेहनत के बावजूद उचित लाभ नहीं मिलता है। पॉवरलूम बहुत सस्ता भी होता है।
- **बुनाई की ओर युवाओं के रुझान में कमी आई है** क्योंकि कोई भी व्यक्ति कम तनावयुक्त कार्य करके पॉवरलूम में उतना ही धन अर्जित कर सकता है।
- प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य निर्धारण सस्ते आयातित चीनी रेशम या कृत्रिम /िसंथेटिक रेशम यार्न का मिश्रण, प्राकृतिक रेशम व्यापारियों के व्यापार को संकट में डाल रहा है।
- बुवाई क्षेत्रफल में गिरावट देश में शहतूत (मलबरी) रेशम के बुवाई क्षेत्रफल में कमी आई है। इसका कारण तीव्र शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और कृषि श्रम की कमी है।
- विदेशी रेशम पर प्रतिबन्ध लगाना, व्यापारियों के लिए एकीकृत बाजार का निर्माण करना और रेशम उत्पादन के अपर्याप्त ज्ञान संबंधी मुद्दों पर सरकार अपर्याप्त ध्यान दे रही है।

संबंधित निकाय

केंद्रीय सिल्क बोर्ड - यह कपड़ा मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है। इस पर रेशम उद्योग के विकास का संपूर्ण उत्तरदायित्व है भारतीय सिल्क प्रमोशन काउंसिल - इसने रेशम उद्योग की संवृद्धि और विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की है। यह विश्व स्तर पर व्यापार प्रदर्शनियों और मेलों का आयोजन करती है। यह निर्यातकों और संभावित ग्राहकों के बीच बैठकें आयोजित करता है।

आगे की राह

- अधिक दक्षता और तालमेल के लिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड उप-प्रणालियों के बीच मजबूत संबंध की स्थापना की जानी चाहिए। क्योंकि रेशम उत्पादक और रेशम उद्योग बेहद बिखरे हुए हैं और असंगठित हैं।
- कृत्रिम त्वचा और अन्य चिकित्सा अनुप्रयोगों जैसे रेशम के गैर-पारंपरिक उपयोगों पर पर्याप्त बल से उच्च मूल्य संवर्धन में सकारात्मक दबाव पैदा हो सकता है।
- एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने से सस्ते कच्चे चीनी रेशम और इनसे निर्मित कपड़ों से भारतीय रेशम बाजार को कुछ हद तक संरक्षण प्राप्त होगा।
- संभावित पारंपरिक और गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में रेशम उत्पादन के लिए संभावित समुहों की पहचान और उन्हें प्रोत्साहन देना।
- संरचित और विशेष रूप से डिजाइन किए प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से कौशल उन्नयन।
- बेहतर और संकर नस्लों के विकास के लिए शोध परियोजनाओं के माध्यम से उचित लागत प्रभावी तकनीकों का विकास करना।

3.9.दूरसंचार क्षेत्र

(Telecom Sector)

सुर्ख़ियों में क्यों?

टाटा टेली सर्विसेज के बंद होने के सन्दर्भ में हालिया रिपोर्ट ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र में दबाव के मुद्दे को उठाया है।

राष्ट्रीय दूर संचार नीति 2012 के महत्वपूर्ण बिंदु

- **लाइसेंसिंग**: सभी दूरसंचार सेवाओं के लिए एक एकीकृत लाइसेंस प्रदान करने, सम्पूर्ण देश के लिए एकल-लाइसेंस प्रणाली को स्थापित करने और रोमिंग शुल्क की समाप्ति के द्वारा लाइसेंसिंग ढांचे को सरल बनाना है।
- स्पेक्ट्रम: यह उस प्रणाली के माध्यम से स्पेक्ट्रम को उदार बनाने की कोशिश करती है जहां स्पेक्ट्रम को समूहीकृत किया जा सकता है, साझा और व्यापार किया जा सकता है।
- कनेक्टिविटी: इस नीति का लक्ष्य है कि मौजूदा स्तर 39% से , ग्रामीण टेली घनत्व को 2017 तक 70% , और 2020 में 100% तक बढ़ाया जाए। 2014 तक सभी ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड की उपलब्धता और 2020 तक 'ब्रॉडबैंड के अधिकार' को मूर्त रूप देना है।
- घरेलू उद्योग का संवर्धन: देश की सुरक्षा के संदर्भ में खरीद में वरीयता के माध्यम से या सरकार के उपयोग के लिए घरेलू उद्योगों को प्राथमिकता देना है।
- विधि निर्माण: भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के साथ-साथ ट्राई (TRAI) अधिनियम की समीक्षा करना उचित होगा ताकि ट्राई के प्रभावी संचालन में बाधाओं को दूर किया जा सके।

भारत में दूरसंचार क्षेत्र

- जुलाई 2017 में भारत विश्व के दूसरे सबसे बड़े दूरसंचार नेटवर्क के साथ लगभग 1,210.71 मिलियन ग्राहक आधार वाला देश है।
- भारत में टेली घनत्व (प्रति 100 व्यक्तियों के लिए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या के रूप में परिभाषित) वित्त वर्ष 2007 के 17.9 से बढ़कर वित्त वर्ष 2018 में 93.88 हो गया।
- इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या के मामले में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। यह वर्ष 2025 तक 4.7 अरब वैश्विक उपभोक्ताओं में से 700 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ आभासी दुनिया (virtual world) में अग्रणी भूमिका निभाएगा।
- एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट इंडिया के अनुसार भारत में वर्ष 2021 तक स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की संख्या चार गुना बढ़कर 810 मिलियन तक पहुंचने की संभावना है। दूसरी ओर कुल स्मार्टफोन ट्रैफिक 2021 तक 17 गुना बढ़कर प्रति माह 4.2 Exabytes (EB) होने की संभावना है।
- दूरसंचार विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार मोबाइल उद्योग वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 6.5 प्रतिशत का योगदान देता है और 40 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है।
- वर्तमान में दूरसंचार क्षेत्र, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2012 द्वारा शासित है।

संबंधित मुद्दे

इस क्षेत्र के समक्ष आने वाली प्रमुख समस्याओं में से एक लाभप्रदता का कम होना है जो दोहरे तुलन पत्र (twin balance sheet-TBS) की समस्या को और अधिक बढ़ा रही है। निम्न मुद्दों से लाभप्रदता प्रभावित हो रही है:

- राजस्व में कमी नये प्रवेशकों के कारण कीमतों में नाटकीय कमी आयी है और प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व 22% तक कम हो गया है।
- उच्च ऋण स्पेक्ट्रम की अस्थिर कीमतें और कम राजस्व भी उच्च ऋण के कारण हैं। उद्योग के सूत्रों के अनुसार, सभी दूरसंचार कंपनियां लगभग 5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लेती हैं।
- करों का अधिक होना इस क्षेत्र पर सरकारी कर अंतर्राष्ट्रीय मानकों से 30 प्रतिशत अधिक है। जबिक अन्य दक्षिण एशियाई देशों जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में यह 20 प्रतिशत की रेंज में है।
- स्पेक्ट्रमों की अधिक कीमतें भारत में स्पेक्ट्रमों की कीमतें विश्व स्तर पर सर्वाधिक हैं। हालांकि दूरसंचार कंपनियों को व्यवसाय में
 टिके रहने और प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए इन्हें खरीदना पड़ता है।
- व्हाट्सएप जैसे **ओवर-द-टॉप (over-the-top) ऑपरेटरों से प्रतिस्पर्धा**, जिन्हें सरकार को करों या शुल्कों का भुगतान नहीं करना पड़ता है।
- प्रतिबंधात्मक सरकारी नीतियां उदाहरण के लिए क्रॉस-होल्डिंग मानदंड दूरसंचार कंपनियों को विलय और अधिग्रहण द्वारा अन्य ऑपरेटरों में अलग-अलग हिस्सेदारी रखने से प्रतिबंधित करते हैं, जैसे कि रिलायंस जियो (RJio) या एयरटेल, टाटा टेलीसर्विसेज या एयरसेल में हिस्सेदारी नहीं खरीद सकते हैं। वे केवल सम्पूर्ण कंपनी खरीद सकते हैं, ताकि इसे विलय करके नयी कंपनी बना सकें।
- दूरसंचार सेवाओं की गणवत्ता कॉल ड्रॉप इत्यादि जैसे मृद्दों के कारण निराशाजनक है।
- **डेटा सेवाओं के लिए विभेदकारी मूल्य निर्धारण** हालांकि ट्राई नेट न्यूट्रैलिटी को बढ़ावा देती है, लेकिन इसके प्रवर्तन के लिए कोई कानून उपलब्ध नहीं है।
- ट्राई द्वारा **इंटरकनेक्टेड यूजेज चार्जेज (IUC)** में हालिया कमी को विभिन्न ऑपरेटरों द्वारा राजस्व में भारी कमी के रूप में वर्णित किया गया है।

इन्टरकनेक्टड यूजेज चार्ज (Interconnected Usage Charges)

- यह शुल्क किसी दूरसंचार सेवा प्रदाता जिसके ग्राहक कॉल करते है, के द्वारा अन्य सेवा प्रदाता जिसके ग्राहक कॉल प्राप्त करते हैं को भुगतान किया जाता है।
- यह किसी नेटवर्क के ग्राहकों को किसी अन्य नेटवर्क के साथ सहज संचार करने की अनुमति प्रदान करता है।
- इसे ट्राई द्वारा निर्धारित किया जाता है और दूरसंचार कंपनियों के लिए यह आय का प्रमुख स्रोत है।

प्रभाव

- डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी जैसे कई सरकारी कार्यक्रम इस क्षेत्र तथा इस क्षेत्र की अच्छी वित्तीय स्थिति पर निर्भर हैं।
- बढ़ता हुआ कर्ज और कम राजस्व, नई प्रौद्योगिकियों जैसे VoLTE (Voice over Long -Term Evolution), इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (Internet of Things) आदि के उपयोग के लिए एक प्रतिरोधक के रूप में कार्य करता है।
- व्यापार एकीकरण और लागत कटौती के कारण इस क्षेत्र में 30,000 नौकरियों के समाप्त होने की सम्भावना है।

सरकार द्वारा किये गए विभिन्न प्रयास

- स्पेक्ट्रम साझाकरण, स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग, स्पेक्ट्रम के संयोजन और स्पेक्ट्रम नीलामी जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से स्पेक्ट्रम प्रबंधन में सुधार।
- भारत नेट परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में सघन डिजिटल प्रवेश के लिए भारत नेट परियोजना शुरू की गयी है। इस परियोजना का उद्देश्य ब्रॉडबैंड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से भारत की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना है।
- इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स, इंस्टेंट हाई डेफिनेशन वीडियो ट्रांसफर आदि जैसी पहलों को बढ़ावा देने के लिए 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी करने की योजना।
- चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (PMP) इसका उद्देश्य मेक इन इंडिया पहल के तहत और अधिक स्मार्टफोन घटकों (components) को शामिल करना और मोबाइल हैंडसेट के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है।

अन्य प्रयास जो किये जा सकते हैं:

- अपने टॉवर व्यवसाय की बिक्री, फाइबर की बिक्री, अपने रीयल इस्टेट इत्यादि की बिक्री के जरिए दूरसंचार कम्पनी द्वारा कर्ज का भगतान करना।
- सतत नये राजस्व प्रवाह बनाने के लिए **नवाचार** और भविष्य की प्रौद्योगिकियों में निवेश।
- ट्राई की सिफारिशों को स्वीकार करना जैसे कि SUC (स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज) फ़ीस को घटाकर 1% करना , लाइसेंस शुल्क के भगतान को घटा कर 3% करना और समायोजित सकल राजस्व की संशोधित परिभाषा को अपनाना।
- सरकार द्वारा नीलामी के समय **फ्लोर मूल्य का पुनर्निर्धारण** कर यह सुनिश्चित किया जाए कि बड़ी कम्पनियाँ मूल्य और निर्मित सम्पत्तियों में कमी किये बिना छोटी कम्पनियों को खरीद सकें।
- नीति आयोग द्वारा सुझाए गए पीपीपी मॉडल के माध्यम से निजी भागीदारी को शामिल करके भारतनेट के कार्यान्वयन को तीव्र करना।

3.10. भारतमाला परियोजना

(Bharatmala Project)

सुर्खियों में क्यों?

 हाल ही में, मंत्रिमंडल ने देश के पश्चिमी और पूर्वी भाग को जोड़ने वाले 24,800 किलोमीटर लम्बे राजमार्ग के निर्माण के लिए भारतमाला परियोजना को मंजूरी दी।

भारतमाला परियोजना

- यह आर्थिक कॉरिडोर, इंटर कॉरिडोर और फीडर रूट, राष्ट्रीय कॉरिडोर दक्षता सुधार, सीमांत और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी वाली सड़कों, तटीय और बंदरगाह कुनेक्टिविटी वाली सड़कों और ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे में सुधार के लिए कार्यक्रम प्रारंभ करेगी।
- इसे एक अम्ब्रेला प्रोग्राम के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो कि NHDP के अधुरे कार्यों को पूरा करेगा।
- इस पर राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों के साथ कुछ राज्य सड़कों के विकास का उतरदायित्व होगा।
- इसे गुजरात और राजस्थान से प्रारम्भ किया जायेगा, इसके पश्चात यह पंजाब और बाद में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और अंत में मिजोरम के माध्यम से हिमालयी बेल्ट को कवर करेगा।
- इसे बाजार उधारी, केंद्रीय सड़क निधि, सरकारी स्वामित्व वाली सड़क परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण और बजटीय आवंटन के माध्यम से वित्त पोषित किया जायेगा।
- इस कार्यक्रम को लागू करने वाली प्रमुख एजेंसियां हैं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग और औद्योगिक विकास निगम और राज्यों के सार्वजनिक निर्माण विभाग। दुर्गम स्थानों पर सड़क निर्माण के लिए सीमा सड़क संगठन (BRO) से सहायता ली जाएगी।

भारतमाला परियोजना की प्रासंगिकता

- यह योजना लास्ट माइल कनेक्टिविटी, कार्गो की गति, निर्यात, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करेगी और तीव्र गति से सड़कों का विकास करेगी।
- यह परियोजना **लॉजिस्टिक्स लागत** को कम करके विनिर्माण क्षेत्र और **मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया आदि जैसी योजनाओं के** लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करेगी। लॉजिस्टिक्स लागत अन्य उभरते बाजारों की तुलना में भारत में सबसे ज्यादा है।
- इससे विश्व बैंक के **लॉजिस्टिक्स परफॉरमेंस इंडेक्स (**Logistics Performance Index**)** में भारत की रैंकिंग में सुधार होगा (2016 के इंडेक्स में भारत 35 वें स्थान पर था।)

3.11. भारत में जल विद्युत् उत्पादन : चुनौतियाँ और संभावनाएं

(Hydropower Generation in India Challenges and Prospects)

सुर्ख़ियों में क्यों?

• विद्युत मंत्रालय को दिए गए हालिया प्रजेंटेशन (प्रस्तुतीकरण) में पनबिजली ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में आने वाली अनेक चुनौतियाँ सामने आयीं।

स्थापित क्षमता के आधार पर हाइड्डो परियोजनाओं का वर्गीकरण

माइक्रो: 100 किलोवाट तक

मिनी: 101 किलोवाट से 2 मेगावाट तक

स्मॉल : 2 मेगावाट से 25 मेगावाट

मेगा: स्थापित क्षमता वाले जल परियोजनाएं> 500 मेगावाट और स्थापित क्षमता वाली थर्मल परियोजनाएं> = 1500 मेगावाट

25 मेगावाट क्षमता से कम की परियोजनाएं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के दायरे में आती हैं।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

भारत की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 330 GW है, जिसमें से जल विद्युत क्षेत्र से उत्पादन 44 GW है।

- भारत में 148 GW (विश्व में पांचवीं सबसे ज्यादा) की जलविद्युत क्षमता है, लेकिन कुल क्षमता का केवल 30 प्रतिशत भाग ही उपयोग किया जा रहा है।
- समग्र ऊर्जा उत्पादन में पनिबजली का हिस्सा 1962-63 (51 प्रतिशत) की तुलना में कम हुआ है, जो वर्तमान में 13 प्रतिशत है।
- इस प्रस्तुति में बताया गया है कि सम्पूर्ण देश में कुल 145.3 गीगावॉट क्षमता वाली 592 जलविद्युत परियोजनाएं आवंटित की गई हैं
 जिनमें से अभी तक केवल 30.7 प्रतिशत परियोजनाएं ही पूरी हो पायी हैं।

प्रमुख चुनौतियाँ

- समय और लागत में अत्यधिक वृद्धि: स्वीकृत लागत के दोगुने या इससे अधिक लागत और दोगुने समय में जलविद्युत परियोजनाएं पूरी हो रही हैं। उदाहरण के लिए नाथपा झाकरी, टिहरी, कोलडैम आदि।
- उच्च अग्रिम लागत: जलविद्युत परियोजनाएं पूंजी गहन होती हैं और बैंक ग्राह्मता एवं वहनीयता के मध्य इष्टतम संतुलन बनाते हुए इनका वित्तीयन करना प्रायः एक चुनौती होती है।
- स्वीकृति प्राप्त करने के लिए लंबी अवधि वाली प्रक्रिया: इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं:
 - o पर्यावरण और वन मंजूरी, उदाहरणस्वरुप असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर निचली सुबनसिरी परियोजना।
 - भूमि अधिग्रहण और अन्य स्थानीय मुद्दे,
 - पुनर्वास और पुनः स्थापन संबंधी मुद्दे,
 - बड़ी जल परियोजनाओं के लिए सामाजिक प्रतिरोध जैसी कानुनी और सामाजिक समस्याएं।
- अंतर-राज्यीय विवाद: उदाहरण के लिए तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद के चलते शिवसमुद्रम, मेकादातु, होगेनेक्कल आदि परियोजना प्रभावित हुई हैं।
- राज्य सरकारों द्वारा अतिरिक्त उपकर: उदाहरणस्वरुप जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड द्वारा जल उपकर (cess) का आरोपण किया जाता है, जो जल परियोजनाओं पर अतिरिक्त बोझ डालते हैं।
- उच्च टैरिफ और बिजली खरीद समझौते (PPA) पर हस्ताक्षर करने के लिए राज्यों की अनिच्छा: प्रारंभिक वर्षों के दौरान ऋण पुनर्भुगतान के लिए नकदी प्रवाह उच्च होता है जिससे टैरिफ लागत उच्च होती है। इसके कारण बिजली वितरण कंपनियाँ जलविद्युत आधारित बिजली खरीदने के लिए अनिच्छुक रहती हैं।

सुझाव

- बेहतर प्रशासकीय जलविद्युत ढांचा: क्षेत्र विशिष्ट रणनीतियों तथा जलविद्युत विकास को गति देने के लिए स्पष्ट और पारदर्शी प्रक्रियाओं सहित बेहतर प्रशासनिक ढांचा विकसित करने की आवश्यकता है।
- **लाभ-साझाकरण ढाँचा**: सामाजिक और पर्यावरणीय जोखिमों का निवारण जलविद्युत परियोजनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार सरकार और विकासकर्ता को स्थानीय लोगों सहित सभी हितधारकों के साथ लाभ साझा करना चाहिए।
- निजी क्षेत्र के निवेश को सुसाध्य बनाना : वर्तमान निजी क्षेत्र की भागीदारी की केवल 7% है। जोखिम साझा कर इस भागीदारी को बढ़ाना होगा।

- पनबिजली खरीद की बाध्यता, पीक और ऑफ लोड सीज़न के लिए भिन्न टैरिफ संरचना, सहायक सेवाओं के लिए बाजार का विकास, राष्टीय ग्रिड आदि के समर्थन के माध्यम से मार्केट डेवलपमेंट को बढ़ावा देना।
- क्षमता-निर्माण सहित एजेंसियों का **तकनीकी क्षमता विकास** और साथ ही साथ आधुनिक तकनीक और प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना होगा।
- ऊर्जा पर संसदीय समिति की सिफारिशें:
 - सभी पनबिजली परियोजनाओं को अक्षय ऊर्जा स्रोतों के रूप में घोषित करना और हाइड्रो पावर ऑब्लिगेशन (HPO) शुरू
 करना, जो बिजली कंपनियों को जलविद्युत खरीदने के लिए अधिकृत करेगा और निवेशकों के विश्वास को बेहतर करेगा।
 - जलविद्युत परियोजनाओं के लिए मेगा बिजली लाभ को फिर से बहाल करना।
 - बेहतर वित्तपोषण विकल्पों को प्रदान करना (परियोजना अवधि को 35 से बढ़ाकर 60 वर्ष करके, कर-मुक्त बांडों आदि को शुरू करके दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना)।


3.12. रो-रो फेरी सेवा की शुरूआत

(Ro-Ro Ferry Service Launched) सुर्ख़ियों में क्यों?

• हाल ही में, गुजरात में घोघा और दाहेज के बीच **रो-रो** (रोल-ऑन, रोल-ऑफ) फेरी सेवा की शुरूआत की गयी है।

रो-रो फेरी सेवा

- यह कारों, ट्रकों, सेमी-ट्रेलर ट्रकों, ट्रेलरों और रेलरोड कारों जैसे पहिये वाले कार्गो (wheeled cargo) की ढुलाई करने वाले जहाजों (vessels) से संबंधित है। इन्हें इनके पहियों पर चलाते हुए अथवा किसी प्लेटफॉर्म वाहन के जरिये फेरी पर चढ़ाया (रोल ऑन) अथवा उतारा (रोल ऑफ) जाता है।
- इसे जहाजरानी मंत्रालय द्वारा सागरमाला परियोजना के एक भाग के रूप में प्रारंभ किया गया है।
- इसका वित्त पोषण आंशिक रूप से गुजरात सरकार द्वारा एवं आंशिक रूप से सागरमाला परियोजना के तहत किया गया है।



• इसे खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी जैसे अन्य स्थानों तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है।

रो-रो तथा लो-लो सेवा

रो-रो सेवा - रोल ऑन और रोल ऑफ सेवा में जहाज का उपयोग पहिये वाले कार्गो के परिवहन के लिए किया जाता है।

लो-लो सेवा - लिफ्ट ऑन-लिफ्ट ऑफ सेवा में जहाज का उपयोग उन कार्गो के परिवहन के लिए किया जाता है जिसे **क्रेनों के उपयोग** से जहाज पर लादा तथा उतारा जाता है।

अन्य प्रस्तावित रो-रो सेवाएँ हैं:

- **झारखंड** साहिबगंज में गंगा नदी पर मल्टी-मॉडल टर्मिनल।
- असम- ब्रह्मपुत्र नदी (राष्ट्रीय जलमार्ग-2) पर धुबरी में अवस्थित रो-रो सर्विस टर्मिनल धुबरी एवं मेघालय सीमा को आपस में जोड़ता है।
- **बिहार-पश्चिम बंगाल** जलमार्ग विकास परियोजना के तहत पश्चिम बंगाल में कालुघाट टर्मिनल को बिहार के गायघाट से जोड़ने का प्रस्ताव है।

सागर माला परियोजना

- इसका प्रमुख उद्देश्य बंदरगाह आधारित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकास को बढ़ावा देना तथा बंदरगाहों से वस्तुओं के तीव्र, कुशल और लागत प्रभावी परिवहन करने के लिए बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराना है।
- इसके तहत तीन मुख्य सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, देश के आंतरिक भागों से तथा आंतरिक भागों तक माल की ढुलाई की प्रभावी व्यवस्था करना और साथ ही तटीय आर्थिक विकास करना।

3.13 संकल्प और स्ट्राइव योजनाएँ: स्किल इंडिया मिशन

(Sankalp & Strive Schemes: Skill India Mission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

• आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विश्व बैंक द्वारा समर्थित दो नई योजनाओं- स्किल एक्कीजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइविलहुड प्रमोशन (SANKALP) और स्किल स्ट्रेंथिनिंग फॉर इंडिस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट (STRIVE)- को मंजूरी प्रदान की है।

योजनाओं की मुख्य विशेषताएँ

- ये आउटकम (परिणाम) पर केन्द्रित योजनाएँ हैं जो व्यावसायिक शिक्षण और प्रशिक्षण में सरकार की कार्यान्वयन रणनीति में हुए बदलाव को दर्शाती हैं। पहले ये योजनाएँ इनपुट पर केन्द्रित थी।
- संकल्प, एक केन्द्र प्रायोजित योजना है (केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित और राज्यों या उनकी एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित) तथा मान्यता और प्रमाणीकरण के लिए राष्ट्रीय निकायों की स्थापना द्वारा इस आवश्यकता को पूरा किया जाएगा। ये संस्थाएँ दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक दोनों ही प्रकार के व्यावसायिक शिक्षण और प्रशिक्षण की मान्यता और प्रमाणन का कार्य करेंगी।
- स्ट्राइव, एक केन्द्र प्रयोजित योजना है (केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित और कार्यान्वित)। इस योजना का उद्देश्य परिणाम एवं सुधार आधारित वित्तपोषण के माध्यम से 500 से अधिक ITIs का आधुनिकीकरण करना है।
- इन योजनाओं के चलते अब विभिन्न केन्द्रीय, राज्य और निजी क्षेत्र के संस्थानों के प्रयासों को एकीकृत करने में मदद मिलेगी, जिससे व्यावसायिक प्रशिक्षण में गतिविधियों के दोहराव में कमी आएगी तथा एकरूपता को भी बढ़ावा मिलेगा।
- इन योजनाओं का उद्देश्य **राज्य कौशल विकास मिशनों (SSDMs), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC), क्षेत्रीय कौशल परिषदों** (SSCs), ITIs और राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (NSDA) जैसी संस्थाओं को मजबूत करना है तथा कौशल नियोजन में बेहतर विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करना है।
- ये योजनाएँ केंद्र एवं राज्य सरकारों की कौशल विकास योजनाओं को कबर करते हुए राष्ट्रीय दक्षता अर्हता फ्रेमवर्क (National Skills Qualification Framework: NQAF) एवं राष्ट्रीय गुणवत्ता एश्योरेंस फ्रेमवर्क (National Quality Assurance Framework: NSQF) के सार्वभौमिकरण में सहायता प्रदान करेंगी।

नोट: कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए, Mains 365-अर्थव्यवस्था, 2017 देखें।

3.14 सम्पूर्ण बीमा ग्राम योजना

(Sampoorna Bima Gram Yojana)

सुर्ख़ियों में क्यों?

 हाल ही में, संचार मंत्रालय ने सम्पूर्ण बीमा ग्राम (SBG) योजना नामक एक योजना की शुरूआत की है और डाक जीवन बीमा के कवरेज का भी विस्तार किया है।

SBG योजना

- **लक्ष्य**: डाकघरों के नेटवर्क के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वहनीय जीवन बीमा सेवाएँ प्रदान करना।
- विशेषताएँ:
 - o देश के सभी राजस्व जिलों में कम से कम **एक गाँव** (जिसमें न्यूनतम 100 परिवार निवास करते हों) को चिह्नित किया जाएगा तथा प्रत्येक चिह्नित गाँव में कम से कम एक RPLI (ग्रामीण डाकघर जीवन बीमा) के साथ सभी घरों को कवर करने की कोशिश की जाएगी।
 - o **कवरेज**: इस योजना के अंतर्गत **सांसद आदर्श ग्राम योजना** के तहत आने वाले सभी गाँवों को शामिल किया जाएगा।

सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAANJHI)

- इसे मॉडल गांवों के विकास के लिए शुरू किया गया था।
- इसके तहत, संसद का प्रत्येक सदस्य (सांसद) 2019 तक तीन गाँवों के सामाजिक-आर्थिक और भौतिक अवसंरचना के विकास के लिए उत्तरदायी होगा तथा 2024 तक कुल आठ गाँवों का विकास करेगा।
- इसमें MPLAD, MGNREGA आदि जैसी मौजूदा योजनाओं की निधि का उपयोग किया जाएगा।

डाक जीवन बीमा (PLI)

- इसे 1884 में डाकघर के कर्मचारियों के लाभार्थ लागू किया गया था।
- यह देश की सबसे पुरानी जीवन बीमा है।
- सरकारी और अर्द्ध-सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त PLI के लाभों को अब डॉक्टर, इंजीनियर, वकील व बैंकर आदि जैसे पेशेवरों तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एवं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों के कर्मचारियों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया है।

ग्रामीण डाकघर जीवन बीमा (Rural Postal Life Insurance: RPLI),1995

- इसे **बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए शासकीय समिति (मल्होत्रा समिति)** की सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया था।
- यह ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले कमजोर वर्गों के लोगों और महिलाओं को बीमा कवर प्रदान करता है।
- इसका संचालन संचार मंत्रालय के डाक विभाग द्वारा किया जा रहा है।

3.15 बाजार अवसंरचना संस्थानों पर समिति का गठन

(Panel on Market Infrastructure Institutions)

सुर्ख़ियों में क्यों?

• हाल ही में, बाजार अवसंरचना संस्थानों (MII) के मानदंडों की समीक्षा के लिए सेबी (SEBI) ने भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर आर. गाँधी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है।

बाजार अवसंरचना संस्थान (Market Infrastructure Institutions: MII)

- ये संस्थान देश के वित्तीय विकास के लिए प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण हैं और प्रतिभूति बाजार के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना उपलब्ध कराते हैं।
- इनमें स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी और क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन शामिल हैं।

पृष्ठभूमि

- यह समीक्षा वस्तुतः बिमल जालान समिति, 2012 की सिफारिशों के अनुरूप है, जिसने नियामक (सेबी) को प्रत्येक पाँच वर्ष में अवसंरचना संस्थानों की समीक्षा करने के लिए कहा था।
- इसने निम्नलिखित सिफारिशें की थीं:
 - पर्याप्त रूप से पूँजीकृत सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों और बैंक आदि जैसे प्रमुख संस्थागत निवेशकों को ही स्टॉक एक्सचेंज्स में
 15-24 फीसदी तक स्वामित्व प्राप्त करने का पात्र होना चाहिए। केवल एंकर संस्थागत निवेशकों (anchor institutional investors) जैसे पर्याप्त रूप से पूँजीकृत सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों और बैंकों आदि को ही स्टॉक एक्सचेंज्स में 15-24 फीसदी तक स्वामित्व प्राप्त करने का पात्र होना चाहिए।
 - डिपॉजिटरी और क्लीयरिंग कॉर्पोरेशनों को अन्य श्रेणी के MIIs का स्वामित्व ग्रहण नहीं करना चाहिए।
 - o / MIIs को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध नहीं किया जाना चाहिए।

मुख्य बिंदु

- यह समिति मौजूदा MIIs के ढाँचे का समग्र मूल्यांकन करेगी और SECC (स्टॉक एक्सचेंजेस एंड क्लीिरंग कॉर्पोरेशंस) के नियमों व डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के विनियमों के समीक्षा योग्य क्षेत्रों की पहचान करेगी। साथ ही यह MIIs की पद्धित, प्रक्रिया और कार्य प्रणाली में सुधार के क्षेत्रों की पहचान भी करेगी।
- मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड और BSE लिमिटेड के सूचीबद्ध होने तथा *नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड* द्वारा इनीशियल पब्लिक ऑफर (IPO) जारी करने की तैयारी के परिप्रेक्ष्य में सेबी की यह समीक्षा महत्वपूर्ण है।

3.16 भारत नेट प्रोजेक्ट

(Bharat Net Project)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में सरकार ने घोषणा की है कि भारत नेट प्रोजेक्ट का पहला चरण दिसंबर 2017 तक पूरा हो जाएगा।

भारत नेट प्रोजेक्ट

- 2011 में **2.5 लाख ग्राम पंचायतों** में 2 MBPS से 20 MBPS की वहनीय ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए *नेशनल* ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (जिसे अब भारत नेट प्रोजेक्ट कहा जाता है) की शुरूआत की गयी थी।
- इसे कंपनी अधिनियम के तहत गठित *भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड* (BBNL) नामक एक *स्पेशल पर्पज व्हीकल* (SPV) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- इसे *यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड* (USOF) के माध्यम से वित्त पोषित किया जा रहा है।
- भारत नेट प्रोजेक्ट इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंतर्गत वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करने के क्रम में 5 लाख नौकरियों का सुजन किया जाएगा।
- अब तक 2,38,677 कि.मी. फाइबर लाइन के द्वारा 1,03,275 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी हासिल कर ली गयी है।

युनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF)

- इसका लक्ष्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों को वहनीय मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण ICT सेवाओं तक भेदभावरिहत पहुँच प्रदान करना है। इसके लिए टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को इंसेंटिव प्रदान करने का प्रावधान है तािक वे अधिक उद्यमशीलता दिखाएँ और उल्लिखित लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान करें।
- इसका उल्लेख राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1999 में किया गया था तथा भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2003 के तहत इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था।
- संसाधनों की उगाही 'यूनिवर्सल एक्सेस लेवी (UAL)' के माध्यम से की जाती है। यह लेवी ऑपरेटरों द्वारा विभिन्न लाइसेंसों के तहत अर्जित आय का एक प्रतिशत होता है।

चुनौतियाँ

- मोबाइल फोन के माध्यम से इंटरनेट का अधिक उपयोग लगभग 77% शहरी उपभोक्ता और 97% ग्रामीण आबादी का मानना है कि इंटरनेट तक पहुँच का प्राथमिक स्रोत मोबाइल फोन है।
- **सुरक्षा** डेटा संरक्षण, साइबर सुरक्षा आदि जैसे मुद्दे उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित *साइबर स्पेस* प्रदान करने में चुनौती खड़ी करते हैं।
- उच्च लागत सस्ते दरों पर इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराना एक प्रमुख चुनौती है जो ग्रामीण आबादी को इस सेवा को अपनाने से रोकती है।
- इंटरनेट शिक्षा की कमी इंटरनेट का ज्ञान और ई-मेल जैसे अनुप्रयोगों की जानकारी अभी भी एक चुनौती है।

आगे की राह

- लोगों में ब्रॉडबैंड के उपयोग संबंधी जागरूकता में वृद्धि करना तथा कंप्यूटर संबंधी ज्ञान में सुधार करना।
- सस्ते दरों पर इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए एक बेहतर राजस्व मॉडल अपनाया जाना चाहिए।
- मोबाइल फोन निर्माताओं ने जिस प्रकार सस्ते फ़ोन उपलब्ध कराए उसी प्रकार कम कीमत वाले लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर विकसित किए जाने चाहिए जिससे कि इंटरनेट के उपयोग में वृद्धि हो।
- फाइबर फर्स्ट प्रोग्राम बनाने की आवश्यकता है ताकि सरकार और निजी क्षेत्र साथ मिलकर 2020 तक देश में दूरसंचार फाइबर नेटवर्क की पहुँच को दोगुना करने में सक्षम हो सकें।
- साइबर सुरक्षा में सुधार करने और निजता से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

3.17. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में स्वर्ण में ऑप्शन ट्रेडिंग

(Gold Options on Multi Commodity Exchange)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, भारत में पहली बार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में स्वर्ण में ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत की गयी है। ऑप्शन्स और फ़्यूचर्स के मध्य अंतर

- फ्यूचर्स और ऑप्शन दोनों के तहत, निवेशक एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूर्व निर्धारित मूल्य पर परिसंपत्तियों के क्रय (या विक्रय) का अनुबंध करते हैं।
- किन्तु फ्यूचर्स के तहत, निवेशक समय सीमा के भीतर क्रय या विक्रय (जैसी स्थिति हो) करने के लिए बाध्य होता है, जबिक ऑप्शन के तहत निवेशक क्रय या विक्रय के लिए बाध्य नहीं होता है।

पृष्ठभूमि

- स्वर्ण में ऑप्शन ट्रेडिंग का आरम्भ वस्तुतः डेरिवेटिव मार्केट में नए जिंसों को शामिल करने की सरकार की घोषणा के अनुरूप है।
- विगत 14 वर्षों में यह पहली वस्तु है, जिसके लिए सेबी ने ऑप्शन ट्रेडिंग की मंजूरी प्रदान की है।
- यह स्वर्ण व्यापार को आसान बनाने के लिए सरकार द्वारा पूर्व में किये गए प्रयासों, जैसे कि 2015 में स्वर्ण मौद्रीकरण योजना (गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम) और 2016 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, के अनुरूप भी है।
- ऑप्शन ट्रेडिंग में 1 किग्रा. सोने की ट्रेडिंग करने की अनुमित है।
- स्वर्ण में ऑप्शन ट्रेडिंग निवेशकों को **धातु (स्वर्ण) की कीमत में किसी भी अस्थिरता को नियंत्रित करने की छूट प्रदान करता है।**

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज

- BSE और NSE के समान ही, MCX एक एक्सचेंज है जहां जिंसों का कारोबार होता है।
- इसका गठन 2003 में किया गया था। यह सेबी के नियामक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है।
- इसमें MCX-बुलियन, बेस मेटल्स, एनर्जी और एग्रो कमोडिटीज, चार प्रकार के जिंसों का कारोबार होता है।

3.18. चिकित्सा उपकरणों के अधिकतम कीमतों का निर्धारण

(Price Capping of Medical Devices)

सुर्खियों में क्यों?

 अमेरिकी कंपनियों ने भारत द्वारा चिकित्सा उपकरणों के अधिकतम कीमतों का निर्धारण करने के विरुद्ध यूनाइटेड नेशन ट्रेड रिग्रेजेन्टेटिव (USTR) के समक्ष अपील की है।

जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस

- यह विकसित देशों (दाता देशों) द्वारा विकासशील देशों (लाभार्थी देशों) को उपलब्ध करायी गयी एक अधिमान्य प्रशुल्क प्रणाली (preferential tariff system) है।
- इसके अंतर्गत विकसित देशों में (दाता देश) में विकासशील देशों के निर्यातित उत्पादों को अल्प प्रशुल्क दर पर या प्रशुल्क मुक्त प्रवेश मिलता है।

संबंधित मद्दे

- भारत ने हाल ही में कुछ चिकित्सा उपकरणों [पहले कोरोनरी स्टेंट की और उसके बाद घुटने के प्रत्यारोपण के उपकरणों की (knee replacement surgery)] के अधिकतम कीमतों का निर्धारण किया है।
- बाद में भारत ने यहाँ के बाजारों से कुछ विदेशी कंपनियों के उत्पादों को वापस लेने के अनुरोध को भी अस्वीकृत कर दिया।
- अधिकतम कीमत निर्धारण के चलते उच्च उत्पादन लागत वाले कुछ स्टेंटों के लाभ में गिरावट आयी है।
- इसी कारण से कुछ अमेरिकी कंपनियों ने USTR के समक्ष अपील कर यह अनुरोध किया है कि *जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस* (GSP) की सुविधा के तहत भारत को प्राप्त होने वाले लाभों को या तो समाप्त कर दिया जाए या वापस ले ली जाए।
- इनके द्वारा यह भी चिंता जाहिर की गयी है कि स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे अन्य देशों द्वारा भी स्वास्थ्य सेवा उपकरणों की कीमतों के संबंध में भारत के प्राइस मॉडल का अनुसरण किया जा सकता है। जिससे निष्पक्ष व्यापार प्रभावित हो सकता है।
- अध्ययनों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि अधिकतम कीमतों को निर्धारित करने के बाद व्युत्पन्न लाभ रोगी तक नहीं पहुँच रहे हैं।

प्रभाव

- भारत GSP के तहत लाभार्थी के रूप में अमेरिका से प्राप्त होने लाभों से वंचित हो सकता है।
- यह भारत और अमेरिका के मध्य प्रशुल्क युद्ध (टैरिफ वॉर) का आरम्भ भी सकता है, अंततः उपभोक्ता को हानि हो सकती है।
- यह विश्व के सर्वाधिक उन्नत चिकित्सा उपकरणों तक भारतीय मरीजों की पहुँच को सीमित या समाप्त कर सकता है।

आगे की राह

- भारत को इस विषय पर USTR के साथ चर्चा करनी चाहिए और चिकित्सा उपकरणों की कीमतों के निर्धारण में मध्यमार्गी दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए।
- उच्च कीमत वाले स्टेंटों को समायोजित करने हेतु स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की अक्षमताओं को सुधारने के लिए भी कार्य करना चाहिए।
- आत्म-निर्भर बनने के लिए ऐसे क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास (R&D) को प्रारंभ एवं प्रोत्साहित करना चाहिए।

भारत में चिकित्सा उपकरणों के अधिकतम कीमतों के निर्धारण के संबंध में अधिक जानकारी के लिए <u>MAINS 365</u> की <u>विज्ञान और</u> प्रौद्योगिकी की सामग्री का सन्दर्भ लें।

3.19. बैंक की उधारी दरों को बाह्य बेंचमार्क से जोड़ना

(Linking Bank Lending Rates to External Benchmark)

सुर्खियों में क्यों?

• डॉ जनक राज की अध्यक्षता में RBI के पाँच सदस्यीय पैनल ने मौद्रिक नीति संचरण को त्वरित करने हेतु बैंक की उधारी दरों को मार्केट बेंचमार्क से जोड़ने की अनुशंसा की है।

MCLR (सीमांत निधि लागत पर आधारित उधार दर)- यह किसी बैंक की वह न्यूनतम ब्याज दर है जिससे कम दर पर वह ऋण प्रदान नहीं कर सकता है। इसकी गणना भावी उधारकर्ता के लिए एक अतिरिक्त रुपए की व्यवस्था करने की सीमांत लागत के आधार पर की जाती है।

आधार दर (Base Rate): वह न्यूनतम ब्याज दर है जिस पर बैंक उधार दे सकते हैं। इसकी गणना RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाती है। यह प्रत्येक बैंक के लिए भिन्न होती है।

स्प्रेड (Spread): आधार दर तथा ग्राहक को दिए गए ऋण और अग्रिमों पर आरोपित दर के मध्य के अंतर को स्प्रेड कहते हैं।

पृष्ठभूमि

- वर्तमान में बैंक उधारी दर वस्तुतः 2016 में आरम्भ सीमांत निधि लागत पर आधारित उधार दर (MCLR) द्वारा निर्धारित होता है।
- MCLR ने आधार दर प्रणाली (2010 में आरंभ) को प्रतिस्थापित किया है।
- आधार दर और MCLR दोनों का निर्धारण बैंकों द्वारा आंतरिक रूप से किया जाता था। हालांकि, दोनों के मध्य मुख्य अंतर यह है कि आधार दर की गणना बैंकों द्वारा स्वयं के अनुसार की जाती थी, जबिक MCLR की गणना एक निर्धारित सूत्र के माध्यम से की जाती थी।

ट्रेजरी बिल: ये सरकार द्वारा अल्पावधि अर्थात् एक वर्ष से भी कम अवधि के लिए धन जुटाने हेतु जारी की जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियाँ (ऋण साधन) हैं। इसलिए, इन्हें मुद्रा बाजार के साधन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इन बिलों पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता हैं बल्कि इन्हें रियायती दर (discounted rate) पर बेचा जाता है और परिपक्वता (maturity) पर अंकित मूल्य पर भुनाया जा सकता है।

जमा-प्रमाणपत्र (Certificate of Deposits): यह मनी मार्केट का एक दस्तावेज है जो बैंकों में जमा की गयी निधियों के विरूद्ध, बैंकों द्वारा डिमैट फॉर्म अथवा प्रॉमिसरी नोट्स (वचन पत्र) के रूप में जारी किया जाता है। इन्हें रियारती दर या फ्लोटिंग दर (बाजार बलों द्वारा निर्धारित), दोनों में से किसी पर भी जारी किया जा सकता है।

रेपो दर: यह वह दर होती है जिस पर वाणिज्यिक बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर भारतीय रिजर्व बैंक से अल्पावधि ऋण प्राप्त करते हैं।

पैनल के प्रमुख निष्कर्ष

- अध्ययन से पता चला है कि कई बैंक गलत प्रथाओं में संलग्न हैं जिसमें RBI के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करना, आधार दर को बढ़ा-चढ़ा कर बताना, और स्प्रेड का मनमाना समायोजन करना शामिल हैं।
- MCLR के आरंभ के 18 माह पश्चात् भी, इसके तहत कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो का केवल 40 प्रतिशत और रिटेल पोर्टफोलियो का एक-चौथाई हिस्सा ही शामिल है।
- इसके मुख्य कारणों में से एक यह था कि बैंकों द्वारा MCLR को अपनाने हेतु एकमुश्त शुल्क आरोपित किया गया। इसके अतिरिक्त
 MCLR को अपनाने के लिए बैंकों द्वारा उचित सूचनाएँ प्रदान नहीं की गयीं।

पैनल की सिफारिशें

- पैनल द्वारा प्रस्तावित किया गया है कि ऋण के लिए सभी ब्याज दरें तीन एक्सटर्नल बेंचमार्कों में से किसी एक से सम्बंधित हों: ट्रेजरी बिल दर, जमा-प्रमाणपत्र (Certificate of deposit) की दर या रेपो दर।
- वर्तमान उधारी दर को वर्ष में एक बार पुनः समायोजित करने के स्थान पर प्रत्येक तिमाही में पुनः समायोजित करना चाहिए।
- बैंक द्वारा किसी भी प्रकार के प्रभार या शुल्क आरोपित किए बिना, मौजूदा सभी उधारकर्ताओं को नई प्रस्तावित प्रणाली में स्थानांतरित कर देना चाहिए।
- *एक्सटर्नल बेंचमार्क* के विस्तार संबंधी निर्णय बैंकों के व्यावसायिक निर्णय पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

लाभ

 उधारी दरों को एक्सटर्नल बेंचमार्क से जोड़ने से बैंक के विवेकाधिकार सीमित होंगे और बैंकों द्वारा आधार दर और MCLR की गणना करने में की जाने वाली मनमानी में कमी आएगी।

- तिमाही आधार पर ब्याज दरों के पुनः समायोजन के परिणामस्वरूप मौद्रिक नीति संचरण में तीव्रता आने की संभावना अधिक है।
- पैनल द्वारा अनुशंसा की गयी है कि बैंकों की जमाओं को *एक्सटर्नल बेंचमार्क* के साथ जोड़ने की अनुमित प्रदान की जाए। इससे परिसंपत्ति-दायित्व के असंतुलन को समाप्त करने में सहायता मिलेगी।

हानि

- उधारी दर को बाजार दर से जोड़ने के कारण इसमें अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है।
- सरकारी प्रतिभूतियाँ होने के कारण ट्रेजरी बिल्स वस्तुतः सरकार के फंडिंग के स्रोत हैं, बैंकों के नहीं। अतः बैंक उधारी दर को ट्रेजरी बिल्स से जोड़ना अनुचित प्रतीत होता है।
- चूंकि इनके क्रेताओं की संख्या कम होती है अतः संभव है कि ट्रेजरी बिल और जमा प्रमाणपत्र की दरें बैंकों के लिए अधिक लाभप्रद न हों। [ट्रेजरी बिल और जमा प्रमाणपत्र के क्रेताओं की कम संख्या के कारण इसे शैलो या थिन बाजार (shallow or thin market) भी कहा जाता है]

3.20 पीयर-टू-पीयर (P2P) लेंडिंग

(Peer to peer lending)

सुर्खियों में क्यों?

• हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पीयर टू पीयर लेंडिंग (उधारी) को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के रूप में श्रेणीबद्ध कर, उनके द्वारा अनुपालन किए जाने वाले नियमों एवं पद्धतियों को लागू किया है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFCs) एक ऐसी कंपनी होती है जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत होती है। यह ऋण एवं अग्रिम (loan and advance) के व्यवसाय, सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी शेयरों/स्टॉक/बांड्स/डिबेंचरों/प्रतिभूतियों या समान प्रकृति की अन्य बिक्री योग्य प्रतिभूतियों को खरीदने, पट्टा कारोबार करने, खरीद-बिक्री करने, बीमा-व्यवसाय, चिट व्यवसाय आदि में संलग्न होती है।

बैंकों और NBFCs के मध्य अंतर

- NBFC माँग जमाएँ स्वीकार नहीं कर सकती हैं।
- यह भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं होती हैं और इस प्रकार अपने नाम से चेक जारी नहीं कर सकती है।
- जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) की जमा बीमा सुविधा NBFCs के जमाकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है।

पृष्ठभूमि

- P2P लेंडिंग से आशय *क्राउड-फंडिंग प्लेटफार्म* (अधिकांशतः ऑनलाइन) से है, जहाँ निवेश करने वाले और उधार लेने वाले व्यक्ति एक ही प्लेटफॉर्म पर होते हैं।
- अभी तक P2P कम्पनियां, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होती थीं।
- ऋणदाता और उधारकर्ता द्वारा स्वयं को P2P प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत कराने पर, प्लेटफॉर्म द्वारा उचित मूल्यांकन कर योग्य व्यक्तियों को लेन-देन में भाग लेने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है।
- ये कंपनियाँ उल्टी नीलामी प्रक्रिया का प्रयोग करती हैं। इसके तहत ऋणदाता, उधारकर्ता के प्रस्ताव (bid) के लिए बोली लगाता है तथा उधारकर्ता उस बोली पर उधार लेने या न लेने का निर्णय करने के लिए स्वतंत्र होता है।

RBI के विनियमन के उपरांत अब सामने आने वाले प्रमुख बिंदु

- NBFCs के रूप में वर्गीकृत होने के परिणामस्वरूप, P2P लेंडिंग की क्रेडिट ब्यूरो तक पहुँच संभव होगी तथा इसे क्रेडिट ब्यूरो के साथ ऋण संबंधी आंकड़ों को साझा करना होगा।
- परिणामतः P2P प्लेटफार्म को उधारकर्ताओं की साख संबंधी जानकारी भी ऋणदाताओं के साथ अनिवार्य रूप से साझा करना होगा। जिससे उन्हें सूचित होने और निर्णय लेने में सहायता प्राप्त होगी।
- इसके अतिरिक्त, क्रेडिट ब्यूरो के साथ उधारकर्ता की साख संबंधी जानकारी साझा करने से डिफ़ॉल्टर के लिए अन्य बैंकों और NBFCs से ऋण लेना कठिन होगा।
- प्लेटफार्म में धन का हस्तांतरण *एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज़्म* (escrow account mechanism) के माध्यम से किया जाता है।
- RBI द्वारा सभी प्लेटफार्मों में ऋण की अधिकतम राशि 10 लाख रुपया तक कर दी गयी है। इससे व्यापक रूप से छोटे उद्यमों और स्टार्टअप उद्यमों को लाभ होगा।

- RBI ने एक निवेशक द्वारा किसी एक उधारकर्ता को दी जाने वाली राशि को 50,000 रुपये तक सीमित कर दिया है। यह *डिफ़ॉल्ट* के मामले में जोखिम को कम करता है।
- पूर्व के मामलों के विपरीत, जब न्यायालय द्वारा *डिफ़ॉल्ट* के मामलों को लोकस स्टैंडाई (locus standi) के अभाव में रद्द कर दिया जाता था, अब P2P प्लेटफॉर्म (NBFCs के रूप में) चेक बाउंस (P2P ऋण वसूली का कार्य पोस्ट डेटेड चेक के माध्यम से करती हैं) के मामलों में न्यायालय में अपील कर सकते हैं।
- पुनर्भुगतान में होने वाले विलंब के मामले में, P2P को अब पुनर्वसूली के लिए RBI के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। इससे युक्तियुक्त मामलों में होने वाले विलंब की स्थिति में उधारकर्ताओं को राहत प्राप्त होगी।
- P2P प्लेटफार्म को उचित शिकायत तंत्र अपनाने एवं नोडल अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता है। कोई संतोषजनक समाधान नहीं होने पर, ऋणदाता या उधारकर्ता RBI से संपर्क कर सकते हैं।

3.21. औद्योगिक आवंटन के लिए भूमि बैंक

(Land Bank for Industrial Allocation)

सुर्खियों में क्यों?

ओडिशा सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को भूमि आवंटित करने हेतु राज्य में 1.2 लाख एकड़ के भूमि बैंक का सुजन किया जा रहा है।

भूमि बैंक क्या है?

- भूमि बैंक एक प्रकार का लैंड पूल है जो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना सरकार को निवेशकों को भूमि देने के लिए अनुमति प्रदान करती है।
- इसकी परिकल्पना नियामक प्रक्रिया को समाप्त करने और भूमि अधिग्रहण संबंधी किसी भी विवाद से बचने के लिए की गयी हैं।
 भूमि बैंक का महत्व

• *ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस* में

- **इ.श. आ.क. डू.इ.ग. १वणनस म सुधार:** राज्य सरकारों द्वारा औद्योगिक उपयोग के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है और इन स्थानों पर सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।
- निवेश आकर्षित करना: भूमि बैंक का सृजन विभिन्न क्षेत्रों में निवेश (FDI/स्थानीय निवेश) को आकर्षित करने में सहायता करेगा तथा साथ ही इसमें रोजगार के नये अवसर उत्पन्न करने की क्षमता है।
- किसानों को जल्दीबाजी में भूमि बेचने से सुरक्षित करना: इसके कारण किसान अब आवश्यकता पड़ने पर सरकार को अपनी भूमि बेच सकते हैं, फलतः अब जबरन भूमि अधिग्रहण भी नहीं किया जायेगा।

भूमि बैंक और भारत में इसके संदर्भ में पृथक कानून

- वन संरक्षण अधिनियम, 1980: इसके अंतर्गत, सरकार को गैर-वनीय उद्देश्यों के लिए वन भूमि का उपयोग करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से वन 'अनुमित' या अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। हालांकि, अधिनियम के अंतर्गत 'भूमि बैंक' के लिए वन विभाग की अनुमित प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है।
- वन अधिकार अधिनियम, 2006: इसके अंतर्गत सरकार वन में अनेक पीढ़ियों से रहने वाले या वनों पर निर्भर लोगों के भूमि और वन अधिकारों को मान्यता दिए बिना वन भूमि के उपयोग में परिवर्तन नहीं कर सकती।
- PESA [पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम]: यह अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम परिषदों को उनके क्षेत्रों में प्रस्तावित सरकारी कार्यक्रमों को स्वीकृति देने, अस्वीकार करने या परिवर्तित करने का अधिकार प्रदान करता है।

CONFLICT	DISTRICT	STATE	FAMILIES AFFECTED	AREA AFFECTED (hectares)
Odisha Govt. has put forest land in their land bank which earlier belonged to the POSCO Project	Jagatsinghpur	Odisha	700	1200
Chatisgarh govt. has locked away a chunk of land which was acquired from people to build a steel plant	Bastar	Chattisgarh	2000	1700
Jharkhand govt. has sealed a chunk of forest land-where a firing range of India army was proposed - in their land bank	Latehar	Jharkhand	50000	32
Jharkhand govt. has earmarked gram sabha's common land in their land bank. This land was a part of Koel-karo dam project, which could not come up due to people's protest	Khunti	Jharkhand	100	61

• भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनः स्थापन अधिनियम (LARRA) 2013: इसके अंतर्गत, यदि इस कानून के तहत अधिग्रहीत भूमि पाँच वर्ष से अधिक समय तक अप्रयुक्त रहती है तो राज्य सरकार इसे भूमि बैंक में शामिल कर सकती है या इसे उन लोगों को वापस कर सकती है, जिनसे इस भूमि का अधिग्रहण किया गया था।

3.22. प्रोजेक्ट चमन

(Project Chaman)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट चमन की समीक्षा की गयी है।

भारत में बागवानी क्षेत्रक

- वैश्विक स्तर पर भारत फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा तथा केले, आम और नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है।
- भारत के कृषि GDP में बागवानी का हिस्सा 30% है जो कुल फसल क्षेत्र के 8.5% से प्राप्त होता है।
- 2017 में बागवानी फसलों (फल, सब्जियों और मसालों) का उत्पादन लगातार पाँचवें वर्ष अनाज के उत्पादन से अधिक रहा है।
- अनाज की तुलना में, अधिकांश बागवानी फसलें सिंचाई की निश्चित सुविधा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती हैं, इस कारण से यह मानसून की कमी से अधिक प्रभावित नहीं होती हैं।
- गरीब कृषकों को बागवानी क्षेत्र में हुए विकास से अधिक लाभ होता है, क्योंकि फल और सब्जियाँ अधिकांशतः सीमांत और लघु किसानों (2 हेक्टेयर से भी कम भूमि वाले) के द्वारा उगाई जाती हैं।
- हालांकि, वैश्विक बाजार में सब्जियों और फलों के मामले में भारत का हिस्सा इसके कुल वैश्विक व्यापार का क्रमशः, मात्र 1.7% तथा 0.5% है।
- बागवानी कृषकों को बाज़ारों तक बेहतर पहुँच, गोदामों और कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाओं तथा साख की आवश्यकता होती है।
 इससे उन्हें मूल्य जोखिम को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और मज़बूरी में अपने उत्पादों को बेचने से राहत मिलेगी।


भू-सूचना विज्ञान का उपयोग करते हुए समन्वित बागवानी आकलन और प्रबंधन (Coordinated Horticulture Assessment and

Management using geo-informatics: CHAMAN)

- इसमें बागवानी विकास के लिए कार्य योजनाओं को तैयार करने हेतु रिमोट सेंसिंग डेटा के साथ भौगोलिक सूचना प्रणाली उपकरणों का प्रयोग किया जाता है।
- इसका उद्देश्य बागवानी फसलों की स्थिति का अध्ययन करने, रोगों के आकलन और प्रसिजन फार्मिंग पर शोध संबधी गतिविधियों को कार्यान्वित करना भी है।
- इसे 2014 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत कृषि मंत्रालय द्वारा आरम्भ किया गया था।
- इस कार्यक्रम को नई दिल्ली स्थित महालनोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर (MNCFC) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

चमन का महत्व

 पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास- पूर्वोत्तर के प्रत्येक राज्य के एक जिले में, एक फसल के लिए चिन्हित बंजर भूमि/झूम कृषि वाले क्षेत्र को राज्य सरकारों द्वारा



- प्राथमिकता के आधार पर विकसित करने के लिए चुना जायेगा।
- फसल कटाई के उपरांत हुई क्षिति को कम करना- यह फसल कटाई के उपरांत अधिक क्षिति वाले क्षेत्रों को चिन्हित करने में सहायता कर सकता है। वांछित कोल्ड स्टोरेज आदि जैसे *पोस्ट-हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर* के निर्माण के द्वारा इस प्रकार की क्षिति को कम किया जा सकता है।
- कृषकों की आय दुगुनी करना- फसल की गहनता, फलोउद्यान का पुनरूद्धार और एक्वा-होर्टिकल्चर जैसे भू-स्थानिक अध्ययनों से कृषकों को लाभप्रद रूप से कृषि करने में सहायता मिलेगी। इस प्रकार उनकी आय दुगुनी हो सकेगी।
- **लाभों का विस्तार करना-** देश के सभी प्रमुख राज्यों में भू-स्थानिक अध्ययन आयोजित किए जाएँगे और भविष्य में अन्य बागवानी फसलों के लिए भी सुदूर संवेदी तकनीक का प्रयोग किया जायेगा। इससे भारत में बागवानी को बढ़ावा मिलेगा।
- कृषि GDP में वृद्धि करना- यह व्यापक पैमाने पर कृषि क्षेत्र में विकास के प्रमुख संचालकों में से एक हो सकता है और समग्र सकल घरेलु उत्पाद में कृषि के हिस्से में वृद्धि कर सकता है।
- **खाद्य सुरक्षा में सुधार-** यह बागवानी क्षेत्र द्वारा लोगों को पोषक तत्वों से युक्त फसलें प्रदान करने में सहायता कर सकता है और इस प्रकार सभी लोगों के लिए खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है।
- प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों में **रोजगार के अवसरों के सृजन** में यह सहायक होगा। इस प्रकार हाल के वर्षों में इसे महत्वपूर्ण प्रधानता प्राप्त हुई है।

3.23. अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार

(Nobel Prize in Economics)

सुर्खियों में क्यों?

• 2017 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार हेतु अमेरिकी अर्थशास्त्री रिचर्ड थेलर को व्यावहारिक अर्थशास्त्र (behavioural economics) के क्षेत्र में योगदान देने के लिए चुना गया है।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- रिचर्ड थेलर ने अर्थशास्त्र में अनुसंधान के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का वर्णन किया है, जैसे;
 - o नज इकोनॉमिक्स/ नजिंग (Nudge Economics/Nudging): यह एक आर्थिक कार्यकलाप है जिसमें लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए लघु प्रलोभन प्रदान किये जाते हैं। नज व्यक्तिगत स्तर पर कार्य करते हैं, परंतु इनका उपयोग कंपनियों द्वारा भी किया जाता है।
 - थेलर का मानना है कि व्यय/उपभोग के लिए अल्पकालिक प्रलोभन व्यक्तियों की वृद्धावस्था या स्वस्थ जीवनशैली व्यतीत करने के लिए की जाने वाली बचत संबंधी योजनाओं को बाधित कर देते हैं।
 - उन्होंने *मेंटल अकाउंटिंग (mental accounting)* का सिद्धांत विकसित किया। इस सिद्धांत के अनुसार कोई व्यक्ति समग्र प्रभाव की अपेक्षा किसी अकेले निर्णय के सीमित प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए, अपने मस्तिष्क में अलग-अलग अकाउंट बनाकर वित्तीय निर्णय लेने को सरल बनाता है।

महत्व

- उनके योगदान ने व्यक्तिगत निर्णय लेने के आर्थिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के मध्य संबंध स्थापित किया। इन्होने 'व्यक्ति एक विवेकशील अभिकर्ता है' इस धारणा पर आधारित पारंपरिक आर्थिक विश्लेषण को चुनौती दी है।
- इन निष्कर्षों का उपयोग डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जैसे कार्यक्रमों के बेहतर नीति निर्माण में किया जायेगा।
- इन निष्कर्षों और उसके विभिन्न मॉडल, वित्तीय अभियांत्रिकी (financial engineering) के प्रभावी निर्माण में सहायता करेंगें। साथ ही इससे मानव को आर्थिक क्रियाओं के केंद्र में रखकर, उनसे संबंधित प्रत्याशित संकटों को कम किया जा सकता है।

3.24. अबू धाबी द्वारा NIIF के मास्टर फंड में निवेश

(Abu Dhabi to Invest in NIIF's Master Fund)

सुर्खियों में क्यों?

• हाल ही में, भारत के **नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (**NIIF) ने *अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (ADIA)* के साथ 1 अरब डॉलर के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

NIIF के संबंध में

- NIIF को 2015 में स्थापित किया गया था। इसे SEBI के साथ श्रे**णी II वैकल्पिक निवेश कोष** के रूप में पंजीकृत किया गया था।
- इसमें लगभग 40,000 करोड़ रुपये का कोष प्रस्तावित है। जिसमें सरकार द्वारा 49% और शेष तीसरे पक्ष के निवेशकों
 जैसे कि साँवरेन वेल्थ फण्ड, बीमा और पेंशन फण्ड द्वारा निवेश किया जायेगा।
- वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक शासी निकाय, NIIF के लिए सलाहकार परिषद के रूप में कार्य करेगा।
- इसके द्वारा अवसंरचना क्षेत्रकों, जैसे- ऊर्जा, परिवहन, हाउसिंग, जल, अपशिष्ट प्रबंधन और वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक अन्य ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड और अवरुद्ध परियोजनाओं में निवेश किया जाएगा।

मुख्य तथ्य

- ADIA, NIIFs के मास्टर फंड में निवेश करने वाला प्रथम संस्थागत निवेशक होगा तथा साथ ही NIIF की निवेश प्रबंधन कंपनी, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में शेयरधारक बन जाएगा।
- यह फंड भारत के अवसंरचना क्षेत्र में विदेशी पूँजी प्रवाह को सुगम बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

3.25. स्टार्ट-अप संगम पहल

(Start-Up Sangam Initiative)

सुर्खियों में क्यों?

• हाल ही में, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा स्टार्ट-अप संगम पहल आरंभ की गई थी।

स्टार्ट-अप संगम पहल

- इसे भारी तेल (heavy oil) और गैस उद्योग में नवाचार लाने और नई प्रौद्योगिकियों के समावेश को बढ़ावा देने के लिए आरम्भ किया गया था।
- इस पहल के तहत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ONGC, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड आदि जैसे विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों के योगदान से 320 करोड़ रुपये का एक कोष बनाया गया है।
- इस कोष का उपयोग आगामी तीन वर्षों में 30 से अधिक स्टार्ट-अप्स में किया जाएगा।
- चयनित स्टार्ट-अप विभिन्न ऊर्जा क्षेत्रों जैसे कि अपशिष्ट प्लास्टिक को पेट्रोलियम ईंधन में परिवर्तित करने, सौर स्टोव, कृषि, बायोमास अपशिष्ट से बहुउद्देशीय ईंधन और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) सिलेंडर के लिए लीक डिटेक्टर आदि बनाने के क्षेत्र में कार्य करेंगे।
- इसके द्वारा वैकल्पिक ईंधन में नवाचारों के माध्यम से ईंधन आयात पर निर्भरता को कम किया जा सकता है।

3.26 साथी योजना

(Saathi Scheme)

सर्खियों में क्यों?

• वस्त्र मंत्रालय एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से एक नई पहल 'साथी' (Sustainable and Accelerated Adoption of Efficient Textile Technology to Help Small Industries- SAATHI) अर्थात् 'लघु उद्योगों की सहायता के लिए प्रभावी वस्त्र प्रौद्योगिकियों का संधारणीय एवं त्वरित अंगीकरण' का आरंभ किया गया है।

ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (EESL)

- यह चार राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों NTPC लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड और पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक संयुक्त उपक्रम है।
- इसे भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के तत्वाधान में स्थापित किया गया है।
- यह स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (SLNP) और उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल (UJJALA) को कार्यान्वित


करता है।

• यह *नेशनल मिशन फॉर एन्हांस्ड एनर्जी एक्सपैंशन* की बाजार संबंधी गतिविधियों का भी संचालन करता है।

साथी योजना के संबंध में

- इस पहल के तहत, EESL विद्युत से चलने वाले ऊर्जा दक्ष करघों (पावलूम्स), मोटर एवं रिपेयर किटों का थोक में क्रय करेगी एवं उन्हें बिना किसी अग्रिम लागत के लघु एवं मध्यम इकाइयों को उपलब्ध कराएगी।
- इस पहल का कार्यान्वयन अखिल भारतीय आधार पर संयुक्त रूप से EESL एवं वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा किया जाएगा।





4. सुरक्षा

(SECURITY)

4.1. शहरी आतंकवाद

(Urban Terror)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में अमेरिका के लॉस वेगास में सार्वजनिक स्थल पर गोलीबारी की एक और घटना हुई। यह अमेरिका के आधुनिक इतिहास की सबसे रक्तरंजित घटनाओं में से एक थी।

ऐसी घटनाओं में वृद्धि क्यों?

- आसान लक्ष्य- शहरी संकुलन में निर्मित इमारतों की सघनता तथा वृहद् शहरी यातायात अवसंरचना के कारण बड़ी संख्या में लोग एक ही स्थान पर एकत्रित होते हैं। इसके कारण वे ऐसी घटनाओं के आसान शिकार बन जाते हैं तथा ऐसे आतंकवादी हमलों के प्रभाव में वृद्धि होती है।
- पहचान छिपाने का अवसर ग्रामीण क्षेत्रों के विपरीत शहरों तथा कस्बों के निवासियों में ज्यादा विविधता होती है। जिसके परिणामस्वरुप यहाँ पहचान छिपाने के अवसर अधिक होते हैं। यही कारण है कि *इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस* (IED) हमलों तथा आत्मघाती हमलावरों की पहचान करना एवं उन्हें रोकना अत्यधिक कठिन हो जाता है।
- सुविधाओं की उपलब्धता- आतंकवादियों के लिए किसी सामान्य शहरी क्षेत्र में हथियार, दवाइयाँ, सार्वजनिक यातायात, भोजन तथा निवास सम्बन्धी सुविधाओं जैसे लॉजिस्टिकल सपोर्ट की उपलब्धता आसान होती है।
- आसान भर्ती- किसी आतंकी समूह के लिए शहरी क्षेत्रों में भावी आतंकवादियों का पूर्वानुमान कर उनकी भर्ती करना आसान होता है क्योंकि शहर सामान्यतः असंतोष के पोषण में सहायक होते हैं।
- सरकार की विश्वसनीयता पर आक्रमण- अत्यधिक महत्त्वपूर्ण (हाई प्रोफाइल) प्रतीकात्मक स्थलों पर आक्रमण के माध्यम से आतंकी समूह यह सन्देश प्रेषित करने का प्रयास करते हैं कि जब सरकार अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा करने में समर्थ नहीं है तो निश्चित ही यह साधारण स्थलों की सुरक्षा नहीं कर सकती।
- गैर-भेदभावपूर्ण आतंकरोधी ऑपरेशन से संरक्षण- यह आतंकवादियों को एक अतिरिक्त संरक्षण भी प्रदान करता है। सरकार कोई भी ऐसा आतंकरोधी ऑपरेशन चलाने का जोखिम नहीं लेती है जिसमें संपार्श्विक क्षति (कोलैटरल डैमेज) अधिक हो। यही कारण है कि ऐसे क्षेत्रों में आतंकवादियों के खिलाफ हवाई बमबारी की सहायता नहीं ली जा सकती। बंधकों की उपस्थिति सेना या पुलिस के कार्य को और अधिक जटिल बना देती है।
- घटनाओं हेतु सीमित आवश्यकताएँ- शहरी क्षेत्रों में किसी आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए आतंकवादियों को पहाड़ी अथवा ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कम शारीरिक शक्ति तथा सहनशीलता की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही यहाँ उन्हें निर्धारित क्षिति पहुँचाने के लिए लम्बी दूरी के परिष्कृत शस्त्रों की भी आवश्यकता नहीं होती है।
- भय का आसानी से प्रसार- चूँिक आतंकवाद का उद्देश्य 'कृत्यों से प्रचारित' होना है, अतः शहरी परिवेश में बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति, प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों की उपलब्धता तथा उनके द्वारा ऐसी घटनाओं की त्वरित रिपोर्टिंग के कारण आतंकवादियों का 'ध्यान-आकर्षण' का लक्ष्य आसानी से पूरा हो जाता है। ऐसी रिपोर्ट आमतौर पर आतंकवादी कृत्यों की भयभीत करने की क्षमता को और बढ़ा-चढ़ाकर दिखाती हैं।
- अन्य सुभेद्यताएँ- वृहद् पर्यावरणीय आपदाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले नए प्रकार के संकट, भविष्य में अन्य संघर्षों को जन्म दे सकते हैं।
- इंटरनेट के कारण सुभेद्यताएँ- निजी सूचनाओं की बढ़ती उपलब्धता ने व्यक्तियों को आतंकवाद के प्रति अधिक सुभेद्य बना दिया है। इन सूचनाओं का प्रयोग करके कट्टरता का प्रसार तथा हिंसक घटनाओं के लिए लक्षित करने जैसे कार्यों को किया जा सकता है। इसके साथ ही GPS तथा ऐसी अन्य सेवाओं के कारण इंटरनेट के माध्यम से आतंकवादियों की पहुँच में और भी बढ़ोत्तरी हुई है। परिणामस्वरूप, वर्तमान समय में आतंकवाद ने अंतर्राष्ट्रीय स्वरुप धारण कर लिया है।

शहरी आतंकवाद क्या है?

शहरी आतंकवाद से आशय शहरी परिवेश में आतंकवादियों द्वारा अवसंरचना तथा जीवन को अस्त-व्यस्त करने एवं नुकसान पहुँचाने के खतरे से है।

यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है:

- जब खतरा लोगों को हो, उदाहरण के लिए बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या (मास-किलिंग)
- जब खतरा शहरी अवसंरचना को हो

क्या किया जाना चाहिए?

- **इंटेलिजेंस एजेंसी-** केंद्रीय, राज्य स्तरीय तथा अंतर्राष्ट्रीय इंटेलिजेंस एजेंसियों के मध्य सहयोग की आवश्यकता है।
- समुचित निगरानी- कार्यक्षम बुद्धिमत्ता (actionable intelligence) की प्राप्ति के लिए आतंकवादी संगठनों के नेटवर्क तथा स्लीपर सेल्स के भीतर घस कर उनकी समचित निगरानी अत्यधिक महत्वपर्ण है।
- इधर-उधर घुम रहे किसी व्यक्ति अथवा वाहन की संदिग्ध गतिविधियों को पहचानने तथा चेतावनी देने के लिए तकनीक की
- सुरक्षाकर्मियों को लावारिस छोड़ी गयी संदिग्ध वस्तुओं को पहचानने तथा उन्हें पृथक करने के लिए संवेदनशील रहना चाहिए। प्रशिक्षित सैन्य बल
- पुलिस को शहरी आतंकवाद की इस नई अवधारणा का सामना करने के लिए प्रभावी रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- प्रत्येक राज्य को घातक आतंकी हमलों का सामना करने के लिए NSG जैसी कमांडो फ़ोर्स गठित करनी चाहिए।
- बड़े पैमाने पर होने वाले आतंकी हमलों के उपरांत सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आवधिक रुप से **अभ्यास** किये जाने चाहिए। इसके साथ ही विभिन्न आकस्मिक परिस्थितियों की नक़ल कर उन स्थितियों से निपटने का भी अभ्यास (mock-drill) किया जाना
- समाज के सभी हितधारकों को सम्मिलित कर शहरी आतंकवाद का सामना करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत अपने आसपास किसी के असामान्य (भटकावपूर्ण) व्यवहार पर नज़र रखने तथा संदिग्ध गतिविधियों की सूचना इंटेलिजेंस एजेंसियों तक पहुंचाने के संदर्भ में सामाजिक जागरुकता का प्रसार करना सम्मिलित है।

4.2. व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली

(comprehensive integrated border management system)

सर्खियों में क्यों?

हाल ही में सीमा सुरक्षा बल (BSF) के कर्मियों द्वारा जम्मू के जंगली क्षेत्रों में पांचवीं (2012 से) सीमा-पारीय सुरंग पता लगाया गया। परिणामस्वरूप व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली(Comprehensive Integrated Border

Management System: CIBMS) की मांग में तीव्रता आयी है।

पृष्ठभूमि

2014 में BSF द्वारा गृह मंत्रालय को CIBMS के संदर्भ में विस्तृत रिपोर्ट सौंपी गयी थी, परंतु इस प्रणाली के क्रियान्वयन के संबंध में जनवरी 2016 तक कोई निर्णय नहीं लिया गया।

SECURITY UPGRADE



in Jammu & Punjab are already on

with hi-tech systems in two years

and 50-60 private companies are

A control room will be set up

activity will be noticed and BSF men

will be alerted, If one device is not

working, other will alert jawans

after every 5-6 km where any

expected to take up projects

▶ The entire border will be covered

- Any person trying to enter India from Gujarat to J&K can be tracked by multiple technologies like CCTV cameras, thermal image devices, night vision devices, surveillance radar, underground monitoring sensors & laser barriers
- All unfenced 130 riverine sections on 2,900-km-long border will be covered using laser barriers
- ► The project will cost govt Rs 1cr

► Though CCTV cameras, night thermal imgers and sensors are used in sensitive areas, Technology used is not superior. More than 150,000 flood lights have been installed on 50,000 poles by govt on border to track movement using binoculars

PRESENT

STATUS

- ▶ There were 222 infiltration attempts from Pakistan in 2014; 100 in 2015
- At any given time, 70 battalions of BSF are posted on the border from kutch to Kashmir. 1/3rd of them not on border
- **पठानकोट में हुए आतंकवादी हमले** तथा उसके उपरांत पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की चेतावनी के परिणामस्वरुप CIBMS के क्रियान्वयन में तेजी आयी। इसके उपरांत गृह मंत्रालय ने दो प्रायोगिक परियोजनाओं (जोकि भारत-पाकिस्तान सीमा के जम्म सेक्टर तक विस्तृत है) के द्वारा CIBMS के क्रियान्वयन की अनुमति प्रदान कर दी।
- कालांतर में मधुकर गुप्ता (2016) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए तकनीकी समाधानों की अनुशंसा करना था।
- यह एक मजबूत और एकीकृत प्रणाली है जो मानव संसाधन, हथियारों और हाई-टेक निगरानी उपकरणों को एकीकृत कर सीमा सुरक्षा की मौजूदा व्यवस्था में अंतरालों को संबोधित करने में सक्षम है।
- इसके तीन मुख्य घटक हैं:

- o अंतर्राष्ट्रीय सीमा की **निरंतर निगरानी** के लिए मौजूदा उपकरणों के साथ-साथ सेंसर, डिटेक्टर, कैमरे आदि के रूप में **नए हाई-टेक** निगरानी उपकरण।
- एकत्रित किए गए डेटा के प्रसारण के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल और सैटेलाइट संचार सहित एक कुशल और समर्पित संचार नेटवर्क: तथा
- o एक **कमांड और नियंत्रण केंद्र** जहाँ डेटा को प्रेषित किया जाएगा ताकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का एक समग्र चित्र प्रदान किया जा सके।

CIBMS की आवश्यकता

- मानव बल पर अत्यधिक केंद्रित मौजूदा तंत्र, BSF टुकड़ियों को आराम तथा राहत प्रदान करने में प्रभावशाली नहीं था।
- हालाँकि अत्याधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता रहा है, तथापि वे संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ नहीं रहे हैं तथा विषमतापूर्ण मौसमी परिस्थितियों में कार्य करने में अक्षम हो जाते हैं।
- बाड़ के रास्ते में बहने वाली निदयों तथा नालों के कारण बहुत से महत्वपूर्ण अंतराल असुरक्षित रह जाते हैं।
- यह एकीकृत तंत्र नहीं है, अतः सभी स्तरों पर एक समान संचालन व्यवस्था प्रदान करने में असमर्थ रहता है।
- CIBMS आने वाले समय में पठानकोट जैसे आतंकी हमले तथा घुसपैठ एवं तस्करी को रोकने में सक्षम होगा।

4.3. CCTNS के अंतर्गत डिजिटल पुलिस पोर्टल

(Digital Police Portal under CCTNS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में गृह मंत्री द्वारा CCTNS परियोजना के अंतर्गत एक डिजिटल पुलिस पोर्टल का शुभारंभ किया गया।

पृष्ठभूमि

- CCTNS का निर्माण मूलतः एक राष्ट्रीय डाटाबेस के माध्यम से व्यक्तियों के अपराधों और आपराधिक रिकॉर्डों के रखरखाव तथा सभी नागरिकों को वेब आधारित पुलिस संबंधी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया।
- अब पुलिस से संबंधित सेवाओं के डिजिटलीकरण को गति प्रदान करने के लिए डिजिटल पुलिस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है।

क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (CCTNS)

इस परियोजना का प्रारंभ गृह मंत्रालय द्वारा 2009 में किया गया था। इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- नागरिकों को एक वेब पोर्टल के माध्यम से नागरिक केंद्रित पुलिस सेवाएं प्रदान करना।
- एक राष्ट्रीय डाटाबेस के माध्यम से किसी व्यक्ति के अपराध और आपराधिक रिकॉर्ड की अखिल भारतीय खोज की सुविधा प्रदान करना।
- राज्य तथा केंद्र के स्तर पर अपराध तथा अपराधियों की रिपोर्ट तैयार करना।
- पुलिस प्रक्रियाओं का कंप्यूटरीकरण।

इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS)

- यह CCTNS का एक घटक है।
- ICJS का उद्देश्य सर्वप्रथम CCTNS परियोजना का ई-कोर्ट और ई-कारागार डेटाबेस के साथ एकीकरण तथा कालांतर में आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी घटकों के साथ एकीकरण करना है।
- इस प्रकार यह न्यायपालिका, पुलिस तथा जेलों तक CCTNS की पहुँच के माध्यम से जांच में सहायता एवं शीघ्र एवं संसूचित
 निर्णयों के द्वारा त्वरित न्याय प्रदान करने में सहायता करेगा।

डिजिटल पुलिस पोर्टल की विशेषताएं

यह स्मार्ट (S-िस्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, M-मॉडर्न एंड मोबाइल, A-अलर्ट एंड एकाउंटेबल, R-िरलाएबल एंड रेस्पोंसिव; T-ट्रेंड एंड टेक्नो-सेवी) पुलिसिंग हेतु सरकार की एक पहल है। इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों को निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान करना:
 - किसी अपराध की शिकायत दर्ज करने की

- किसी व्यक्ति की पहचान के सत्यापन का अनुरोध करने की
- राज्य नागरिक पोर्टल से जोड़ने की
- नेशनल डाटाबेस ऑफ़ क्राइम रिकॉर्ड के आँकड़ों तक केवल अधिकृत व्यक्तियों की पहुँच से जाँच, नीति निर्माण, आंकड़ों का विश्लेषण,
 शोध तथा नागरिक सेवाएं प्रदान करने में सहायता मिलेगी। इन आँकड़ों तक पहुँच केवल अधिकृत अधिकारियों को ही प्रदान किये जाने से व्यक्तियों की निजता का संरक्षण तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बंधित चिंताओं का समाधान भी होगा।
- यह पोर्टल, नीति विश्लेषण और लक्षित हस्तक्षेप करने के लिए देश भर में अपराध की घटनाओं के रुझानों से सम्बंधित विभिन्न विषयगत रिपोर्ट तैयार करता है।

4.4. म्यांमार के साथ मुक्त आवागमन व्यवस्था

(Free Movement Regime with Myanmar)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार द्वारा भारत तथा म्यांमार के नागरिकों के मध्य मुक्त आवागमन की व्यवस्था की समीक्षा हेतु कदम उठाए गए हैं। मुक्त आवागमन व्यवस्था (Free Movement Regime: FMR) क्या है?

- जनजातीय समुदायों, विशेष रूप से नागा, सिंहपो, कुकी, मिजो आदि का दावा है कि भारत और म्यांमार के बीच की सीमा उस परंपरागत सीमा से असंगत है जहाँ वे निवास करते रहे हैं तथा अभी भी उनके अपने सीमापारीय रिश्तेदारों के साथ सम्बन्ध विद्यमान हैं।
- इस प्रकार FMR भारत और म्यांमार सीमा पर रहने वाली जनजातियों की असुरक्षा कम करने की एक व्यवस्था है।
- इसके अंतर्गत सीमा से सटे हुए इलाकों में निवास करने वाले जनजातीय समुदायों को बिना वीजा प्रतिबंधों के सीमा पार 16
 िकलोमीटर तक की यात्रा करने की अनुमित दी गयी है।
- जहां भारत में म्यांमार के निवासियों को बिना वीजा के 72 घंटे तक रहने की अनुमित प्रदान की गयी है वहीं म्यांमार भारतीयों को सिर्फ 24 घंटे रहने की अनुमित प्रदान करता है। इसके समाधान हेतु दोनों सरकारों के मध्य समानांतर चर्चाएं जारी हैं।

FMR की समीक्षा की आवश्यकता

- FMR की आड़ में अवैध गतिविधियां: इंटेलिजेंस एजेंसियों ने यह चिंता व्यक्त की है कि आतंकवादियों और अपराधियों द्वारा घुसपैठ, हथियारों तथा नशीले पदार्थों की तस्करी आदि के लिए FMR का दुरुपयोग किया जा रहा है।
- सीमावर्ती राज्यों के मध्य प्रोटोकॉल का पृथक होना: सीमावर्ती राज्य FMR के सन्दर्भ में भिन्न-भिन्न प्रोटोकॉल का पालन करते रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप सुरक्षा खतरे उत्पन्न होने की संभावना रहती है। अतः दोनों देशों के मध्य सीमा सुरक्षा मानदंडों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा था। हाल ही में सरकार ने म्यांमार के सीमावर्ती चार राज्यों के लिए FMR के संबंध में सामान्य मानक परिचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने पर सहमित जताई है।
- आतंकी समूहों के लिए सुरक्षित स्थान (सेफ़ हेवेन्स)- पश्चिमी बर्मा के पहाड़ी क्षेत्रों में गतिशील ठिकानों तथा कुशल सूचना नेटवर्क की उपलब्धता के कारण NSCN-K, NSCN-IM, ULFA, PLA तथा UNLF-M जैसे आतंकी समूह समृद्ध हुए हैं।
- क्षेत्र की जिटल प्रकृति: टेढ़े-मेढ़े भ्रंशयुक्त पर्वत, दुर्गम इलाके, बढ़ी हुई निदयां तथा घने जंगलों का आवरण इस क्षेत्र में लोगों की आवाजाही तथा क्षेत्र के विकास को किठन बना देते हैं। अतः भारत के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए जनजातियों के हितों के विकास के लिए FMR की समीक्षा की आवश्यकता है।
- रोहिंग्या का पलायन: म्यांमार के रखाइन प्रांत में हुए संघर्ष के क्रम में भारत में रोहिंग्या मुसलमानों का पलायन हुआ है। इस संदर्भ में एक सरकारी आयोग का गठन भी किया गया है जिसका कार्य सीमावर्ती राज्यों द्वारा मुक्त आवागमन व्यवस्था के क्रियान्वयन तथा उभरते हुए सुरक्षा मुद्दों के संदर्भ में नियमों और विधानों की जांच करना है।

4.5. स्पेस, साइबर और स्पेशल ऑपरेशन कमांड का निर्माण

(Creation of Space, Cyber and Special Operations Commands)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत डिफेंस साइबर एजेंसी, डिफेंस स्पेस एजेंसी तथा स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन नामक तीन नए संगठन (formations) के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है।

पृष्ठभूमि

- यह पहल चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी (2012) की अनुशंसाओं पर आधारित है। इस कमेटी के द्वारा अत्याधुनिक युद्धों में साइबर, स्पेस (अंतरिक्ष) तथा स्पेशल ऑपरेशन के बढ़ते महत्व के कारण तीन नए संयुक्त कमांड के निर्माण की अनुशंसा की गयी थी।
- भारतीय सशस्त्र बलों के संयुक्त सैन्य सिद्धांत, 2017 के अंतर्गत भी स्पेस (अंतरिक्ष), साइबर स्पेस और स्पेशल आपरेशन की "उभरती तिकड़ी" के लिए रक्षा बलों को तैयार करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है।

विवरण

- थलसेना, वायु सेना और नौसेना के मध्य संबंधित क्षेत्रों में एकीकरण और संबद्धता को बढ़ावा देने के लिए इन तीन संगठनों को त्रि-सेवा संगठनों के रूप में विकसित किया जाएगा।
- *डिफेंस साइबर एजेंसी* (DCA) राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सलाहकार के साथ निकटस्थ समन्वय में कार्य करेगी। इसके विशेषज्ञों को थलसेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना की विभिन्न संरचनाओं को उपलब्ध करवाया जाएगा तथा उनके द्वारा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा सहित गैर-नागरिक साइबर मृद्दों पर ध्यान दिया जायेगा।
- निगरानी उपग्रहों से जानकारी सिहत अंतरिक्ष संसाधनों के बेहतर उपयोग और एकीकरण के लिए **डिफेंस स्पेस एजेंसी** (DSA) ISRO तथा DRDO के साथ मिलकर कार्य करेगी।
- स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन (SOD), सेनाओं के विशेष बलों यथा पैरा कमांडो (थल सेना), मार्कोस (नौसेना) और गरुड़ (वायुसेना) से मिलाकर बना कर्मियों का एक केंद्रीय समूह (pool) होगा। ये गैर-परंपरागत युद्ध क्षमताओं के लिए सुसज्जित और प्रशिक्षित होंगे।
- इन एजेंसियों का नेतृत्व थल सेना के मेजर जनरल रैंक के अधिकारियों तथा नौसेना और वायु सेना के उनके समकक्ष अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।
- इन संगठनों की स्थापना की अनुशंसा नरेश चन्द्र टास्क फ़ोर्स, 2012
 द्वारा की गयी थी।

महत्त्व

- युद्ध के पांचवें आयाम के रूप में साइबर स्पेस: वर्तमान में साइबर स्पेस अनुप्रयोगों के अंतर्गत सर्विलांस, इंटेलिजेंस तथा वास्तविक रूप में आक्रामक एवं रक्षात्मक सैन्य ऑपरेशन सम्मिलित हैं। महत्वपूर्ण ICT नेटवर्कों पर हमला कर वास्तविक हमले की तुलना में अधिक महत्त्वपूर्ण सैन्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
- अंतर्राष्ट्रीय तुलना: चीन ने उन्नत अंतरिक्ष और साइबर स्पेस सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन किया है, जिसके अंतर्गत उन्नत ASAT (एंटी-सैटेलाइट), निर्देशित ऊर्जा लेजर हथियार और साइबर हथियार शामिल हैं। इस प्रकार यह अपरिहार्य है कि भारत भी साइबर, स्पेस और स्पेशल ऑपरेशंस के क्षेत्र में अपनी घरेलू क्षमताओं का विकास करे।



• विशिष्ट कार्यक्रम: भारत ने पिछले वर्ष पाकिस्तान के खिलाफ 'सर्जिकल स्ट्राइक' किया था लेकिन वे मुख्य रूप से सैन्य नेतृत्व वाले अभियान थे। साइबर और अंतरिक्ष में ये नई एजेंसियां, विशिष्ट बलों द्वारा 'योजनाबद्ध' तरीके से विशेष अभियानों के संचालन की क्षमता प्रदान करती हैं।

4.6. एकीकृत चेक पोस्ट

(Integrated Check Posts)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, मंत्रिमंडल द्वारा थाईलैंड और म्यांमार सहित सार्क देशों के साथ भारत के संबंधों को प्रोत्साहित करने के लिए 13 नए एकीकृत चेक पोस्ट (ICP) स्थापित करने का प्रस्ताव पेश किया गया।

ICP के बारे में

- ये शत्रुतापूर्ण तत्वों के विरुद्ध देश की सीमाओं को सुरक्षित करने तथा ऐसे तंत्रों की स्थापना करने में सहायता करते हैं जो वैध व्यापार और वाणिज्य की सुविधा देते हुए ऐसे तत्वों को प्रतिबंधित कर सकते हैं।
- वे सीमा शुल्क, आव्रजन और अन्य नियामक एजेंसियों के साथ उपलब्ध मौजूदा बुनियादी सुविधाओं के पूरक के रूप में एक एकीकृत परिसर में ही वेयरहाउस, पार्किंग स्थल, बैंक, होटल आदि जैसी सभी सुविधाएं प्रदान करते हैं।
- इन एकीकृत चेक पोस्ट (ICP) के अंतर्गत सभी नियामक एजेंसियां यथा आव्रजन, सीमा शुल्क, सीमा सुरक्षा आदि उपस्थित होंगी।
- इन्हें लैंड पोट्र्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (LPAI) द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (LPAI)

- यह गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है।
- इसका उद्देश्य भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ नामित स्थलों पर यात्रियों और वस्तुओं के सीमापारीय आवागमन की सुविधाओं को विकसित करना, उन्हें स्वच्छ करना तथा उनका प्रबंधन करना है।

13 प्रस्तावित ICP निम्नलिखित हैं:

स्थान	राज्य	सीमा
पेट्रापोल	पश्चिम बंगाल	भारत-बांग्लादेश
हिली	पश्चिम बंगाल	भारत-बांग्लादेश
चंद्रबंघा	पश्चिम बंगाल	भारत-बांग्लादेश
सूतरखांडी	असम	भारत-बांग्लादेश
डॉकी	मेघालय	भारत-बांग्लादेश
अखौरा	त्रिपुरा	भारत-बांग्लादेश
कावरपुछिया	मिजोरम	भारत-बांग्लादेश
रक्सौल 🍆	बिहार	भारत-नेपाल
जोगबनी	बिहार	भारत-नेपाल
सोनौली	उत्तर प्रदेश	भारत-नेपाल
रुपाईडिहा	उत्तर प्रदेश	भारत-नेपाल
अटारी	पंजाब	भारत-पाकिस्तान
मोरेह	मणिपुर	भारत-म्यांमार

4.7. INS किल्तान

(INS Kiltan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में एंटी सबमरीन वॉरफेयर (ASW) स्टील्थ कार्वेट (लड़ाकू युद्धपोत) INS किल्तान (P30) को भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया।

विवरण

- INS किल्तान नौसेना आधुनिकीकरण परियोजना पी-28 के तहत निर्मित किये जा रहे चार कमोर्टा वर्ग के एंटी-सबमरीन वॉरफेयर (पनड्डबीरोधी) कार्वेट में से तीसरा है।
- इस परियोजना के तहत पूर्व में निर्मित दो जहाज INS कमोर्टा तथा INS कदमत्त हैं। INS कवरत्ती नामक चौथा जहाज अभी निर्माणाधीन है।
- यह भारत का पहला प्रमुख युद्धपोत है जिसका ऊपरी ढाँचा कार्बन फाइबर निर्मित सामग्री से बना है। इसके परिणामस्वरूप बेहतर स्टील्थ फीचर्स प्राप्त होते हैं तथा ऊपरी हिस्से के वजन तथा रखरखाव की लागत में कमी आती है।
- इसकी डिजाईन 'नौसेना डिजाईन निदेशालय' द्वारा तैयार की गयी तथा इसका निर्माण गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजिनियर्स लिमिटेड, कोलकाता द्वारा किया गया है।



PHILOSOPHY/ दर्शनशास्त्र

by

ANOOP KUMAR SINGH

Classroom Features:

- ☑ Comprehensive, Intensive & Interactive Classroom Program
- ☑ Step by Step guidance to aspirants for understanding the concepts
- ☑ Develop Analytical, Logical & Rational Approach
- ☑ Effective Answer Writing
- ✓ Printed Notes
- ☑ Revision Classes
- ✓ All India Test Series Included



Answer Writing Program for Philosophy (QIP)

Overall Quality Improvement for Philosophy Optional

Daily Tests:

- ☑ Having Simple Questions (Easier than UPSC standard)
- ☑ Focus on Concept Building & Language
- ☑ Introduction-Conclusion and overall answer format
- ✓ Doubt clearing session after every class

Mini Test:

- After certain topics, mini tests based completely on UPSC pattern
- ✓ Copies will be evaluated within one week

ne pow vision i



Classes at Jaipur & Pune

5. पर्यावरण

(ENVIRONMENT)

5.1.कीटनाशक विषाक्तता

(Pesticide Poisoning)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, NHRC ने यवतमाल जिले में जहरीले कीटनाशक के श्वास के साथ अंतर्ग्रहण कर लेने के पश्चात् हुई किसानों की मृत्यु के लिए केंद्र और महाराष्ट्र सरकार दोनों को नोटिस जारी किया है।

निहित मुद्दे

- इस वर्ष कपास के पौधे की लम्बाई असामान्य रूप से लगभग 6 फीट तक बढ़ गयी थी। बोलवर्म के प्रतिरोध के बावजूद पौधों की अधिक लम्बाई ने कीटों को अपनी तरफ आकर्षित किया। इन पौधों पर कृषि मजदूरों द्वारा कीटनाशकों के छिड़काव करते समय कुछ कीटनाशक श्वास के साथ शरीर में प्रवेश कर गए।
- असामान्य रूप से आर्द्र परिस्थिति तथा उच्च घनत्व वाली कपास की खेती ने किसानों को कीटनाशकों के छिड़काव के दौरान रासायनिक संपर्क के प्रति सुभेद्य बना दिया।
- किसान विभिन्न प्रकार के कीटों से निपटने के लिए रासायनिकों के अवैज्ञानिक मिश्रण का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा, किसानों को प्रतिदिन सुरक्षात्मक उपायों के बिना कीटनाशक के छिड़काव हेतु बड़े पैमाने पर दिहाड़ी मजदूर मिल जाते हैं।

कीटनाशकों से जुड़े तथ्य

- पौधों या जंतुओं के कुछ रूपों जिन्हें सामान्यतः कीट कहा जाता है, उन्हें मारने, हटाने या नियंत्रित करने हेतु प्रयुक्त पदार्थों को कीटनाशक कहा जाता है।
- इसके अंतर्गत खरपतवार एवं अन्य अवांछित वनस्पतियों को नष्ट करने वाले हर्बिसाइड, अत्यधिक कीट विविधता को नियंत्रित करने वाले कीटनाशक, फफूंद एवं कवकों की वृद्धि को रोकने के लिए प्रयुक्त फफूँदनाशी, जीवाणुओं के प्रसार को रोकने के लिए कीटाणुनाशक और चूहों आदि को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले यौगिकों को शामिल किया जाता हैं।
- WHO ने कीटनाशकों को चार विषाक्तता वर्गों में वर्गीकृत किया है: वर्ग I (a): अत्यंत खतरनाक (extremely hazardous), वर्ग I(b): अत्यधिक खतरनाक (highly hazardous), वर्ग II: मध्यम खतरनाक (moderately hazardous), वर्ग III: कम खतरनाक (slightly hazardous)।
- वर्ग 1 के 18 कीटनाशकों के उपयोग करने की अनुमित प्रदान की गयी है जो कि भारत की कुल कीटनाशकों की खपत का लगभग 30 प्रतिशत है।

कीटनाशकों के लाभ

- खाद्य उत्पादन में वृद्धि, किसानों के लाभ में वृद्धि और रोगों की रोकथाम।
- खेत से खरपतवार और कीटों को हाथ से हटाने में लगने वाले आवश्यक समयावधि को कम करता है।

कीटनाशकों के खतरें

- मानव और अन्य जीवन रूपों के लिए संभावित जोखिम तथा पर्यावरण पर अवांछनीय दुष्प्रभाव।
- भूमिगत एवं सतही जल को प्रदूषित करता है।
- यह पक्षियों, मछलियों, लाभदायक कीटों तथा गैर-लक्षित पौधों सहित कई अन्य जीवों के पोषक समुदाय के लिए विषैला होता है।जिससे पारिस्थितिक तंत्र के प्राकृतिक संतुलन में तीव्र परिवर्तन हो जाता है।
- यह जैवसंचयन (bioaccumulation) को बढ़ावा देता है।

एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM)

- यह एक पारिस्थितिकी-अनुकूल पद्धित है। इसका उद्देश्य कीटों की आबादी को आर्थिक सीमा के स्तर से नीचे बनाए रखना है।
- यह सांस्कृतिक, यांत्रिक और जैविक जैसी सभी उपलब्ध वैकल्पिक कीट नियंत्रण विधियों और तकनीकों के इस्तेमाल को शामिल करता है। इसके अंतर्गत नीम से निर्मित मिश्रणों आदि जैसे पादप आधारित कीटनाशकों एवं जैव कीटनाशकों के प्रयोग पर बल दिया जाता है।
- फसलों में कीट आबादी के आर्थिक सीमा स्तर (ETL) से अधिक होने की स्थिति में ही अंतिम उपाय के रूप में रासायनिक

कीटनाशकों के उपयोग की सलाह दी जाती है।

IPM पर नेशनल पालिसी स्टेटमेंट को 1985 में बनाया गया था। कालांतर में राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 और राष्ट्रीय किसान नीति,
 2007 द्वारा इसका अनुसमर्थन किया गया।

कीटनाशक के लिए सरकारी पहल

- कीटनाशक अधिनियम 1968, मनुष्यों और जानवरों के लिए जोखिम को रोकने हेतु आयात, विनिर्माण, भंडारण, परिवहन, बिक्री, वितरण और कीटनाशकों के उपयोग को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
- केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड की पंजीकरण समिति द्वारा कीटनाशकों के उपयोग और फसलों पर नए रासायनिक मिश्रण के उपयोग के लिए अनुमोदन दिया जाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भोजन में कीटनाशकों के स्तर का विनियमन तथा खाद्य वस्तुओं में इनके अवशेषों की सीमा निर्धारित करता है।
- अनुपम वर्मा समिति ने 2020 तक 13 'अत्यंत खतरनाक' कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने, 6 'मध्यम खतरनाक' कीटनाशकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और 2018 में 27 कीटनाशकों की समीक्षा करने की सिफारिश की है।
- कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (DAC और FWA) के द्वारा एक एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM) को बढ़ावा देने हेतु
 "भारत में कीट प्रबंधन पद्धित का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण" कार्यक्रम शुरू किया गया है।
- विभिन्न प्रकार के हितधारकों के मध्य कीटनाशकों के सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग को लेकर जागरुकता उत्पन्न करने हेतु **"ग्रो सेफ** फूड" अभियान शुरू किया गया है।
- भारत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के स्टॉकहोम कन्वेंशन फॉर पर्सिस्टंट ओर्गेनिक पोलुटेंट्स तथा रोटरडम कन्वेंशन का
 एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। रोटरडम कन्वेंशन सूचनाओं के अबाध आदान प्रदान को प्रोत्साहित करता है। सुरक्षित हैंडलिंग के सम्बन्ध
 में निर्देश एवं खरीददारों को किसी भी प्रकार के प्रतिबन्ध या रोक के बारे में भी सूचित करने के साथ-साथ खतरनाक रसायनों के
 निर्यातकों को उचित लेबलिंग का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

आगे की राह

- कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2017 को पारित कर विनिर्माण, विक्रेताओं, थोक व्यापारियों और वाणिज्यिक कीट-नियंत्रण संचालको के लिए योग्यता के सम्बन्ध में स्पष्टता जैसी खामियों को प्रभावी ढंग से दूर किया जाना चाहिए।
- इंटरनेशनल कोड ऑफ़ कंडक्ट ऑन पेस्टीसाइड मैनेजमेंट (FAO और WHO द्वारा संयुक्त रूप से जारी) में सुझाव दिया गया है कि किसानों को उन कीटनाशकों से बचना चाहिए जिनके अनुप्रयोगों में महंगे और असहज सुरक्षात्मक उपकरणों का उपयोग करना आवश्यक है।विशेष रूप से उष्ण जलवायु के छोटे स्तर के उपयोगकर्ताओं और कृषि मजदूरों के मामले में।

5.2. भारत में आपदा-संबंधित विस्थापन

(Disaster-Related Displacement In India) सुर्ख़ियों में क्यों?

 यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (UNISDR) की रिपोर्ट के अनुसार नागरिकों के विस्थापन के सन्दर्भ में भारत को आपदाओं से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देश के रूप में स्थान प्रदान किया गया है।

मुख्य बिंदु

- रिपोर्ट के अनुसार, प्राकृतिक आपदा के कारण प्रत्येक वर्ष औसतन
 13.9 मिलियन लोग विस्थापित होते हैं। जिनमें शीर्ष दस सर्वाधिक
 आपदा प्रभावित देशों में से आठ देश दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया
 के हैं।
- अध्ययन में ग्लोबल डिजास्टर डिस्प्लेस्मन्ट रिस्क मॉडल का इस्तेमाल किया गया है। इस मॉडल के तहत भूकंप, सुनामी, नदीय बाढ़ और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण आवासों के विनाश से होने वाले विस्थापन का अध्ययन किया गया। इसमें सूखा और समुद्री

जलस्तर में वृद्धि जैसी मंद गति से घटने वाली आपदाओं को शामिल नहीं किया गया है।

 इस मॉडल का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं से भविष्य में होने वाले आर्थिक क्षति के अनुमानों की गणना करने के लिए भी किया गया है।



- भारत में विस्थापित लोगों का अनुमान कम हो सकता है क्योंकि इन अनुमानों में आपदाओं से पहले वहाँ से निकाले गये लोगों को शामिल नहीं किया गया है।
- रिपोर्ट के अनुसार, यदि आपदा जोखिम को प्रबंधित करने में महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हो पाती है, तो विश्व के सबसे अधिक आपदा प्रभावित देशों के लोगों के बेघर होने की दर में अत्यधिक वृद्धि होगी।

संबंधित मुद्दे

- मानवीय संकट: सहायता उपलब्ध कराने संबंधी प्रावधान में विस्थापित लोग प्राय: भेदभाव का सामना करते हैं, क्योंकि साझा करने हेतु उनके पास संसाधन सीमित उपलब्ध होते हैं।
- **लैंगिक हिंसा:** प्राकृतिक आपदाओं और संघर्षों के कारण विस्थापित महिलाओं के साथ प्रायः यौन दुर्व्यवहार और बलात्कार जैसी घटनाएँ आम बात है।
- चरमपंथ के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड: विस्थापित लोग प्राय: आतंकवादी संगठनों द्वारा भर्ती किये जाने के प्रति अधिक सुभेद्य होते हैं।
- स्थानिक भिन्नता: एक समान परिमाण की प्राकृतिक आपदा की स्थिति में अमीर देशों की तुलना में अपेक्षाकृत गरीब देशों में जनहानि की दर अधिक उच्च होती है।
- **मान्यता प्राप्त न होना:** आपदा के कारण विस्थापित लोगों को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत शरणार्थियों के रूप में नहीं मान्यता दी जाती है। उनको पुनर्वास और मुआवजे से संबंधित कोई बुनियादी अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

UNISDR के बारे में

- इसे 1999 में संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के एक भाग के रूप में स्थापित किया गया था।
- यह आपदा न्यूनीकरण में सहायक है तथा साथ ही संयुक्त राष्ट्र व क्षेत्रीय संगठनों की आपदा न्यूनीकरण गतिविधियों तथा सामाजिक आर्थिक एवं मानवीय क्षेत्रों में क्रिया-कलाप सम्बन्धी गतिविधियों में सामंजस्य सुनिश्चित करने हेतु एक केंद्र बिन्दु के रूप में कार्य करता है।
- मुख्यालय: जेनेवा, रिपोर्ट: ग्लोबल एसेसमेंट रिपोर्ट
- यह **आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर सेंडाइ फ्रेमवर्क** के क्रियान्वयन, जाँच और समीक्षा का समर्थन करता है।

आगे की राह

- योजना में DRR को शामिल करना: समग्र धारणीय विकास नियोजन के एक भाग के रूप में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) और जलवायु प्रत्यास्थता (resilience) में निवेश के द्वारा भविष्य में आपदाओं के कारण होने वाले विस्थापन को कम किया जा सकता है।
- मानवीय गरिमा का सम्मान: अधिकार-आधारित दृष्टिकोण प्रदान करके प्रभावी मानवतावादी प्रतिक्रिया के विकास में प्राकृतिक आपदाओं के कारण विस्थापित लोगों के मानवाधिकारों पर विचार करना।

5.3. प्रदूषण के कारण होने वाली मृत्यु

(Pollution Related Death)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में 'प्रदूषण और स्वास्थ्य' पर लांसेट आयोग द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंद

• वर्ष 2015 में वैश्विक स्तर पर प्रदूषण के कारण 9 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी। प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों की संख्या उच्च सोडियम युक्त भोजन (4.1 मिलियन), मोटापा (4 मिलियन), एल्कोहल (2.3 मिलियन), सड़क दुर्घटना (1.4 मिलियन) और शिशु एवं मातृ कुपोषण (1.4 मिलियन) के कारण होने वाली मौतों से अधिक थी।

विकासशील देशों में बढ़ती समस्या: विश्व भर में 6 में से एक व्यक्ति प्रदूषण के कारण मर जाते हैं। उनमें से भी ज्यादातर मौतें भारत जैसे विकासशील देशों में होती हैं।

- आर्थिक हानि: प्रदूषण से होने वाली मृत्यु, बीमारी और देखभाल की वित्तीय लागत वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 6.2% है। उच्च-आय वाले देशों की तुलना में निम्न आय वाले देशों में जलवायु संबंधी आपदाओं के कारण सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में कहीं अधिक आर्थिक हानि होती है।
- बढ़ती बेरोजगारी: तापमान में वृद्धि के परिणामस्वरूप वैश्विक स्तर पर ग्रामीण श्रमिक की उत्पादकता में औसतन 5.3% की गिरावट आई है। इस स्थिति को 2016 में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है जहाँ वैश्विक स्तर पर 920,000 से अधिक लोग बेरोजगार हो गए थे। इनमें से 418,000 केवल भारत में थे।

PM2.5 (2.5 माइक्रोन से छोटे पार्टिक्युलेट मैटर) - यह एक महीन कण होता है जो फेफड़ों में गहराई तक बैठ सकता है। रक्त में आसानी से अवशोषित हो सकता है। अंततः इसके कारण व्यक्ति को श्वसन समस्याएं, हृदय रोग और फेफड़ों का कैंसर हो सकता है।

आर्थिक गतिविधि के रूप में प्रदूषण की रोकथाम: रिपोर्ट में US का उदाहरण देते हुए बताया गया है कि 1970 के बाद से US में प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रत्येक एक डॉलर खर्च करने से अर्थव्यवस्था को 30 डॉलर का लाभ मिला है।

भारतीय परिदृश्य:

भारत में 2.51 मिलियन मौतों में, 1.81 मिलियन वायु प्रदूषण, 0.64 मिलियन जल प्रदूषण, 0.17 मिलियन खतरनाक प्रकृति के व्यवसायों के कारण तथा 95,000 सीसा-प्रदूषण के कारण हुई थी।

- प्रदूषण के स्रोत: भारत में वायु प्रदूषण के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारक पार्टिक्युलेट मैटर (2.5 PM) है। जिसका उत्सर्जन ताप विद्युत संयंत्रों, यातायात, घरेल प्रदूषण, अपशिष्ट, नौपरिवहन, कृषि तथा अन्य विभिन्न स्रोतों से होता है।
- भारतीय शहरों में बढ़ता प्रदुषण: विश्व के शीर्ष 20 प्रदूषित शहरों में से आधे भारत में अवस्थित हैं। आगे की राह

यह रिपोर्ट प्रदूषण के विरुद्ध अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक हस्तक्षेपों का सुझाव देती है।

- अल्पकालिक: लक्षित हस्तक्षेपों को सक्षम बनाने के लिए प्रदूषकों के स्रोतों की पहचान करना।
- **मध्यकालिक:** डीजल वाहनों के लिए *टेस्टिंग स्टेशन्स कण्ट्रोल*, इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड वाहनों के उपयोग के लिए प्रोत्साहन, सार्वजनिक परिवहनों को अपग्रेड करने के साथ-साथ प्रदूषण रहित वाहनों के लिए मानदंड निर्धारित करना।
- दीर्घकालिक: सार्वजनिक परिवहन का विस्तार, पैदल एवं साइकिल मार्गों का निर्माण और वाहनों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए क्रियाविधि निर्माण।

5.4. PAT योजना के परिणाम

(Outcome of PAT Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों

हाल ही में, सरकार द्वारा प्रोत्साहित PAT योजना का पहला रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया था।

रुठगू।न

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत 2012 में सरकार द्वारा 8 ऊर्जा गहन क्षेत्रों में ऊर्जा की बचत का लक्ष्य रखा गया है।

आठ ऊर्जा गहन क्षेत्र: ताप विद्युत संयंत्र, लौह एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, कपड़ा उद्योग, कागज़ एवं लुगदी उद्योग और क्लोर अल्कली उद्योग शामिल हैं।

रिपोर्ट के निष्कर्ष

- इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में ऊर्जा-गहन उद्योगों ने अपने कार्बन उत्सर्जन को 31 मिलियन टन (भारत के कुल वार्षिक उत्सर्जन का 2 प्रतिशत) तक कम किया है तथा इस प्रकार 2012-2015 के बीच तीन वर्षों में कुशल ऊर्जा के उपयोग के माध्यम से 9,500 करोड़ रुपये से अधिक की बचत की है।
- यह तथ्य भारतीय उद्योगों के क्रमिक रूप से निम्न उत्सर्जन करने वाले उद्योग बनने की ओर संकेत करता है।यह इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि 5,635 मेगावाट बिजली का उत्पादन नहीं करना पड़ा जिससे 37,685 करोड़ रुपये की मौद्रिक बचत हुई।

नेशनल मिशन फॉर एन्हांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी (NMEEE)

यह जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के तहत निर्धारित आठ राष्ट्रीय मिशनों में से एक है। NMEEE में ऊर्जा गहन उद्योगों में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए निर्धारित की गयी चार पहलें शामिल हैं, जो निम्न हैं:

- PAT(परफॉर्म,अचीव एंड ट्रेड) योजना: ऊर्जा गहन क्षेत्र की दक्षता में सुधार करना।
- ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण मंच (EEFP): यह ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय संस्थाओं और परियोजनाओं के विकास करने वालों के मध्य बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी इफिशन्ट इकनोमिक डेवलपमेंट (FEEED): यह ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण को बढ़ावा देने हेतु उपयुक्त वित्तीय साधनों के विकास पर केंद्रित है।
- मार्किट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनर्जी इफिशिएंसी (MTEE): ऊर्जा दक्ष उपकरणों की ओर तीव्रता से अग्रसर होना।

PAT (परफॉर्म,अचीव एंड ट्रेड) योजना के बारे में

- इस योजना को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ऊर्जा मंत्रालय) द्वारा नेशनल मिशन फॉर एन्हांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी (NMEEE) के तहत शुरू किया गया था।
- यह बाजार आधारित तंत्र है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लिए दक्षता लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। जिन उद्योगों द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक प्राप्त किया जाएगा उन्हें ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र (ESCert) के रूप में प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
- ये प्रमाणपत्र दो एनर्जी एक्सचेंज क्रमशः इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और पावर एक्सचेंज इंडिया में विपणन योग्य होंगे। जहाँ इन्हें उन उद्योगों द्वारा खरीदा जा सकता है जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं।
- PAT साइकल-I (2012-13 से 2014-15) को 8 ऊर्जा गहन क्षेत्रों पर लागू किया गया था। इन 8 क्षेत्रों में करीब 478 नामित उपभोक्ता (Designated Consumers) हैं जो प्रतिवर्ष 165 मिलियन टन तेल के बराबर ऊर्जा का उपभोग करते हैं (भारत की प्राथमिक ऊर्जा खपत का 33%)।
- PAT साइकल-II (2016 से 2018-19): इसमें PAT-I के 8 क्षेत्र और 3 नए क्षेत्र क्रमशः रेलवे, डिस्कॉम और पेट्रोलियम रिफाइनरीज शामिल हैं।
- PAT साइकल-III (2017 से 20): इसके अंतर्गत 116 नई इकाइयों को शामिल किया गया है तथा इन्हें 1.06 मिलियन टन तेल के बराबर उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य दिया गया है।

5.5. वायुमण्डल में CO2 सांद्रता में उच्च वृद्धि: UN

(CO2 In Atmosphere Hits Record High: UN)

सुर्ख़ियों में क्यों

• विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के **ग्रीनहाउस गैस बुलेटिन** के अनुसार, वायुमण्डल में कार्बन डाई ऑक्साइड (CO2) गैस की सांद्रता एक नए उच्च स्तर पर पहुँच गई है।

WMO के बारे में

- यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।
- यह एजेंसी पृथ्वी के वायुमंडल की गतिविधियों, महासागरों के साथ इसकी पारस्परिक क्रिया, इससे उत्पन्न जलवायु तथा इसके परिणामस्वरूप जल संसाधनों के वितरण का अध्ययन करती है।
- ग्रीनहाउस गैस बुलेटिन, WMO की वार्षिक फ्लैगशिप रिपोर्ट है, जो औद्योगिक क्रांति के बाद के युग में (वर्ष 1750 से) वायुमंडल में गैसों की सांद्रता का पता लगाता है।

WMO का ग्लोबल एटमॉस्फियर वाच (GAW) प्रोग्राम

- यह वायुमंडल की रासायनिक संरचना, इसके प्राकृतिक और मानवजनित परिवर्तनों से संबंधित विश्वसनीय वैज्ञानिक डेटा और सूचना प्रदान करता है। इसके साथ ही यह वायुमंडल, महासागरों और जीवमंडल के बीच अन्तरक्रियाओं को समझने में मदद करता है।
- GAW के मुख्य क्षेत्र हैं एरोसोल, ग्रीन हाउस गैस, कुछ चयनित सक्रीय गैसें, ओजोन, UV विकिरण और वर्षण से संबंधित रसायन विज्ञान (या वायुमंडलीय निक्षेप)।

मुख्य बिंदु

- मानवीय गतिविधियों एवं शक्तिशाली एल नीनो के प्रभाव के कारण वैश्विक स्तर पर CO2 का औसत सांद्रण 2015 में 400.00 PPM के स्तर से बढ़ कर 2016 में 403.3 PPM तक पहुँच गया।
- ये निष्कर्ष वैश्विक स्तर पर *WMO ग्लोबल एटमॉस्फियर वॉच प्रोग्राम* द्वारा किए गए अवलोकन पर आधारित हैं।
- इस रिपोर्ट में पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते और सतत विकास लक्ष्य (SDG) 13 के तहत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु CO2 एवं अन्य ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में तेजी से कटौती करने की अनुशंसा की गयी है।

सम्बंधित तथ्य

- रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में CO2 की सांद्रता औद्योगिक क्रांति के पूर्व (1750 से पूर्व) स्तर से 145% तक बढ़ गई है।
- वायुमंडलीय मीथेन की सांद्रता 1853 पार्ट्स पर बिलियन (PPB) के उच्च स्तरों तक पहुँच गई है जो वर्तमान में पूर्व औद्योगिक स्तर का 257% हो गई है।
- वर्ष 2016 में **NO2 की वायुमंडलीय सांद्रता बढ़कर** 328.9 PPB हो गई थी जो पूर्व औद्योगिक स्तर का 122% थी।

5.6. अवैध रेत खनन

(Illegal Sand Mining)

सुर्ख़ियों में क्यों?

 गुजरात सरकार साबरमती, तापी और नर्मदा निदयों तथा उनके आसपास के क्षेत्रों में अवैध रेत खनन की निगरानी के लिए ड्रोन की तैनाती करेगी।

भारत में रेत खनन


- रेत, **खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957** के तहत एक साधारण खनिज है। अतः इसका नियमन राज्य सरकार के नियमों के तहत आता है।
- यह अधिनियम (MMDR Act) राज्य सरकारों को अवैध खनन, परिवहन और खनिजों के भंडारण को रोकने हेतु नियम बनाने की भी शक्ति प्रदान करता है।
- खान मंत्रालय के अनुसार 2015-16 में, सूक्ष्म खनिजों (minor minerals) के अवैध खनन के 19,000 मामले थे, जिसमें रेत भी शामिल थी।
- इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स के अनुसार सबसे अधिक उत्खनन किया जाने वाला रेत चौथा सूक्ष्म खनिज है।
- शहरीकरण में लगातार वृद्धि और सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे में वृद्धि के लिए किये जा रहे प्रयासों के परिणामस्वरूप रेत की मांग में वृद्धि हो रही है। चूँकि रेत कंक्रीट और सीमेंट बनाने में मुख्य घटक के रूप में प्रयुक्त होती है अतः अवैध खनन गतिविधियाँ और भी बढ़ सकती हैं।

सतत रेत खनन प्रबंधन दिशा-निर्देशों (Sustainable Sand Mining Management Guidelines), 2016 की मुख्य विशेषताएं:

- यह जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा जिला स्तर पर रेत और सूक्ष्म खिनजों के लिए खनन पट्टा क्षेत्र के पांच हेक्टेयर तक हेतु पर्यावरणीय मंजूरी के लिए अनुमित प्रदान करता है।
- राज्य 50 हेक्टेयर तक के खनन पट्टा क्षेत्र के लिए मंजूरी प्रदान करेगा।
- इसके लिए बार कोडिंग, रिमोट सेंसिंग जैसे उपकरणों के माध्यम से रेत खनन की सख्त निगरानी हेतु प्रौद्योगिकी के उपयोग की आवश्यकता होगी।
- यह प्राकृतिक रेत तथा बजरी पर निर्भरता को कम करने हेतु निर्माण सामग्रियों एवं कार्यविधियों में विनिर्मित रेत, कृत्रिम रेत,
 फ्लाई ऐश और वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देगा।
- इसके लिए वास्तुकारों और इंजीनियरों के प्रशिक्षण, नए कानूनों एवं विनियमों की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही रेत पर निर्भरता को कम करने के लिए सकारात्मक प्रोत्साहनों को बढ़ाना होगा।

अवैध रेत खनन को रोकने के लिए उठाए गए कदम

- सरकार ने पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (EIA) अधिसूचना 2006 में संशोधन किया है ताकि छोटे पैमाने की रेत खानों के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मंजरी को अनिवार्य बनाया जा सके।
- इसमें दो निकायों के निर्माण का प्रावधान किया गया है। खानों के पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु एक डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सपर्ट अप्रेज़ल किमटी (DEAC) तथा रेत खनन क्षमता को मापने एवं मंजूरी प्रदान करने हेतु जिला स्तरीय सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रदान करने हेतु एक डिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी (DEIAA) के गठन का भी प्रावधान किया है।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सतत रेत खनन प्रबंधन दिशा निर्देश, 2016 जारी किया गया है।जो रेत खनन के नियमन से संबंधित मुद्दों का निपटारा करता है।
- भारतीय खान ब्यूरो (IBM) के माध्यम से खान मंत्रालय ने अवैध
 खनन की जांच करने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु खनन निगरानी प्रणाली विकसित की है।



• भारतीय मानक ब्यूरो ने रेत के लिए विकल्प विकसित किए हैं। जैसे कि स्लैग, स्टील उद्योग के अवशेष पदार्थ, फ्लाई ऐश, ताप विद्युत संयंत्रों के अवशेष पदार्थ, अत्यधिक पकी हुई ईटों द्वारा निर्मित रेत तथा टाइल एवं क्ले से निर्मित ईटों तथा टाइल्स उद्योगों के अवशेष पदार्थ इत्यादि।

5.7. उद्योगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले भूजल के संबंध में दिशा-निर्देश

(Guideline For Ground Water Usages By Industry]

सुर्ख़ियों में क्यों?

• केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) ने उद्योग, खनन और इंफ़्रास्ट्रक्चर डीवाटरिंग परियोजनाओं द्वारा भूजल उपयोग के संबंध में नए दिशानिर्देश प्रस्तावित किए हैं।

वैधानिक प्रावधान तथा पॉलिसी फ्रेमवर्क

- इजमेंट एक्ट, 1882: यह कानून प्रत्येक भूस्वामी को अपनी भूमि क्षेत्र में सम्पूर्ण सतही जल एवं भूजल के एकत्रण और उसके निस्तारण का अधिकार प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 21 पेयजल तक पहुँच और सुरक्षित पेयजल से सम्बंधित अधिकार प्रदान करता है।
- जल, संविधान के अंतर्गत **राज्य सूची** का विषय है। हालांकि, केंद्र सरकार भूजल के संरक्षण और धारणीय उपयोग को बढ़ावा देने सहित पर्यावरणीय मामलों पर कानून बना सकती है।
- भूजल के विकास और प्रबंधन के नियमन और नियंत्रण के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,1986।
- मॉडल बिल फॉर ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, 2011 सहायिकता के सिद्धांत (Principle of subsidiarity) को लागू करता है।जिसके तहत गांव की सीमा के भीतर पूर्ण रूप से अवस्थित एक जलाशय, **ग्राम पंचायत** के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अंतर्गत होगा।
- राष्ट्रीय जल नीति 2012 में मांग प्रबंधन, उपयोग क्षमता और जल के संरचनात्मक एवं मूल्य संबंधी पहलुओं से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांतों का सुझाव दिया गया है।
- मनरेगा की अनुसूची -1 के तहत, भूजल का संवर्धन करने के लिए जल संरक्षण और जल संचयन संरचनाओं संबंधी प्रावधान को मनरेगा कार्यों के अंतर्गत विशेष फोकस क्षेत्र के तहत रखा गया हैं।
- CGWA के अनुसार भूजल के उपयोग के आधार पर क्षेत्रों को चार श्रेणियां में रखा हैं:
 - o 'सेफ (safe)' क्षेत्र, जहाँ विकास के लिए भूजल संभावना विद्यमान है।
 - o **'सेमी-क्रिटिकल'** क्षेत्र, जहाँ विकास के लिए सावधानीपूर्वक भूजल का उपयोग किया जा सकता है।
 - 'क्रिटिकल' और 'ओवर-एक्स्प्लोइटेड' (अति-दोहन) क्षेत्र, यह वह क्षेत्र हैं जहाँ गहन निगरानी और मूल्यांकन होना चाहिए तथा भविष्य में विकास को जल संरक्षण उपायों से जोड़ा जाना चाहिए।

केंद्रीय भूजल प्राधिकरण

- यह जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय के अधीन सांविधिक निकाय है।
- इसे देश में भूजल संसाधनों के विकास और प्रबंधन को विनियमित एवं नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,
 1986 की धारा 3 (3) के तहत कार्य सौपा गया है।

भूजल की निकासी और उपयोग

- निकाले गए भूजल के 89% का उपयोग सिंचाई क्षेत्र में किया जाता है। इसके बाद घरेलू उपयोग (9%) तथा औद्योगिक उपयोग (2%) का स्थान आता है।
- भूजल के द्वारा शहरी जल आवश्यकताओं का 50% और ग्रामीण घरेलू जल आवश्यकताओं के 85% की पूर्ति की जाती है।
- भारत में भूजल के आधिकारिक आकलन के अनुसार, 6,607 मूल्यांकन इकाइयों (ब्लॉक, मंडल, तालुका और जिलों) में से 1,071 इकाइयां ओवर-एक्स्प्लोइटेड, 217 क्रिटिकल, 697 सेमी-क्रिटिकल, 4,580 सेफ और 92 लवणीय हैं।

CGWA द्वारा प्रस्तावित दिशानिर्देश

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कई आदेशों के बाद निर्मित ड्राफ्ट दिशानिर्देशों में यह प्रावधान किया गया है कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी की भूजल का दोहन कानून के अनुरूप ही हो। इस ड्राफ्ट दिशानिर्देश के मुख्य बिंदु निम्न हैं :

 पूरे देश में एक समान विनियामक ढांचा सुनिश्चित करना ताकि विनियमन में भेदभावपूर्ण व्यवहार को या तो समाप्त या कम किया जा सके।

- वैसे सभी नए या पहले से मौजूद उद्योगों, खनन और इंफ़्रास्ट्रक्चर डीवाटरिंग परियोजनाओं के लिए *नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट* (NOC) की आवश्यकता है जो भूजल का दोहन करते हैं या ऐसा करने के इच्छुक हैं। हालांकि, किसानों को NOC प्राप्त करने से छूट दी गई है।
- भूजल की दृष्टि से संवेदनशील या अति दोहन वाले क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों हेतु भूजल को निकालने के लिए NOC की आवश्यकता नहीं होगी।
- प्रित इकाई क्षेत्र से निकाले गए भूजल की मात्रा पर एक नया जल संरक्षण शुल्क लगाना (इस शुल्क की दर 1 से 6 रूपए प्रित घन मीटर के बीच हो सकती है: एक घन मीटर 1000 लीटर के बराबर)
- सरकारी ढांचागत परियोजनाओं, सरकारी जल आपूर्ति एजेंसियों और ग्रुप हाउसिंग सोसायटी केवल मूलभूत आवश्यकताओं से युक्त
 प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी आदि को जल संरक्षण के शुल्क से छुट प्रदान करना।
- परियोजना समर्थकों द्वारा कृत्रिम पुनर्भरण और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण से संबंधित प्रावधानों को हटाना जिन्हें CGWA के 2015 के भूजल दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया था।

5.8. वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण

(Conservation Of Migratory Species Of Wild Animals)

सुर्ख़ियों में क्यों?

• CMS की कांफ्रेंस ऑफ़ पार्टीज़ (COP) की 12वीं बैठक में गिद्धों की कई प्रजातियों (जिनमें से 4 प्रजातियों का प्रवास मार्ग भारत से होकर गुज़रता है) के लिए उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान की गयी थी।

कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ़ माइग्रेटरी स्पीशीज (CMS)

- यह विशेष रूप से प्रवासी प्रजातियों, उनके निवास स्थान और प्रवास मार्गों को संरक्षण प्रदान करने वाला एकमात्र वैश्विक कन्वेंशन है।
- यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के तत्वावधान में आता है।
- यह प्रवासी जीवों और उनके आवासों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है।
- कन्वेंशन का परिशिष्ट I: इसके अंतर्गत वे प्रवासी प्रजातियाँ शामिल हैं जिन पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है।
- कन्वेंशन का परिशिष्ट II: इसके अंतर्गत वे प्रवासी प्रजातियाँ शामिल हैं जिनके संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से अत्यधिक लाभ प्राप्त हो सकता है।

सम्मेलन के मुख्य बिंदु

- गिद्ध की प्रजातियाँ जिन्हें सम्मलेन के (परिशिष्ट I) के तहत उच्चतम सुरक्षा प्रदान की गयी है, वे हैं रेड हेडेड वल्चर, वाइट रम्पड वल्चर, इंडियन वल्चर तथा स्लेंडर बिल्ड वल्चर।
- गिद्धों को ख़तरा: गिद्धों को विषाक्तता, शिकार, बिजली के तारों से टकराना और आवासीय विखंडन आदि जैसे खतरों का सामना करना पड़ता है।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

- हिंद महासागर में पायी जाने वाली **व्हेल शार्क** को भी वैश्विक सुरक्षा प्राप्त है जो अति-मत्स्यन, पोत से टकराव आदि के कारण विलुप्त होने के कगार पर हैं।
- संरक्षण के लिए कैस्पियन सील को भी चिह्नित किया गया है। यह विश्व के सबसे बड़े अंतर्देशीय समुद्र में पाए जाने वाला एकमात्र समुद्री स्तनपायी है।जहाँ यह बर्फ के निर्माण और भोजन की तलाश के कारण प्रवास करता है।
- इस सम्मलेन में, भारत में 13वें CMS COP की मेजबानी का निर्णय लिया गया।

भारत में गिद्ध

 भारत में गिद्धों की नौ प्रजातियाँ पायी जाती हैं। जिनमें से तीन, IUCN की क्रिटीकली एनडेंजर्ड सूची में शामिल हैं और वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I के तहत सूचीबद्ध हैं। ये प्रजातियाँ हैं:

वाइट बैक्ड वल्चर (Gyps bengalensis)

स्लेंडर बिल्ड़ वल्चर (Gyps tenuirostris)

इंडियन वल्चर/लॉन्ग बिल्ड़ वल्चर (Gyps indicus)

नोट: रेड-हेडेड वल्चर को IUCN की *क्रिटिकली एनडैंजर्ड* सूची में शामिल किया गया है, किन्तु यह वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-l के तहत सुचीबद्ध नहीं है।

• इन्हें पर्यावरण और पारिस्थितिक संतुलन के लिए आवश्यक **प्राकृतिक सफाई कर्मियों** के रूप में जाना जाता है।

अन्य संरक्षणकारी कदम

- *एंटी-इंफ्लेमेटरी डाइक्लोफेनेक* के उपयोग पर रोक। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि देश में डाइक्लोफेनेक के उपयोग के कारण गिद्धों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गयी थी।
- गिद्ध संरक्षण पर राष्ट्रीय कार्य योजना (2006): यह कार्य योजना स्व-स्थाने (इन-सिटू) तथा बाह्य स्थाने (एक्स-सीटू) संरक्षण के माध्यम से गिद्धों की संख्या में कमी को रोकने हेत् रणनीतियों एवं कार्यों को शामिल करती है।
- वल्चर सेफ़ जोन (स्व-स्थाने संरक्षण पहल): इसे जंगली गिद्धों के प्राकृतिक आवास के रूप में नामित किया गया है। इस क्षेत्र को पशुओं के मृत शरीरों में उपस्थित डाइक्लोफेनेक से मुक्त किया गया है। इसका लक्ष्य बचे हुए गिद्धों की आबादी को बढ़ाना तथा भविष्य में एक ऐसे क्षेत्र के रूप में कार्य करना है जहाँ कैप्टिव-ब्रीडिंग द्वारा उत्पन्न किए गए गिद्धों को छोड़ा जा सके।
- रामदेवरा बेट्टा गिद्ध अभयारण्य: यह कर्नाटक में अवस्थित भारत का एकमात्र गिद्ध अभयारण्य है।

5.9. राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना तथा सिक्योर हिमालय

(National Wildlife Action Plan And Secure Himalaya)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत ने ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम की मेजबानी की।जिसमें 2017-2031 की अवधि के लिए भारत की राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (NWAP) और 'सिक्योर हिमालय' को लांच किया गया।

ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम

- "ग्लोबल पार्टनरिशप ऑन वाइल्डलाइफ कंज़र्वेशन एंड क्राइम प्रिवेंशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट" [जिसे ग्लोबल वाइल्डलाइफ प्रोग्राम (GWP) के नाम से भी जाना जाता है] को प्राकृतिक आवास में वन्यजीवों के खिलाफ बढ़ते अपराध के प्रत्युत्तर के तौर पर शुरू किया गया था।
- यह समग्र व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से वन्यजीवों की अवैध तस्करी की रोकथाम करते हुए वन्यजीव संरक्षण और संधारणीय विकास की दिशा में कार्य करता है।

ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम के भागीदार देश:

- अफ्रीका: बोत्सवाना, कैमरून, इथियोपिया, गैबोन, केन्या, मलावी, माली, मोज़ाम्बिक, कांगो गणराज्य, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, जाम्बिया और ज़िम्बाब्वे।
- एशिया: अफगानिस्तान, भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम।

कार्यान्वयन एजेंसियां: विश्व बैंक समूह, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और एशियाई विकास बैंक (ADB)।

अन्य सहयोगी: इंटरनेशनल कंसोर्टियम टू कॉम्बैट वाइल्डलाइफ क्राइम (ICCWC), वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी (WCS), दी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एनडेंजर्ड सेक्रिटेरीअट (CITES), वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड (WWF), इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेंशन ऑफ़ नेचर (IUCN), ट्रैफिक (Traffic), वाइल्डएड (WildAid)।

ग्लोबल वाइल्डलाइफ प्रोग्राम की प्राथमिकताएं:

- समुदाय आधारित संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना, जैव विविधता लक्ष्यों और पर्यटन विकास को प्राप्त करना।
- ज्ञान की साझेदारी तथा परस्पर सहयोग को बढ़ाना।
- निगरानी और मल्यांकन फ्रेमवर्क को लाग करना।
- दानकर्ताओं के सहयोग को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय निधि की उचित निगरानी सुनिश्चित करना।

5.9.1. 2017-2031 के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना (NWAP)

(National Wildlife Action Plan (NWAP) for 2017-2031)

- NWAP पर पहली बार 1982 में विचार किया गया था। यह कार्य योजना 1983 से 1996 तक प्रभावी रही।
- राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना 2017-2031, जे.सी.कालरा की अध्यक्षता में एक 12 सदस्यीय समिति द्वारा तैयार की गई है। इसमें जन भागीदारी पर विशेष बल दिया गया है।

NWAP 2017-2031 के महत्वपूर्ण घटक

- वन्यजीव और उनके निवास के एकीकृत प्रबंधन को मजबूती प्रदान करना और बढ़ावा देना।
- o जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन और भारत में जलीय जैव विविधता के एकीकृत संधारणीय प्रबंधन को बढ़ावा देना।
- इको टूरिज्म, प्रकृति की शिक्षा और भागीदारी प्रबंधन को बढ़ावा देना।
- वन्यजीव संरक्षण में वन्यजीव अनुसंधान और मानव संसाधन के विकास की निगरानी को मजबूत करना।
- भारत में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए नीतियों और संसाधनों को सक्षम बनाना।
- इस योजना में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों पर ध्यान केंद्रित करने की पूर्व की रणनीतियों के बजाय **लैंडस्केप एप्रोच** को अपनाया है।
- **लैंडस्केप एप्रोच** उन अकृषित वनस्पतियों और गैर-घरेलू जंतुओं के संरक्षण के महत्व पर आधारित होती है, जिनका उनके पाए जाने वाले स्थान को ध्यान दिए बगैर एक पारिस्थितिकी मृल्य है।
- योजना **कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसीबिलिटी (CSR) फंड** से पर्याप्त धन की व्यवस्था सुनिश्चित करती है। साथ ही वन्यजीव संरक्षण में निजी क्षेत्र की भूमिका के महत्व पर भी प्रकाश डालती है।
- यह आनुवांशिक विविधता तथा प्रजातियों एवं पारिस्थितिकी तंत्र के स्थायी उपयोग के संरक्षण पर बल देती है।

5.9.2 सिक्योर हिमालय

(Secure Himalaya)

- इस परियोजना का उद्देश्य है -
 - क्रिटिकल ईकोसिस्टम सेवाओं (जैसे स्वच्छ जल, अपरदन में कमी, खिनज संसाधन, खाद्य फसलों के लिए भूमि, औषधीय पौधे आदि) को बनाये रखना।
 - सामुदायिक आजीविका सुनिश्चित करके, प्रवर्तन को बढ़ावा देकर, सामुदायिक संस्थाओं को सुदृढ़ता प्रदान कर वल्नरेबल हिम तेंद्र और अन्य इन्डैन्जर्ड प्रजातियों का संरक्षण करना।
 - o **लैंडस्केप एप्रोच पर** आधारित संरक्षण दृष्टिकोणों को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान, समर्थन और सूचना प्रणाली में सुधार करना।
- सिक्योर हिमालय के अंतर्गत विशिष्ट परिदृश्य (अल्पाइन चरागाह, उप-अल्पाइन वन और क्रिटिकल जलविभाजक) निम्नलिखित हैं:
 - चांगथांग (जम्मू और कश्मीर)
 - o लाहौल पंगी और किन्नौर (हिमाचल प्रदेश)
 - o गंगोत्री गोविंद और धर्म पिथौरागढ़ (उत्तराखंड) में व्यास घाटी
 - कंचनजंगा ऊपरी तीस्ता घाटी (सिक्किम)

5.10. पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल प्रबंधन समिति की स्थापना

(Water Management Committee Set Up In North-East)

सुर्ख़ियों में क्यों?

 विनाशकारी बाढ़ के बाद इस क्षेत्र के जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक रणनीति विकसित करने हेतु सरकार ने पूर्वोत्तर भारत के लिए एक समिति की स्थापना की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय इसके लिए समन्वय एजेंसी होगी। यह समिति जून 2018 तक कार्य योजना को प्रस्तुत करेगी।

यह समिति निम्नलिखित विषयों पर विचार करेगी:

- वर्तमान व्यवस्था का मूल्यांकन और NER (North Eastern Railway) में जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए व्यवस्था।
- वर्तमान व्यवस्था में अंतरालों की पहचान।
- संसाधनों के अनुकुलतम उपयोग और क्षेत्र में तेजी से विकास के लिए नीतिगत व्यवस्था का सुझाव देना।
- संघीय और राज्य सरकारों की मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों का एकीकरण करने के लिए कार्य योजना तैयार करना।

पूर्वोत्तर में जल संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता

- पनिबज्ली- वर्तमान में केवल 7% संभावित जल विद्युत उत्पादन क्षमता का उपयोग किया गया है। देश की कुल 145,000 मेगावाट
 (MW) क्षमता में से केवल पूर्वोत्तर राज्यों के पास 58,000 मेगावाट पनिबज्ली की क्षमता विद्यमान है। जिसमें केवल अरुणाचल प्रदेश में ही लगभग 50,064 मेगावाट की क्षमता मौजूद है।
- कृषि यह निरंतर जलापूर्ति और बागवानी अनुकूल जलवायु संपन्न क्षेत्र है। जिसका उचित फसल नियोजन एवं बुवाई पद्धित के माध्यम से दोहन किया जा सकता है।
- जैव-विविधता और संरक्षण- विश्व का एक बायो डाइवर्सिटी हॉट स्पॉट क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र के वनस्पतियों, जीवों और संस्कृति के संरक्षण हेतु विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।
- बाढ़ से होने वाले अपरदन को कम करना- मेघालय जैसे कुछ राज्य भारी वर्षा और मृदा अपरदन से बुरी तरह प्रभावित हैं।
- अंतर्देशीय जल परिवहन- वर्तमान में ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी से सदिया के बीच राष्ट्रीय जलमार्ग-2 के रूप में सुविधा प्रदान करती है।

 NER में लगभग 1800 कि.मी. का नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्ग विद्यमान है जिसका उपयोग परिवहन के लिए किया जा सकता है।

5.11. अरब सागर का तेज़ी से बढ़ता तापमान

(Rapid Warming of Arabian Sea)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, यह पाया गया है कि मध्य भारत में वर्षा अनियमितता में वृद्धि का कारण अरब सागर के तापमान में तीव्र गित से वृद्धि
है।

अध्ययन के निष्कर्ष

- पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मिटीरिओलॉजी, IIT मुंबई और यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, USA के शोधकर्ताओं ने पाया
 कि मध्य भारत में 1950 से 2015 के बीच अनियमित मौसमी घटनाओं में वृद्धि हुई है।
- इन घटनाओं के उत्तरदायी कारणों के रूप में निम्नलिखित की पहचान की गयी है:
 - o भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में अरब सागर के तापमान में वृद्धि के कारण वायुमंडलीय आर्द्रता में वृद्धि हुई है।
 - औद्योगीकरण के बाद की अविध में कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि के कारण ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिला है। इस प्रकार अरब सागर के सतही तापमान में वृद्धि हो रही है।
 - एल नीनो की घटनाओं में बढ़ोतरी के कारण अरब सागर के तापमान में वृद्धि हुई है। अत: अरब सागर में उत्पन्न होने वाले
 चक्रवातों की संख्या भी बढ़ी है।
- इन घटनाओं के प्रभाव ने न केवल वर्षा प्रतिरूप को बदला है बल्कि वर्षा की अविध एवं मात्रा को भी परिवर्तित कर दिया है।
- अपनी स्थलबद्ध प्रकृति के कारण अरब सागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर की तुलना में अधिक प्रभावित होता है।
 इसी प्रकृति के कारण अरब सागर के बेसिन में ऊष्मा फंसी रहती है।
- पहले यह माना जाता था कि मध्य भारत में भारी वर्षा का कारण बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाला निम्न दाब है। हालांकि, नए अध्ययन के अनुसार यह पाया गया है कि अरब सागर में 36% आर्द्रता की तुलना में बंगाल की खाड़ी केवल 26% आर्द्रता उपस्थित होती है।
- हालांकि, जलवायु और भूमंडलीय तापन में निरंतर परिवर्तन के कारण अरब सागर के उष्मन और वर्षा प्रतिरूप में और अधिक विकृति हो सकती है।

5.12. भारत में विद्युत संयंत्रों के लिए उत्सर्जन मानक

(Emission Norms for Power Plants in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

 हाल ही में, लगभग 295 कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए नए उत्सर्जन मानकों को पूरा करने हेतु दी गयी अंतिम तिथि को बढ़ाया गया है।

तापीय विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्सर्जित गैसें

सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पारा, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और फ्लाई ऐश।

सल्फर और नाइट्रोजन के हानिकारक प्रभाव

SOx - धातु, कागज, पेंट, चमड़ा, वस्त्र, सीमेंट और अन्य निर्माण सामग्रियों का विकृत होना और उन पर जंग लगना, फेफड़े के रोग विशेष रूप से अस्थमा के लोगों को प्रभावित करती हैं।

NOx- सर्दियों में बच्चों में श्वसन सम्बन्धी समस्यांए पैदा करती है।

इसके अतिरिक्त दोनों गैसें संयुक्त रूप से अम्ल वर्षा में वृद्धि कर सकती हैं।

तापीय विद्युत संयंत्रों द्वारा कार्बन उत्सर्जन

- दिसंबर 2015 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तापीय विद्युत् संयंत्रों के लिए जल की खपत संबंधी मानकों के साथ-साथ निलंबित कणिकीय पदार्थ (SPM), सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पारा के संबंध में नए पर्यावरणीय मानकों को सुचित किया था।
- 90% तापीय विद्युत संयंत्रों द्वारा अभी तक मानकों का अनुपालन नहीं किया गया है। दूसरी तरफ पहले से ही नए मानकों की समय सीमा दिसंबर 2017 होने के बावजूद लगभग 300 संयंत्रों के लिए समय सीमा को बढ़ाया गया है।

समय सीमा बढाए जाने का कारण

- फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम के साथ मौजूदा तापीय विद्युत संयंत्रों को नई विशेषताओं एवं नई प्रोद्योगिकी (रेट्रो फिटिंग) से लैस करने में खर्च होने वाली उच्च लागत।
- इससे उपभोक्ताओं के लिए प्रति इकाई लागत में वृद्धि होगी।
- निजी तापीय विद्युत संयंत्रों की अनिच्छा।

उठाए गए अन्य कदम

- *कंटीन्यूअस एमीशन/एफ्लूअन्ट मॉनिटरिंग सिस्टम्स* (CEMS) की स्थापना।
- फ्लाई ऐश के उपयोग के लिए संशोधित मानदंड।
- गंभीर रूप से (critically) प्रदूषित क्षेत्रों के लिए उद्योग विशिष्ट कार्य योजनाएँ।
- आसपास के क्षेत्रों में ग्रीन बेल्ट का विकास।

5.13. इलाहाबाद में कछुआ अभयारण्य

(Turtle Sanctuary in Allahabad)

- सरकार के द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत इलाहाबाद में कछुआ अभयारण्य स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।
- इसके तहत संगम (गंगा, यमुना और पौराणिक नदी सरस्वती का संगम) पर एक कछुआ पालन केंद्र की स्थापना की जाएगी। नदी जैव
 विविधता पार्क का निर्माण किया जाएगा तथा गंगा नदी के महत्व तथा इसके संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता
 अभियान का आरम्भ किया जाएगा।
- यह 2,000 से अधिक जलीय प्रजातियों के संरक्षण में योगदान करेगा जिनमें कछुए, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगेटिक डॉलफिन (Platanista gangetica), घड़ियाल (Gavialis gangeticus) तथा असंख्य प्रवासी और आवासीय पक्षी जैसे अत्यधिक संकटग्रस्त प्राणिजात भी शामिल हैं।
- इसके पहले, 1998 में गंगा एक्शन प्लान-1 के तहत वाराणसी में कछुआ अभयारण्य स्थापित किया गया था।

5.14. इचथियोसर के जीवाश्म की खोज

(Ichthyosaur Fossil Discovered)

सुर्ख़ियों में क्यों

- भारतीय वैज्ञानिकों ने गुजरात में 152 मिलियन वर्ष पुराने एक विलुप्त समुद्री सरीसुप इचथियोसर के जीवाश्म की खोज की है।
- यह डॉल्फिन और छिपकली के मिले जुले रूप में दिखता है, इसलिए इसे ग्रीक में "*फिश-लिज़ड़र्स*" के रूप में भी जाना जाता है।
- उत्तरी अमेरिका और यूरोप में इचथियोसर के अनेक जीवाश्म पाए गए हैं, परन्तु यह पहली बार है जब भारत में इचथियोसर का जीवाश्म पाया गया है।
- यह जीवाश्म जुरासिक युग से संबंधित है। मेसोज़ोइक युग की चट्टानों में पाया गया था।
- यह खोज इस तथ्य पर प्रकाश डाल सकती है कि क्या लगभग 150 मिलियन वर्ष पूर्व भारत और दक्षिण अमेरिका के बीच कोई समुद्री जुड़ाव था या नहीं, क्योंकि अधिकांश जीवाश्मों की खोज दक्षिणी गोलार्द्ध में दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक ही सीमित

"You are as strong as your foundation"

FOUNDATION COURSE PRELIMS GS PAPER - 1

FOUNDATION COURSE GS MAINS

Approach is to build fundamental concepts and analytical ability in students to enable them to answer questions of Preliminary as well as Mains examination

Duration: 90 classes (approximately)

Duration: 110 classes (approximately)





- Includes comprehensive coverage of all the major topics for GS Prelims
- Includes All India Prelims (CSAT I and II Pape Test Series
- Our Comprehensive Current Affairs classes of PT 365 (Online Classes only)
- Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal online student platform Includes comprehensive, relevant & updated study material for prelims examination





- Includes comprehensive coverage of all the four papers for GS MAINS
- Includes All India GS Mains and Essay Test Series
- Our Comprehensive Current Affairs classes of MAINS 365 (Online Classes only)
- Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal online student platform
- ➢ Includes comprehensive, relevant & updated study material

LIVE / ONLINE CLASSES AVAILABLE

NOTE - Students can watch LIVE video classes of our COURSE on their ONLINE PLATFORM at their homes. The students can ask their doubts & subject queries during the class through LIVE Chat Option. They can also note down their doubts & questions & convey to our classroom mentor at Delhi center and we will respond to the queries through phone/mail. Post processed videos are uploaded on student's online platform within 24-48 hours of the live class.

6. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी

(SCIENCE AND TECHNOLOGY)

6.1. रसायन विज्ञान में नोबेल


(Nobel in Chemistry)

सुर्ख़ियों में क्यों?

 जैक्स डुबोशे, जोआचिम फ्रैंक तथा रिचर्ड हेंडरसन को हाई-रिजोल्यूशन क्रायो-इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के विकास के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल परस्कार दिया गया है।

विषय संबंधी अतिरिक्त जानकारी

- क्रायो-इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एक ऐसी पद्धित है जिसके द्वारा हिमीकृत-जलयुक्त नमूने की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के माध्यम से इमेजिंग की जाती है।
- इसमें स्पेसिमेन को बिना डाई या फिक्सेटिव के ही मूल अवस्था में ही रखा जाता है, जिससे सूक्ष्म कोशिका संरचनाओं, वायरस तथा प्रोटीन संरचनाओं का आण्विक स्तर के रिजोल्यूशन में अध्ययन किया जा सकता है।
- पूर्व की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के विपरीत क्रायो-इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में विलयनों को भी देखा जा सकता है (क्योंकि इस माइक्रोस्कोप के निर्वात में जल का वाष्पीकरण नहीं होगा)
- इस पद्धित की सहायता से जैव-अणुओं (बायोमॉलिक्यूल्स) की 3D संरचना की बेहतर इमेजिंग में मदद मिलेगी।
- इसकी मदद से शोधकर्ता बायोमॉलिक्यूल्स को उनके संचरण के बीच में ही हिमीकृत(freeze) कर पाएंगे तथा उन प्रक्रियाओं को देख पाएंगे, जिन्हें देखने में वे अभी तक सक्षम नहीं थे।
- इसका प्रयोग दुष्प्राप्य ज़िका वायरस की इमेजिंग के लिए तथा इसकी दवा से संबंधित अनुसन्धान के लिए किया गया है।



6.2. भौतिकी में नोबेल पुरस्कार

(Nobel Prize in Physics)

सुर्ख़ियों में क्यों?

 रेनर वेस, बैरी बैरिश तथा किप थोर्ने को LIGO डिटेक्टर तथा गुरुत्वीय तरंगों के अवलोकन में उनके योगदान के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया।

गुरुत्वीय तरंगें तथा LIGO क्या हैं?

- आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत ने यह पुर्वानुमान लगाया था कि त्वरण करते हुए विशाल पिंड स्पेस टाइम को विरूपित करेंगे तथा इस विरूपण से तरंगें उत्पन्न होंगी। इन तरंगों को गुरुत्वीय तरंगों के नाम से जाना जाता है।
- सबसे शक्तिशाली गुरुत्वीय तरंगें तब उत्पन्न होती हैं, जब ये पिंड बहुत तेज वेग से गित कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब किसी तारे में असमित रूप से विस्फोट होता है (जिसे सुपरनोवा कहा जाता है), जब दो बड़े तारे एक दूसरे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, तथा जब दो ब्लैक होल एक दूसरे के चारों ओर परिक्रमा करते हुए एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं।
- इन तरंगों के अवलोकन के लिए वैज्ञानिकों ने एक वेधशाला विकसित की है जिसे लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जरवेटरी (LIGO) नाम दिया गया है।

महत्त्व

- यह अंतिरक्ष को देखने का एक ऐसा नया तरीका प्रदान करेगा जिसकी सहायता से वैज्ञानिक ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार सिहत कई रहस्यमय पिण्डों के स्वरुप के विषय में जानने में सक्षम हो पाएंगे।
- यह खगोलभौतिकी के कुछ बड़े रहस्यों को सुलझाने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए तेज़ी से दीप्त प्रकाश, जिसे "गामा रे बस्ट्र्स" कहते हैं उसका ज्ञान और साथ ही स्वर्ण जैसी भारी धातुओं की उत्पत्ति आदि के करणों की जानकारी।

इसमें भारतीय योगदान की भी प्रमुख भूमिका रही है, विशेषतौर पर गुरुत्वीय तरंगों की पहचान के लिए नॉइज़ (noise) में से सिग्नल को पृथक करने में। इसमें 13 भारतीय संस्थानों से 40 वैज्ञानिक सम्मिलित थे।

इस सन्दर्भ में हालिया प्रगति

- प्रथम बार दो न्यूट्रॉन स्टार्स के विलय होने से उत्पन्न गरुत्वीय तरंगों का प्रत्यक्ष अवलोकन किया गया। इससे पूर्व दो ब्लैक होल्स के विलय से उत्पन्न गुरुत्वीय तरंगों की ही पहचान की जा सकी थी।
- भारत में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जरवेटरी (LIGO) की प्रथम प्रयोगशाला महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में बनाई जाएगी।



6.3. चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार

(Nobel Prize in Medicine) सर्खियों में क्यों?

चिकित्सा क्षेत्र में वर्ष नोबेल 2017 का परस्कार जेफरी हाल. माइकल रोस्बाश तथा माइकल डब्ल्य यंग सर्केडियन रिदम (circadian rhythm) को नियंत्रित करने वाली आण्विक क्रियाविधि की खोज के लिए दिया गया।

अतिरिक्त विषय संबंधी जानकारी

इन खोजों से स्पष्ट हुआ है कि किस प्रकार पादप,

जीव-जंत तथा मानव अपने *बायोलॉजिकल रिदम* का पृथ्वी के घूर्णन के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं।

वैज्ञानिकों ने फ्रूट फ्लाई से एक ऐसे जीन को पृथक किया है जो सामान्य दैनिक बायोलॉजिकल रिदम को नियंत्रित करता है। इसने यह भी दर्शाया है कि किस प्रकार यह जीन से एक ऐसा प्रोटीन एनकोड करता है, जो रात्रि के समय कोशिकाओं में संचित हो जाता है तथा दिन के समय क्षयित हो जाता है।

महत्त्व

- सर्केडियन रिदम को स्वास्थ्य के लिए एक महत्त्वपूर्ण कारक माना गया है । यह भविष्य के चिकित्सीय अनुसंधानों में सहायता भी करेगा।
- वैज्ञानिकों ने यह भी प्रदर्शित किया है किस प्रकार नींद में व्यवधान, जैसे जेट लैग या अनिद्रा, के गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं, उदाहरण के लिए, इससे कई रोगों का जोखिम बढ़ जाता है।

सर्केडियन रिदम

- यह एक पैटर्न है जो हमारे शरीर को सोने, उठने, खाने आदि का समय निर्देशित करता है तथा कई शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित भी करता है।
- सर्केडियन रिदम, *बायोलॉजिकल क्लॉक्स* (जैविक घड़ियों) द्वारा उत्पन्न होता है तथा ये घड़ियाँ उनका समय निर्धारित करती हैं।





- यह सूर्य के प्रकाश तथा तापमान जैसे पर्यावरणीय संकेतों द्वारा प्रभावित होता है।
- यह 24 घंटे के चक्र के दौरान थकावट तथा जागने की अवस्था को नियमित करता है।
- बायोलॉजिकल क्लॉक लगभग 20,000 तंत्रिका कोशिकाओं (न्यूरॉन) द्वारा उत्पन्न होती है। ये न्यूरॉन्स मिलकर एक संरचना बनाते हैं, जिसे **सुप्राकाय्ज्मैटिक न्यूक्लियस** (suprachiasmatic nucleus: SCN) कहा जाता है। यह संरचना मिल्तिष्क में हाडपोथैलेमस में पायी जाती है।

6.4. जीन थेरेपी को USFDA की स्वीकृति

(USFDA Approves Gene Therapy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

 यू.एस. फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन
(USFDA) ने यसकार्टी
(axicabtagene
ciloleucel) थेरेपी को
वयस्कों में कुछ विशिष्ट
प्रकार के B-सेल
लिंफोमा (रक्त कैंसर) के
उपचार के लिए
स्वीकृति दे दी है।

पृष्ठभूमि

USFDA ने अगस्त
 2017 एक प्रकार के

CAR T-सेल थेरेपी कार्यप्रक्रिया इसमें कैंसर से लड़ने के लिए शरीर के ही प्रतिरक्षा तंत्र का प्रयोग किया जाता है। मरीज़ के रक्त से T-सेल प्रयोगशाला में इन कोशिकाओं में संशोधित प्रोटीन्स की अनुवांशिक परिवर्तन किये जाते नामक प्रतिरक्षा मदद से प्रतिरक्षा तंत्र अन्दर इन्हें कोशिकाओं को निकाला हैं, जिससे ये कुछ विशिष्ट प्रोटीन्स कैंसर कोशिकाओं का वापस डाला का निर्माण करें। जाता है। जाता है। पता लगाकर उन्हें मारता है।

एक्यूट लिंफोब्लास्टिक ल्यूकीमिया (रक्त कैंसर) से पीड़ित बच्चों तथा 25 वर्ष तक की उम्र वाले वयस्कों के उपचार के लिए किमरियाह-सेल (Kymriah-cell) आधारित जीन थेरेपी को स्वीकृति दी।

• यसकार्टा तथा किमरियाह दोनों तकनीकों में उपचार हेतु CAR (*कायमेरिक एंटीजन रिसेप्टर*) *T-सेल थेरेपी* का प्रयोग किया जाता है।

यसकार्टा थेरेपी के विषय में

- यह एक प्रकार की जीन थेरेपी है जो किसी मरीज़ के शरीर की कोशिकाओं को एक ऐसे "लिविंग ड्रग" में परिवर्तित कर देती है, जो कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करके उन्हें समाप्त करती है।
- इसे **ऑर्फ़न ड्रग** का दर्जा प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत थेरेपी के लिए वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाएगा, जिससे ड्रग के विकास को बढ़ावा मिल सके।
- दुष्प्रभाव : यह साइटोकाईन रिलीज़ सिंड्रोम (CRS) का कारण बन सकता है। यह CAR T-सेल्स के सक्रिय होने तथा प्रसार के परिणामस्वरूप उत्पन्न प्रतिक्रिया है, जिससे तेज़ ज्वर तथा स्नायु तंत्र सम्बन्धी (न्यूरोलॉजिकल) समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। अन्य दुष्प्रभावों में गंभीर संक्रमण, निम्न रुधिर कोशिका संख्या (ब्लड सेल काउंट) तथा प्रतिरक्षा तंत्र में कमजोरी आदि सम्मिलित हैं।

लिविंग ड्रग: ये एक प्रकार की अनुवांशिक रूप से संशोधित कोशिकाएँ हैं जिन्हें CAR T-सेल थेरेपी में मरीज के अन्दर डाला जाता है। यहाँ वे संख्या में बढ़ते हैं तथा महीनों एवं वर्षों तक रोगों से लड़ते रहते हैं। इस कारण से इन प्रतिरक्षात्मक उपचारों को "लिविंग ड्रग्स" कहा जाता है।

ऑर्फ़न ड्रग: ऑर्फ़न ड्रग्स वे जैविक उत्पाद अथवा औषधियाँ हैं जो इतने दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए प्रयुक्त होते हैं कि प्रायोजक कम्पनियाँ उन्हें बाज़ार की सामान्य परिस्थितियों में बनाने के लिए इच्छुक नहीं रहती हैं।

6.5. भ्रूण प्रत्यारोपण प्रौद्योगिकी

(Embryo Transfer Technology)

सुर्ख़ियों में क्यों?


• पशुपालन विभाग ने पशुधन की उत्पादकता में वृद्धि के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण प्रौद्योगिकी प्रारंभ की है।

भ्रूण प्रत्यारोपण प्रौद्योगिकी (एम्ब्रीओ ट्रान्सफर टेक्नोलॉजी: ETT)

- यह **सहायक प्रजनन** (असिस्टेड रिप्रोडक्शन) की एक तकनीक है**।** इसमें उच्च अनुवांशिक गुणों वाले एक दाता (डोनर) पशु से भ्रूण (एम्ब्रीओ) अथवा युग्मनज (ज़ायगोट) का संकलन करके एक प्राप्तकर्ता (रेसिपिएंट) पशु में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, जो गर्भधारण के लिए सरोगेट के रूप में कार्य करता है।
- सरकार ने "नेशनल मिशन ऑन बोवाइन प्रोडिक्टिविटी" नामक योजना के तहत स्वदेशी नस्लों के लिए वृहत् स्तर पर एक भ्रूण प्रत्यारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की है।
- इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत स्वदेशी नस्लों के संरक्षण तथा विकास के उ<u>द्देश</u>्य <u>से किया गया</u> है।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत साहीवाल, गिर, लाल सिन्धी, ओंगोले, देओनी तथा वेचुर जैसी गाय की स्वदेशी प्रजातियाँ रेसिपिएंट सरोगेट के रूप में सम्मिलित की जाएंगी।

ETT के लाभ

- किसानों को पशुओं की संतति की 5-6 गुना अधिक संख्या प्राप्त हो पाती है।
- बछड़ों में उच्च अनुवांशिक गुण होंगे तथा वे रोग-मुक्त पैदा होंगे।



7. समाज

(SOCIAL)

7.1. भारत में कुपोषण का दोहरा बोझ

(Double Burden of Malnutrition in India)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- लैंसेट जर्नल के एक हालिया अध्ययन में भारत में कुपोषण के दोहरे बोझ के बारे में चिंता व्यक्त की गयी है, अर्थात इसमें कम वजन वाले बच्चों के साथ ही मोटापे से ग्रस्त बच्चे भी शामिल हैं।
- इसके अलावा, **राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो (NNMB)** ने भी हाल ही में अपनी रिपोर्ट जारी की हैं। इसमें भारत की शहरी जनसंख्या की पोषण संबंधी वर्तमान स्थिति को समझने के लिए 16 राज्यों को शामिल किया गया है।

लैंसेट अध्ययन के प्रमुख तथ्य

- विश्व के मध्यम और गंभीर रूप से कम वजन वाले बच्चों और किशोरों की संख्या भारत में सबसे अधिक है। 2016 में विश्व के 192
 मिलियन मध्यम या गंभीर रूप से कम वजन वाले बच्चों और किशोरों में से लगभग 97 मिलियन भारत में थे।
- भारत में मध्यम से गंभीर स्तर तक कम वजन से ग्रस्त 20 वर्ष तक के बच्चों में लड़कों की संख्या 30.7%और लड़िकयों की संख्या 22.7% है।
- 2017 में प्रकाशित लैंसैट जर्नल में विश्लेषित किया गया है कि 1975 में वैश्विक स्तर पर मोटापे से ग्रस्त बच्चों और किशोरों की संख्या
 11 मिलियन थी, जो वर्ष 2016 में बढ़कर 124 मिलियन हो गयी यानि कि दस गुना वृद्धि हुई।
- अगर यह प्रवृत्ति जारी रही तो 2022 तक कम वजन वाले बच्चों की तुलना में मोटापाग्रस्त बच्चों की संख्या अधिक हो जाएगी।
- कुपोषण और अस्वास्थ्यकर भोजन की आदतों के कारण विश्व की आबादी का पाँचवाँ हिस्सा मृत्यु का शिकार हो रहा हैं। भारत में भी गैर-संचारी रोगों (NCDs) के कारण मरने वालों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है।
- प्रत्येक 12 मौतों में से एक को, सप्ताह में 5 दिन, प्रतिदिन मात्र 30 मिनट के शारीरिक व्यायाम के द्वारा रोका जा सकता है।

भारत के NNMB रिपोर्ट से सम्बन्धित मुख्य तथ्य

- राजस्थान, केरल, गुजरात, नई दिल्ली, तिमलनाडु, पुडुचेरी में मोटापे की दर सर्वाधिक पायी गयी है।
- शहरी आबादी में उच्च रक्तचाप, उच्च कॉलेस्ट्रॉल व मध्मेह के मामले बढ़ रहे हैं।
- शहरी महिलाओं एवं पुरुषों में उच्च रक्तचाप के साथ-साथ उच्च कोलेस्ट्रॉल से सर्वाधिक रूप से प्रभावित लोग केरल के हैं, जबिक मधुमेह के मामलों की सर्वाधिक व्यापकता पुड्चेरी में है।
- बच्चों में, 1-3 वर्ष की आयु के बीच केवल 57% बच्चों द्वारा और 4-6 वर्ष की आयु के बीच के 68% बच्चों द्वारा पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और कैलोरी का उपभोग किया गया है।
- भारत में 34% पुरुष और 44% महिलाएं मोटापे से ग्रिसित हैं (लेकिन WHO के मानकों के आधार पर भारत के शहरी वयस्कों में से आधे मोटापे से ग्रिसित हैं)।
- शहरी भारत में, 16% बच्चे जन्म के समय ही कम वजन (BLW) के थे जोकि उन्हें संक्रमण के लिए सुभेद्य बनाता है और इससे उनकी प्रारम्भिक अवस्था में ही मृत्यू भी हो सकती है।

NNMB रिपोर्ट में दिए गए कारण

- पोषण संबंधी स्थिति में सुधार के बावजूद अनुशंसित दैनिक पोषक तत्व (RDI) का नहीं मिलना।
- हालांकि पिछले तीन दशक की तुलना में अनाज के उपभोग में कमी आयी है, लेकिन वसा, चीनी और तेल का सेवन बढ़ा है।
- 63% पुरुष और 72% महिलाएँ प्रति दिन 8 घंटे कार्य करते हैं किन्तु वे शारीरिक रूप से एक निष्क्रिय जीवन व्यतीत करते हैं।
- खाने, सोने और शारीरिक व्यायाम के उचित तरीकों का पालन नहीं किया जाता है।
- पारंपरिक खाद्य पदार्थों के स्थान पर डिब्बाबंद और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ का प्रयोग बढ़ता जा रहा है।
- जिन राज्यों में सर्वेक्षण किया गया है वहाँ केवल 28% पुरुषों और 15% महिलाओं द्वारा व्यायाम किया जाता था।
- पुरुषों और महिलाओं के द्वारा तंबाकू और शराब के उपभोग में वृद्धि पायी गयी।

कुपोषण के दोहरे बोझ के संदर्भ में, हाल ही में WHO द्वारा भी, प्रशिक्षित पेशेवरों को मोटापे से ग्रस्त बच्चों तक आसानी से पहुँचने तथा उनके मोटापे की समस्या का समाधान करने में सहायता करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसा इसलिए आवश्यक था क्योंकि, बाल्यावस्था में मोटापा एक 'वैश्विक महामारी' का रूप लेता जा रहा है और अपेक्षाकृत निर्धन देशों तक को प्रभावित कर रहा है।

7.1.1. बच्चों में मोटापे की समस्या

(Childhood Obesity)

वर्तमान परिस्थिति

- द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, विश्व में मोटापाग्रस्त बच्चों की सबसे अधिक संख्या वाले देशों में भारत, चीन के बाद दुसरा देश है।
- शिशुओं, बच्चों और किशोरों में बढ़ते मोटापे की समस्या से निपटने में हुई धीमी प्रगति को स्वीकार करते हुए, WHO के महानिदेशक द्वारा 2014 में कमीशन ऑन एंडिंग चाइल्डहुड ओबेसिटी (Commission on Ending Childhood Obesity) की स्थापना की गयी थी। इसने अपनी रिपोर्ट 2016 में प्रस्तुत की।
- 2016 में, एक अनुमान के अनुसार 5 साल से कम आयु के 42 मिलियन बच्चे अधिक वजन या मोटापे से प्रभावित थे, जिनमें से आधे एशिया में और एक चौथाई अफ्रीका में थे।
- *पीडियाट्रिक ओबेसिटी* (Pediatric Obesity) में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, भारत में 2025 तक 17 लाख से ज्यादा बच्चे अत्यधिक वजन से ग्रसित होंगे।

बाल मोटापे से संबंधित मुद्दे

- **मोटापे की पहचान -** प्रारंभिक वर्षों में प्रायः माता-पिता द्वारा मोटापे से ग्रसित बच्चे को मोटे बच्चे के रूप में नहीं बल्कि एक स्वस्थ बच्चे के रूप में माना जाता है।
- **जागरूकता की कमी -** आहार पैटर्न, शारीरिक क्रियाकलाप आदि आदतों के बारे में जागरूकता की कमी बच्चों के आसपास अस्वास्थ्यकर वातावरण के विकास को बढ़ावा देती है।
- आय और शहरीकरण में वृद्धि वसा, चीनी और नमक युक्त खाद्य पदार्थों के उपभोग में वृद्धि और निम्न शारीरिक क्रियाकलाप मोटापे में वृद्धि करते हैं।
- अनियमित एवं अपर्याप्त नींद यह मोटापे के लिए आनुवंशिक जोखिम को प्रबल बनाता है।
- *मॉडरेट वेस्टिंग* और स्टंटिंग ये भी बच्चों में अधिक वजन या मोटापे में वृद्धि के लिए संभावित कारक होते हैं।
- गैर संचारी रोगों के जोखिम बचपन में ही हृदय रोग, मधुमेह, एवं समयपूर्व मृत्यु के साथ शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दुष्परिणाम।
- आर्थिक लागत 2025 तक मोटापे के दुष्परिणामों के निदान की वार्षिक लागत वैश्विक स्तर पर 1.2 खरब डॉलर और भारत में 13 अरब डॉलर तक पहुँच जाएगी।

SDG 2- इसमें 2030 तक सभी प्रकार के कुपोषण को समाप्त करने की बात की गयी है। इसके अंतर्गत पाँच साल से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिग और वेस्टिंग, किशोरी बालिकाओं, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और वृद्ध व्यक्तियों के पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने जैसे अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों को 2025 तक प्राप्त करने पर सहमति व्यक्त की गयी है।

WHO के दिशानिर्देश में दिए गए प्रमुख सुझाव

- लम्बाई -वजन का माप प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में 5 वर्ष से कम आयु के सभी शिशुओं और बच्चों के वजन के अनुसार लम्बाई तथा पोषण स्तर का निर्धारण WHO के बाल स्वास्थ्य विकास मानकों के अनुसार किया जाना चाहिए।
- परामर्श यदि मोटापे की पहचान कर ली जाती है, तो माता-पिता और देखभाल करने वालों को पोषण, भोजन सम्बन्धी आदतों, शारीरिक गतिविधियों सहित स्तनपान को प्रोत्साहन हेतु परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए।
- मोटापा प्रबंधन योजना अगर निर्धारित हो जाता है कि कोई बच्चा मोटापे से ग्रसित है, तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के स्तर पर या रेफरल क्लिनिक या स्थानीय अस्पताल में एक स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता या पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित पेशेवर द्वारा मूल्यांकन के बाद, समाधान की उपयुक्त योजना विकसित की जानी चाहिए।
- रोकथाम के उपाय जब तक कोई अधिक निश्चित और प्रामाणिक आधार प्राप्त न हो जाए तब तक विशिष्ट रूप से तैयार किए गए पूरक आहार को मामूली रूप से *वेस्टेड* या*स्टंटेड* बच्चों को नियमित रूप से प्रदान नहीं किया जाना चाहिए।
- मोटापे में वृद्धि करने वाले परिवेश से निपटना- उच्च ऊर्जा युक्त भोज्य पदार्थों के सेवन और निष्क्रिय व्यवहार को रोक कर और भोजन व शारीरिक गतिविधियों से सम्बन्धित सामाजिक मानदंडों को बदलकर।


अन्य सुझाव

- **सार्वजनिक नीति निर्माण में सुधार:** जैसे हंगरी ने अधिक नमक युक्त खाद्य पदार्थों पर भारी कर आरोपित किया है।
- अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों के विपणन और विज्ञापन का विनियमन: विशेषकर जो बच्चों को लक्षित करते हैं तथा नमक, चीनी और वसा से भरपुर होते हैं।
- लेबलिंग:पैक के फ्रंट का सकरात्मक सन्देश देने वाला स्वरुप और पैक किए गए खाद्य पदार्थों पर वैश्विक रूप से मानकीकृत पोषक-तत्व लेबलिंग के माध्यम से स्वस्थ आहार और जीवन शैली को बढ़ावा मिल सकता है।

ये दिशानिर्देश SDG के लक्ष्यों; माताओं, शिशुओं और युवा बच्चों के पोषण के लिए व्यापक कार्यान्वयन योजना द्वारा निर्धारित वैश्विक लक्ष्यों; और महिलाओं, बच्चों तथा किशोरों के स्वास्थ्य के लिए वैश्विक रणनीति 2016-2030 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेंगे।

WHO के द्वारा पूर्व में उठाए गए कदम

- ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ़ नॉन कम्यूनिकेबल डिसीजेज (NSD) 2013-2020 -2025 तक प्राप्त किये जाने वाले 9 वैश्विक NCD लक्ष्यों की प्रगति को बढ़ावा देने के लिए। इसके अंतर्गत 2025 तक समयपूर्व मृत्यु दर में 25% की सापेक्षिक कमी और वैश्विक रूप से बढ़ते हुए मोटापे को रोककर उसे 2010 की दर तक लाने का लक्ष्य है।
- बाल मोटापे की समाप्ति हेतु आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए "द इंडिंग चाइल्डहुड ओबेसिटी इम्प्लीमेंटेशन प्लान "के कार्यान्वयन के 6 प्रमख क्षेत्रों की पहचान करता है।



7.2. थेरप्यूटिक फ़ूड

(Therapeutic Food)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद कुपोषित बच्चों के उपचार हेतु *रेडी-टू-यूज थेरप्यूटिक फ़ूड* का कार्यान्वयन बंद कर दिया है।

कुपोषण

- कुपोषण का अभिप्राय व्यक्तियों में पोषक तत्वों की कमी, अधिकता या असंतुलन से है।
- इसे दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:
 - ু *अंडर-न्यूट्रिशन -* इसमें *स्टंटिंग* (उम्र के अनुसार कम लम्बाई), *वेस्टिंग* (लम्बाई के अनुसार कम वजन) व*अंडर-वेट* (उम्र के अनुसार कम वजन) शामिल है।
 - o दूसरी श्रेणी अधिक वजन, मोटापे और आहार से संबंधित गैर-संचारी रोगों जैसे कि हृदय रोग, स्ट्रोक आदि की है।

रेडी-टू-यूज थेरप्यूटिक (RUTF) क्या है?

- RUTF गंभीर रूप से कुपोषित (Severe Acute Malnutrition-SAM) बच्चों के उपचार हेतु एक चिकत्सकीय हस्तक्षेप है जिसे चिकित्सक की देखरेख में दिया जाता है। इसमें उच्च ऊर्जा वाले सप्लीमेंट्स (मूँगफली, तेल, सूखा दूध, इत्यादि) का रेडीमेड पैक्ड पेस्ट शामिल होता है।
- इस मिश्रण को 6 महीने से 6 वर्ष के बीच के बच्चों को लगभग एक महीने तक प्रतिदिन दिया जाता है।
- यह लागत प्रभावी और स्वच्छ होता है, क्योंकि यह ताज़े पके हुए भोजन की तुलना में मानव संपर्क में कम आता है। यह भारत में राज्य सरकारों के सहयोग से वैश्विक पहल *स्केलिंग अप न्यूट्रीशन (SUN) मूवमेंटऔर* ICDS के तहत लागू किया जा रहा है।

SUN मुवमेंट

- यह *स्केल अप न्यूट्रीशन फ्रेमवर्क* के विकास के साथ 2009 में शुरू किया गया था।
- यह पहल मातृ एवं शिशु पोषण को बेहतर बनाने के लिए नागरिक समाज, संयुक्त राष्ट्र, दानकर्ताओं, व्यापारियों और शोधकर्ताओं को एक सामूहिक प्रयास के रूप में एकजुट करती है।

भारत में पोषण की स्थिति

- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2015-16) के अनुसार, 5 वर्ष से कम उम्र के 35.7% बच्चे*अंडरवेट* और 38.4% बच्चें स्टंटेड थे।
- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कम वजन वाले बच्चों के अनुपात में 7% की कमी आयी है और स्टंटेड बच्चों में लगभग 10% की कमी आयी है।
- हाल ही में जारी की गयी*वर्ल्ड हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2017* में 119 देशों की सूची में भारत को 100 वाँ स्थान मिला है।
- SDG के कुल 17 लक्ष्यों में से 12 पोषण से सम्बन्धित हैं।
- भारत में पोषण की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार की योजनाएँ हैं एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM), मिड डे मील स्कीम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, स्वच्छ भारत अभियान आदि।

चुनौतियाँ

- बच्चों के आहार को *RUTF* नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। यह बच्चों के प्राकृतिक स्वाद को खराब कर सकता है, क्योंकि *RUTF* का प्रयोग अल्पाय में किया जाता है।
- यह किसी बच्चे के द्वारा सामान्यतः उपभोग किये जाने वाले घर के भोजन एवं सर्वश्रेष्ठ पोषण पद्धतियों को प्रतिस्थापित कर सकता है।
- यह शिश् और युवा बच्चों के पोषण सम्बन्धी परामर्श के महत्व को कमजोर बना सकता है।
- इससे खाद्य उपलब्धता और आहार विविधता में सुधार हेतु स्थायी समाधान प्राप्त करने के प्रयास भी कमज़ोर पड़ सकते हैं।
- फ़ूड-ड्रग्स कंफ्यूजन यह भ्रम रखना उचित नहीं है कि बच्चे की पोषण संबंधी आवश्यकताएँ चिकित्सकीय हस्तक्षेप और पोषण सम्बन्धी कमी को पूरा करने के लिए निगरानी के तहत दिए जाने वाले सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त बहु-पोषक खाद्य पैकेजों से पूरी की जा सकती है।
- योजना आयोग और आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने RUTF को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि बच्चों को अत्यधिक सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान कर यह गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ पैदा कर सकता है।
- यह एक व्यवहार्य मॉडल नहीं है ,क्योंकि यह भ्रष्टाचार तथा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की बड़ी कंपनियों के एकाधिकार और *लाबिंग* का शिकार हो सकता है।

भारत में न्यूट्रास्युटिकल उद्योग

- न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंटस और खाद्य पदार्थ ड्रग्स नहीं हैं किन्तु तथाकथित रूप से उन्हें स्वास्थ्य के लिए अत्यावश्यक बताया जाता है। इसमें मोटापे से सम्बन्धित गोलियाँ, अतिशयोक्ति पूर्ण लाभों से युक्त बताए जाने वाले डाइट रेजिमेन शेक्स आदि शामिल हैं।
- 2017 की एक रिपोर्ट में, *एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया* ने अनुमान लगाया है कि वैश्विक न्यूट्रास्युटिकल उद्योग में प्रति वर्ष लगभग 15 बिलियन डॉलर की वृद्धि होगी। अकेले भारत में यह 2 बिलियन डॉलर से अधिक मूल्य का उद्योग है।
- हाल ही में, FSSAI द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार न्यूट्रास्युटिकल उद्योग को नियंत्रित करने के लिए पिछले वर्ष हैदराबाद
 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रीशन के अधीन एक केंद्र स्थापित किया गया था।

आगे की राह

- RUTF को पूरी तरह से अस्वास्थ्यकर मानकर खारिज नहीं किया जाना चाहिए। इसका उपयोग ICDS और मिड-डे मील जैसी चल रही योजनाओं के साथ एकीकृत करके किया जाना चाहिए।
- ऐसे क्षेत्रों में जहाँ अधिक संख्या में SAM बच्चे हैं, ताजा पके हुए भोजन की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार किया जाना चाहिए।
- भोजन से पहले हाथ धोने और खुले में शौच नहीं करने वाली स्वस्थ आदतों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- नई और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए ,क्योंकि कुपोषित महिलाएँ प्रायः कम वजन के बच्चों को जन्म देती हैं।
- शिशुओं के पोषण हेतु महिलाओं को गर्भावस्था से पूर्व और पश्चात् पोषण संबंधी आवश्यकताओं के सम्बन्ध में परामर्श दिया जाना चाहिए।
- पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करके सरकार द्वारा अधिक विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।
- स्वच्छ भारत मिशन, ICDS और NHM जैसी विभिन्न योजनाओं को कुपोषण से संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए एक एकीकृत
 दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समन्वित किया जाना चाहिए।

- अन्य पहलें जैसे:
 - स्तनपान को बढ़ावा देना।
 - o शिशु और बाल देखभाल सेवाओं के लिए सार्वभौमिक पहुंच**।**
 - संस्थागत बाल प्रसव,दुग्ध और प्रसवोत्तर देखभाल संबंधी प्रबंधन।

7.3. एक मिलियन बच्चों को बचाया गया

(One Million Children Saved)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- लैंसेट द्वारा प्रकाशित हाल ही के एक अध्ययन में यह उल्लेख किया गया है कि भारत ने 2005 से अब तक पाँच वर्ष से कम उम्र के लगभग 1 मिलियन बच्चों को मृत्यु से बचाया है।
- इंडियाज मिलियन डेथ स्टडी: इसका क्रियान्वन भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा किया गया है। यह इस प्रकार की पहली रिपोर्ट है, जिसमें भारत में बच्चों की विशिष्ट कारणों से हुई मौतों में हुए मात्रात्मक परिवर्तनों को दर्शाया गया है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर यादृच्छया चयनित घरों में, 2000-15 के बीच के आँकड़ों का अध्ययन किया गया है।
- मातृ मृत्यु दर (MMR) प्रत्येक 100,000 जीवित जन्म लेने वालों पर मरने वाली माताओं की संख्या है।
- शिशु मृत्यु दर (IMR) प्रत्येक 1000 जीवित जन्म लेने वाले बच्चों में से एक वर्ष की आयु के भीतर मरने वाले शिशुओं की संख्या का दर्शाता है।
- बाल मृत्यु दर (CMR) प्रति 1000 जीवित जन्म लेने वाले बच्चों में से 5 वर्ष से कम आयु के भीतर मरने वाले बच्चों की संख्या को दर्शाता है।

अध्ययन के मुख्य के बिंदु

- इसमें बताया गया है कि CMR वर्ष 2000 के 45.2 से गिरकर 2015 में 19.6 हो गयी।
- यह दर्शाता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में बड़ी गिरावट आयी है और निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्यों पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों को सफलता मिली है।
- रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों और गरीब राज्यों की तुलना में शहरी क्षेत्रों और अमीर राज्यों में बच्चों की कम मौतें देखी गयी हैं।
- टिटनस और खसरे से होने वाली नवजात शिशु मृत्यु (neonatal deaths) में 90% की गिरावट आयी है। ये भारत में शिशु मृत्यु के दो प्रमुख कारण हैं।
- बच्चों की मृत्यु के दो सर्वप्रमुख कारणों, **निमोनिया और डायरिया** से होने वाली मौतों में 60% से अधिक की गिरावट आयी है।
- बालिकाओं की संख्या में अधिक गिरावट, यह दर्शाती है कि बालिकाओं को भारत में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ मिल रही हैं।
- मृत्यु दर में गिरावट 2005 में प्रारंभ किए गए दो प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रमों **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन**, जो अब **राष्ट्रीय स्वास्थ्य** मिशन के नाम से जाना जाता है और जननी सुरक्षा योजना के कारण आयी है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)

- 2 सब-मिशन:
- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM)
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM)
- NHM के व्यापक उद्देश्य:
- MMR को 1/1000 प्रति जीवित जन्म तक करना।
- IMR को 25/1000 प्रति जीवित जन्म तक करना।
- TFR (कुल प्रजनन दर) को 2.1 तक करना।
- 15-49 वर्ष आयु की महिलाओं में एनीमिया का बचाव एवं उसे कम करना।
- संचारी, गैर-संचारी रोगों, चोटों और उभरती हुई नई बीमारियों से होने वाली मौतों और रुग्णता में कमी लाना।
- कुल स्वास्थ्य देखभाल पर निजी व्यय को कम करना।
- तपेदिक के वार्षिक मामलों और उससे होने वाली मौतों को कम करके आधा करना।

- सभी जिलों में कुष्ठ रोग की व्यापकता को आबादी के अनुसार 1/10000 से कम करना और नये मामलों को शून्य के स्तर पर ले जाना।
- वार्षिक रूप से मलेरिया के मामलों को 1/1000 से कम करना।
- सभी जिलों में माइक्रो फ़ाइलेरिया का प्रसार 1 प्रतिशत से भी कम करना।
- 2015 तक कालाजार का उन्मूलन, सभी ब्लॉकों में प्रति 10000 जनसंख्या पर मामलों को 1 से कम के स्तर पर ले जाना।

जननी सुरक्षा योजना (JSY)

- इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं नवजात मृत्यु दर में कमी लाना है।
- िकसी सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी स्वास्थ्य सुविधा में प्रसव होने की दशा में, सभी पात्र गर्भवती महिलाएँ, नकद सहायता प्राप्त करने की हकदार होती हैं। इसमें माता की आयु और बच्चों की संख्या को आधार नहीं बनाया जाता है।

मुद्दे :

- राज्यों के बीच स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधा में अंतर: यदि अधिक विकसित और गरीब राज्यों के बीच इतनी विषमता न होती तो मौतों को तीन गुना तक कम किया जा सकता था।
- ग्रामीण-शहरी अंतर: पिछले 15 वर्षों में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में समय-पूर्व (premature) मृत्यु दर अथवा जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों की मृत्यु दर में अधिक वृद्धि हुई है।
- बाल मृत्यु की घटनाओं की निगरानी एक चुनौती है क्योंकि ज्यादातर मौतें, विशेषकर बच्चों की, प्रायः घरों में होती हैं और बिना चिकित्सकीय देखभाल के होती हैं।

7.4 ग्लोबल हंगर इंडेक्स

(Global Hunger Index)

सुर्ख़ियों में क्यों?

• *"ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2017: द इनइक्वलिटीज़ ऑफ़ हंगर "*रिपोर्ट में 119 विकासशील देशों में भारत का स्थान 100वाँ है।

ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में:

- इसे वाशिंगटन स्थित इंटरनेशनल फूड पालिसी एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट (IFPRI) के द्वारा आयरलैंड के कंसर्न वर्ल्डवाइड और वेल्थ हंगरलाइफ (जर्मन गैर-लाभकारी संगठन) के सहयोग से जारी किया जाता है।
- यह 100 अंकों के मानक पर देशों की रैंकिंग प्रदान करता है। इसमें 0 सूचकांक वाले देश में भूख की समस्या नहीं पायी जाती है।
- GHI स्कोर चार संकेतकों पर आधारित होता है:
- अल्पपोषण: आबादी का वह हिस्सा जिनका कैलोरी सेवन अपर्याप्त है।
- चाइल्ड वेस्टिंग: पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों का वह भाग जिनकी लम्बाई की तुलना में उनका भार कम है।
- चाइल्ड स्टंटिंग: पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों का वह भाग जिनकी उम्र की तुलना में उनकी लम्बाई कम है।
- चाइल्ड मोर्टेलिटी: पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर (यह अपर्याप्त पोषण और अस्वस्थ वातावरण के घातक मिश्रण को दर्शाता है)

वैश्विक स्तर पर भूख की स्थिति:

- विश्व भर में भूख के स्तर में वर्ष 2000 की तुलना में 27% की गिरावट आयी है।
- क्रमशः 30.9 और 29.4 सूचकांक के साथ दक्षिण एशिया और अफ्रीका का दक्षिणी सहारा, भूख की समस्या से सर्वाधिक ग्रसित क्षेत्र हैं।
- पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशिया में भूख का स्तर मुख्य रूप से चीन में भूख की समस्या में आयी कमी के कारण मध्यम रहा है, साथ ही इन क्षेत्रों में भूख के प्रसार में व्यापक असमानता पर चिंता जतायी गयी है।
- सें<mark>ट्रल अफ़्रीकन रिपब्लिक</mark> का स्कोर सबसे खराब रहा और यह एक मात्र ऐसा देश है जो 2017 में अत्यंत भयावह भूख के स्तर की श्रेणी में शामिल है।

• आंकड़े न केवल **क्षेत्रीय असमानता को दर्शाते हैं बल्कि भूख के प्रसार के संबंध में लिंग असमानता** को भी दर्शाते हैं, जिसका अर्थ है कि भूख और कुपोषण से निपटने के लिए एक ही प्रकार के उपाय को अपनाना सर्वोत्तम परिणामों के दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है।

भारत का प्रदर्शन :

- 31.4 स्कोर के साथ, भारत "गंभीर" भूख की समस्या से ग्रस्त श्रेणी के अंतर्गत शीर्ष स्तर पर शामिल है। यह एक प्रमुख कारण है कि दक्षिण एशिया सबसे खराब प्रदर्शन वाले क्षेत्रों में शामिल है।
- विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था और दूसरा सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक होने के बावजूद भारत में भूख की व्यापकता में कम सुधार हुआ है (यानी 2000 में 38.2 से 2017 में 31.4)।
- भारत का निम्न प्रदर्शन यह दिखाता है कि देश में कुपोषित बच्चों का अनुपात उच्च है- 5 वर्ष से कम आयु के 21% बच्चे वेस्टिंग से और 38.4% बच्चे स्टंटिंग से पीड़ित है।

भारत के खराब प्रदर्शन के कारण:

- अपर्याप्त पोषण: 6 से 23 महीने आयु के कुल बच्चों में से मात्र 9.6% बच्चों को पर्याप्त आहार मिल पाता है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) का कार्यान्वयन होना : NFSA कई राज्यों में लागू नहीं है क्योंकि-
 - लाभार्थियों की पहचान पूरी नहीं है।
 - मातृत्व लाभ कार्यक्रम (जो NFSA का हिस्सा है) को अभी हाल ही में पूर्व की योजना की तुलना में कम अधिकारों के साथ अधिस्चित किया गया है।


• *इक्स्क्लूशन एरर* (वहिष्करण सम्बन्धी त्रुटियाँ): राशन वितरण, मिड-डे मील स्कीम आदि के लिए आधार आधारित बॉयोमीट्रिक पहचान के दबाव ने भी कई क्षेत्रों में भखमरी सम्बंधी समस्या को बढ़ा दिया है।

- स्वच्छता का अभाव: 2016 तक केवल 48.4% घरों में ही बेहतर स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता थी जो कि बाल स्वास्थ्य और पोषण के लिए बहुत हानिकारक है।
- सरकारी सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की विफलता जैसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज (ICDS) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM), वांछित परिणाम प्राप्त करने में असफल रहे हैं।

भूख से निपटने हेतु रिपोर्ट में दिए गए नीतिगत सुझाव:

- फोस्टर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ऑफ़ नेशनल फ़ूड सिस्टम: सरकारों को नीति निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से प्रतिनिधित्व न पाने वाले समूहों जैसे छोटे-छोटे किसानों को शामिल करना चाहिए।
- सिविल सोसाइटी के अधिकारों एवं उसकी संभावनाओं को मजबूत करना: नीति निर्माताओं को जवाबदेह बनाने और सभी के लिए पर्याप्त भोजन सहित मानव अधिकारों को सुनिश्चित करने में सिविल सोसायटी संगठनों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
- नागरिकों की सुरक्षा और व्यापार एवं वाणिज्य के मानदंडों को सुनिश्चित करना: सरकार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कृषि समझौतों के नकारात्मक प्रभावों और निजी कंपनियों के कार्यों से सुभेद्य वर्गों की सुरक्षा करनी चाहिए। ये नागरिकों के भोजन और पोषण सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं।
- शक्ति संबंधी असमानताओं (लिंग, नस्ल और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं) को दूर करना जो समाज में विभिन्न समूहों को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए भेदभावपूर्ण लैंगिक मानदंडों और प्रथाओं में परिवर्तन कर महिलाओं और बालिकाओं के पोषण संबंधी स्थिति को ठीक किया जा सकता है।
- बुनियादी सुविधाओं, वित्तीय सेवाओं, सूचना और प्रशिक्षण जैसी सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करके छोटे स्तर के खाद्य उत्पादकों, विशेष रूप से महिलाओं का क्षमता निर्माण करना।

BEHIND MOST NEIGHBOURS		
COUNTRY	Rank	GHI
China	29	7.5
Nepal	72	22.0
Myanmar	77	22.6
Sri Lanka	84	25.5
Bangladesh	88	26.5
India	100	31.4
Pakistan	106	32.6
Afghanistan	107	33.3



- शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा संजाल के माध्यम से समानता में वृद्धि लाना ताकि सबसे कमजोर और वंचित लोगों की आय सुरक्षा और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच आसान हो सके।
- भूखमरी को शून्य के स्तर पर लाने के लिए निगरानी करना और भूख व असमानता दोनों के संबंध में उत्पन्न गंभीर अंतराल को स्पष्ट करना।
- SDG में निवेश और पिछड़ रहे राष्ट्रों पर निवेश: दानकर्ताओं को विकास सहायता और अल्प-विकसित राष्ट्रों के लिए अपनी राष्ट्रीय आय (GNI) का क्रमशः 0.7% और 0.15-0.2% योगदान करके आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमित प्राप्त लक्ष्यों को पूरा करना चाहिए।

7.5 सार्वजनिक स्वास्थ्य कैडर

(Public Health Cadre)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में हुई चिकित्सा दुर्घटनाओं, जैसी कि एक गोरखपुर में घटित हुई है, ने सार्वजनिक स्वास्थ्य कैडर की माँग को पुनर्जागृत कर दिया है।

पृष्ठभूमि

- भोर समिति, 1946 इसे स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास समिति भी कहते हैं। इसने भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थिति का व्यापक मूल्यांकन किया और सार्वजनिक स्वास्थ्य श्रमबल के प्रशिक्षण की अनुशंसा की।
- मुदलियार सिमिति (1959) इसने अपनी रिपोर्ट 1962 में सौंपी। यह सुझाव सर्वप्रथम इसी सिमिति द्वारा दिया गया कि स्वास्थ्य और कल्याण की समस्याओं से संबंधित किमियों के पास एक समग्रतापूर्ण व विस्तृत दृष्टिकोण तथा राज्य स्तर पर प्रशासन का समृद्ध अनुभव होना चाहिए।
- करतार सिंह समिति (1973) इस समिति ने सुझाव दिया कि संक्रामक रोग नियंत्रण, निगरानी प्रणाली, डाटा प्रबंधन, सामुदायिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कोई औपचारिक प्रशिक्षण न रखने वाले तथा नेतृत्व व संचार जैसे कौशलों की कमी रखने वाले चिकित्सक, सार्वजनिक सुविधाओं हेतु काम करने के लिए आवश्यक क्षमता का अभाव रखते हैं और अनुपयुक्त हैं।
- 12वीं पंचवर्षीय योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 ने भी समर्पित, प्रशिक्षित और विशिष्ट कर्मियों के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएँ चलाने हेतु तथा स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन कैडर की स्थापना का पुरजोर समर्थन किया है।
- विभिन्न रिपोर्टों में सार्वजनिक स्वास्थ्य कैडर के गठन की अनुशंसाओं के बावजूद अभी तक अखिल भारतीय स्तर पर ऐसी किसी सेवा का गठन नहीं हुआ है।

कैडर कार्यान्वयन स्थिति के आधार पर **राज्यों** को सामान्यतः **चार श्रेणियों** में विभाजित किया जा सकता है:

- सुव्यवस्थित कैडर वाले राज्य जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र;
- ऐसे राज्य जहाँ कैडर के कुछ चयनित घटक अस्तित्व में हैं, जैसे- पश्चिम बंगाल, केरल;
- वे राज्य जो सक्रिय रूप से कैडर के गठन का प्रयास कर रहे हैं, जैसे- ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़; तथा
- वे राज्य जो अभी कैडर पर विचार करने के चरण में ही हैं, जैसे- कर्नाटक, हरियाणा एवं कुछ पूर्वोत्तर राज्य

कैडर की आवश्यकता

इसकी संकल्पना, भारतीय स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली की विशिष्ट और जटिल आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, सिविल सेवा की तर्ज पर समर्पित, पेशेवर व प्रशिक्षित कर्मियों का चयन करने के लिए की गयी है।

- एक उपयुक्त शिक्षा मॉडल का अभाव- भारत में चिकित्सा शिक्षा (समवर्ती सूची का विषय) पूरी तरह से पश्चिमी मॉडल पर आधारित है। यह मॉडल भारतीय परिस्थितियों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।
- प्रबंधकीय और तकनीकी कौशल का अभाव- रोग-विषयक योग्यता रखने वाले चिकित्सक और यहाँ तक कि व्यापक अनुभव वाले चिकित्सक भी, अनेक चुनौतियों जैसे तकनीकी विशेषज्ञता, लॉजिस्टिक्स प्रबंधन तथा स्वास्थ्य और नेतृत्व के सामाजिक निर्धारकों आदि का सामना करने में असमर्थ रहे हैं। इससे हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की गुणवत्ता में बाधा आयी है।
- नौकरी की विभिन्न माँग अधिकांश राज्यों में सार्वजनिक स्वास्थ्य कैडर की अनुपस्थिति में कई बार ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं कि किसी एनेस्थेटिस्ट या किसी नेत्र विशेषज्ञ को भी प्रजनन और बाल स्वास्थ्य या मलेरिया नियंत्रण जैसे कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कराना पड़ता है। इन्हें मुश्किल से ही सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली और इसके सिद्धांतों का कोई ज्ञान होता है।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में विशेषज्ञता का अभाव- सरकार की विशिष्ट सेवाओं और सामान्य सेवाओं में योजना निर्माण, निष्पादन तथा अनुवर्ती कार्यवाही (follow up) के मध्य एक बड़ा अंतर विद्यमान है। दोनों ही स्थितियों के लिए प्रशासकों के एक विशेष वर्ग की तत्काल आवश्यकता है जो स्वास्थ्य देखभाल के विशेषज्ञ हों, ताकि बेहतर प्रबंधन और नवाचार हो सके।

• अधिकारियों के नियामक प्राधिकरण का अभाव - अधिकतर राज्यों में एक व्यापक लोक स्वास्थ्य अधिनियम की अनुपस्थिति है I इसका अर्थ यह है कि स्वास्थ्य अधिकारियों के पास नियामक प्राधिकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य कानूनों को पर्याप्त रूप से लागू कराने की शक्तियों का अभाव है। एक अलग सार्वजनिक स्वास्थ्य निदेशालय के अभाव के कारण उनकी स्वतंत्रता, प्रभावशीलता और दक्षता के साथ समझौता होता है।

लाभ

- एक सार्वजनिक स्वास्थ्य कैडर का अर्थ होगा कि जो चिकित्सक सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उन्हें स्वास्थ्य नीति
 का उचित प्रशिक्षण मिलेगा और प्रोन्नति के लिए पूर्व-योग्यता के रूप में वे एक निर्दिष्ट समयाविध तक जिला स्तर के किसी अस्पताल में काम करेंगे।
- एक सार्वजिनक स्वास्थ्य कैडर होने से हमारे पास ऐसे कर्मचारी होंगे जो सार्वजिनक स्वास्थ्य प्रबंधन के सिद्धांतों को लागू करके ऐसी गलितयों से बच सकते हैं जो उत्तर प्रदेश में हुई त्रासदी जैसी घटनाओं का कारण बनती हैं। साथ ही साथ बेहतर गुणवत्तायुक्त सेवाएँ भी प्रदान की जा सकेंगी। इससे भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली की दक्षता और प्रभावशीलता में निश्चित रूप से सुधार होगा।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के गुणवत्तापूर्ण और वैज्ञानिक कार्यान्वयन से गरीबों को भी लाभ होगा, क्योंकि इससे उनकी क्षमता से अधिक खर्च की आवश्यकता में कमी आएगी और महँगी निजी स्वास्थ्य देखभाल पर निर्भरता कम होगी।
- इस प्रक्रिया में, विशेषज्ञों के रूप में मूल्यवान संसाधनों को दूसरे क्षेत्रों से निकाल कर उनका उपयोग उन क्षेत्रों में कर पाएँगे जहाँ उनकी निश्चित रूप से आवश्यकता है। इस प्रकार उनकी क्षमताओं को व्यर्थ जाने से रोका जा सकेगा।
- स्वास्थ्यसेवा पेशेवरों का एक समर्पित कैडर राज्य-विशेष से संबंधित स्वास्थ्य खतरों को पहचान सकता है और उन्हें फैलने से पहले नियंत्रित कर सकता है।
- NHP के सुझाव के अनुसार, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानवशास्त्र, नर्सिंग, अस्पताल प्रबंधन और संचार के क्षेत्रों से पेशेवरों को भी शामिल करना एक बहु-विषयक (multi-disciplinary) दृष्टिकोण होगा। यह इस तथ्य पर आधारित है कि यदि सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों को सामुदायिक स्वीकृति हासिल करनी हो तो सांस्कृतिक प्रकृति को समझना भी आवश्यक है।
- मंत्रालय में उच्च पदों को इस कैडर से भरने तथा राज्य स्तर पर भी इसी तरह की व्यवस्था से, जिसमें मिशन निदेशकों की नियुक्ति भी शामिल है, से नियोजन में सुधार लाने और अति आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य नेतृत्व प्रदान करने में अत्यंत सहायता मिलेगी।

आगे की राह

- इस प्रकार के कैडर के निर्माण के समक्ष अनेक चुनौतियाँ हैं। चूँकि स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, अतः इस प्रस्ताव को अंतिम रूप से पारित होने के लिए दो तिहाई राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता होगी।
- हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांकों और मापदंडों में भारत की स्थिति को देखते हुए, एक स्पष्ट रूप से परिभाषित सार्वजनिक स्वास्थ्य कैडर समय की आवश्यकता है।

7.6 अस्पतालों के प्रदर्शन का आकलन करने वाला सूचकांक

(Index for Tracking Performance of Hospitals)

सर्ख़ियों में क्यों?

स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ NITI **आयोग** ने *'हेल्थ ऑफ़ आवर हॉस्पिटल्स'* सूचकांक के माध्यम से जिला अस्पतालों की रैंकिंग शुरू की है। विवरण

- इसका उद्देश्य जिले के लोगों को व्यापक स्तर पर ऐसी द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ उपलब्ध कराना है जिनकी गुणवत्ता
 स्वीकार्य स्तर की हो तथा जो लोगों की आवश्यकताओं और रेफर करने वाले प्राथमिक केंद्रों के प्रति संवेदनशील हों।
- चिकित्सालयों के मुल्यांकन के आधार हैं-
 - प्रति 100,000 जनसंख्या पर चिकित्सालय में कार्यात्मक बिस्तरों की संख्या,
 - चिकित्सकों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ का अनुपात,
 - अनिवार्य औषधियों की अनुपलब्धता की दर,
 - o ब्लड बैंक प्रतिस्थापन दर और
 - पोस्ट-सर्जिकल इन्फेक्शन रेट आदि

पहल का महत्व

- स्वास्थ्य परिणामों पर केंद्रित होना: चिकित्सालयों को बड़ी मात्रा में धनराशि के आवंटन के बावजूद उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए कोई व्यापक प्रणाली नहीं थी। अब यह पहल परिणामों के मापन के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में सहायता करेगी।
- सरकारी चिकित्सालयों के मध्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा तथा बेहतर प्रदर्शन करने वाले चिकित्सालयों को उच्च मानक बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

- सरकारी चिकित्सालयों द्वारा कुशल स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की ओर ध्यान देने से स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच की क्षेत्रीय असमानताओं में कमी आएगी।
- निजी क्षेत्र पर निर्भरता को कम करके रोगियों के व्यय को कम किया जा सकता है।
- चिकित्सालयों के डाटाबेस में सुधार होगा जिससे नीति निर्माताओं को विभिन्न अस्पतालों के बुनियादी ढाँचे, स्टाफिंग और वित्तपोषण के लिए निवेश करने में सहायता प्राप्त होगी।
- रोगी का फीडबैक: सूचकांक में रोगियों का फीडबैक शामिल किया गया है तथा रोगी की संतुष्टि को उच्च भारांश देकर उन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में एक हितधारक बना दिया गया है।

7.7. निष्क्रिय इच्छा-मृत्यु

(Passive Euthanasia)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि सरकार द्वारा निष्क्रिय इच्छा-मृत्यु के सन्दर्भ में एक ड्राफ्ट कानून को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसे *मैनेजमेंट ऑफ़ पेसेंट्स विद टर्मिनल इलनेस - मेडिकल लाइफ सपोर्ट बिल,* 2016 के नाम से जाना जाएगा। पृष्ठभूमि

- 2002 में, भारत के विधि आयोग की 196वीं रिपोर्ट में निष्क्रिय इच्छा-मृत्यु का समर्थन किया गया था। हालांकि, आयोग ने यह निर्णय लिया कि इच्छा-मृत्यु के सम्बन्ध में किसी विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा।
- अरुणा शानबाग मामले (2011) में उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए *परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट* (PVS) की अवस्था में किसी रोगी के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाने के माध्यम से *पैसिव यूथेनेशिया* को वैधता प्रदान की। न्यायालय के अनुसार, मरीज का निर्णय आवश्यक रूप से उसके द्वारा **एक सुचित निर्णय (informed decision) होना चाहिए**।
- बाद में, विधि आयोग ने अपनी 241वीं रिपोर्ट में कुछ श्रेणियों के लोगों जैसे कि *परिसस्टेंट वेजिटेटीव स्टेट* (PVS) की अवस्था वाले रोगी, स्थायी रूप से कोमा की स्थिति में रहने वालों, या विक्षिप्त मानसिक अवस्था वाले लोगों के लिए, जो मानसिक रूप से निर्णय लेने में अक्षम हों, लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाने का समर्थन किया।
- उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर *यूथेनेशिया* कानून के संबंध में दिशा-निर्देश दिया जाता रहा है। अभी भी देश में *एक्टिव* यूथेनेशिया को वैधता प्रदान नहीं की गयी है।
- हाल ही में, केन्द्र सरकार ने 'लिविंग विल'अर्थात रोगी द्वारा चिकित्सीय देखरेख में जीवन की समाप्ति के सन्दर्भ में चिकित्सकों के एक अग्रिम लिखित निर्देश दिये जाने की अवधारणा को वैधता प्रदान करने पर आपत्ति जतायी है।

'लिविंग विल' एक ऐसी अवधारणा है जिसमें कोई मरीज इस प्रकार की सहमित देता है कि *परसिस्टेंट वेजिटेटीव स्टेट* या जीवित रहने की कोई वास्तविक संभावना न होने पर उसका *लाइफ सपोर्ट सिस्टम* हटा लिया जाए।

यह एक प्रकार का **अग्रिम निर्देश/दस्तावेज** है जो किसी व्यक्ति द्वारा उपचार के पूरी तरह अक्षम सिद्ध होने से पहले ही दे दिया जाता है या बहुधा उपचार को नकारते हुए दिया जा सकता है।

जब कोई व्यक्ति उपचार या उपचार को वापस लेने के लिए अपनी सहमति देने की स्थिति में नहीं होता है, तो चिकित्सीय नैतिकता के दो मुख्य सिद्धांत महत्वपूर्ण हो जाते हैं:

- लिविंग विल के रूप उसके द्वारा पहले से व्यक्त की गयी इच्छा, या उनकी ओर से निर्णय करने वाले संरक्षक की इच्छा
 (प्रतिस्थापित निर्णय) का सम्मान किया जाना।
- लाभप्रदाता मरीज के सर्वोत्तम हित में कार्य कर रहा है तथा व्यक्तिगत प्रतिबद्धता, उद्देश्यों या अन्य विचारों से वह प्रभावित नहीं है।

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, मानसिक रूप से बीमार रोगियों के लिए *लिविंग विल*का प्रावधान करता है।

अमेरिका,UK, जर्मनी और नीदरलैंड्स में **अग्रिम चिकित्सा निर्देश कानून** लागू हैं, जो लोगों को 'लिविंग विल' का अधिकार देते हैं।

द टर्मिनली इल पेशेंट्स (प्रोटेक्शन ऑफ़ पेशेंट्स एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स) एक्ट, 2012 में यह भी कहा गया है कि अग्रिम चिकित्सा निर्देश/लिविंग विल या किसी *मेडिकल पावर ऑफ़ अटॉर्नी* प्राप्त व्यक्ति की सलाह पर उपचार वापस लेने का विचार किया जाएगा, लेकिन यह किसी भी चिकित्सा व्यवसायी (चिकित्सक) पर बाध्यकारी नहीं होगा।

अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और नीदरलैंड्स के पास **अग्रिम चिकित्सा निर्देश कानून** हैं जो लोगों को *'लिविंग विल'* की इजाजत देते हैं। ्यूथेनेशिया (इच्छा-मृत्यु) को सहायता प्राप्त आत्महत्या के रूप में भी जाना जाता है, और सामान्य रूप से इसे दया मृत्यु (मर्सी किलिंग) भी कहा जाता है। इसका अर्थ है- दु:साध्य (दीर्धकालीन, कभी न समाप्त होने वाली) पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए जीवन की समाप्ति हेतु जानबूझकर की जाने वाली कार्यवाही।

एक्टिव यूथेनेशिया (सक्रिय इच्छा-मृत्यु) में कोई व्यक्ति प्रत्यक्षत: और जानबूझकर (मरीज की मंजूरी के बाद) मरीज को मृत्यु प्रदान करने की कार्यवाही करता है।

पैसिव यूथेनेशिया (निष्क्रिय इच्छा-मृत्यु) में रोगी की मृत्यु के लिए इलाज बंद करना या लाइफ सपोर्ट सिस्टम

(जीवन रक्षक प्रणालियों) को हटाने की अनुमति दी जाती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है।

भारत में इस बात पर बहस चल रही है कि मरने का अधिकार (right to die) अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का भाग है या नहीं।

पैसिव युथेनेशिया के पक्ष में तर्क

- कुछ समर्थकों का मानना हैं कि प्रत्येक रोगी को मृत्यु के चयन का अधिकार उन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन के अधिकार के समान है।
- ऐसे विचारकों का मानना है कि यूथेनेशिया को सरकार द्वारा विधि बनाकर नियंत्रित किया जा सकता है। विश्व में कई मामलों में
 ^{पै}सिव यूथेनेशिया को व्यवहार में लाया गया है।
- दुनिया भर में व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली प्रशामक उपचार औषधियों (palliative sedation) के मामले में, प्रयोग में लाई जाने वाली कई दर्द निवारक औषधियों ने व्यक्ति के जीवनकाल को कम किया है। इसलिए यह तर्क दिया जा सकता है कि यह यूथेनेशिया का एक प्रकार है।

पैसिव यूथेनेशिया के विपक्ष में तर्क

- वैकल्पिक उपचार उपलब्ध हैं, जैसे कि उपशामक (palliative) देखभाल और चिकित्सीय आश्रय स्थल (hospices)। लक्षणों को मारने के लिए किसी मरीज को नहीं मारा जा सकता है। लगभग सभी प्रकार के दर्दों से राहत मिल सकती है।
- 'मृत्यु का अधिकार' कोई अधिकार नहीं है। *वोलेंट्री यूथेनेशिया* के लिए दरवाजे खुलने से *नॉन वोलेंट्री* और *इनवोलेंट्री यूथेनेशिया* को भी बढ़ावा मिल सकता है। इससे डॉक्टरों को यह निर्णय लेने की शक्ति मिलती है कि मरीज की ज़िंदगी जीने योग्य नहीं बची है।
- यह धारणा कि मरीज को दर्द से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मरने का अधिकार होना चाहिए, डॉक्टर उसके जीवन का अंत करने के लिए बाध्य हो जाएँगे। इस प्रकार यह **डॉक्टर की स्वायत्तता को सीमित करता** है। साथ ही साथ, कुछ लोगों के लिए 'मृत्यु का अधिकार' दूसरों के द्वारा 'मरने का कर्तव्य' बन सकता है, खासकर वैसे लोगों के लिए जो कमजोर हैं या दूसरों पर निर्भर हैं।

आगे की राह

- इस विवाद ने चिकित्सकों के साथ -साथ समाज के समक्ष नैतिकता और नीतिपरक मुद्दों के सन्दर्भ में बहस के द्वार खोल दिए हैं।
- हालांकि, यह माना जाता है कि जीवन के अधिकार में गरिमा के साथ मरने का अधिकार भी अंतर्निहित है, जिसे समाज द्वारा अत्यंत सावधानी से मान्यता प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

7.8. नाबालिग पत्नी से शारीरिक सम्बन्ध बनाना बलात्कार की श्रेणी में शामिल

(Sex with a Minor Wife Amounts to Rape)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि 18 वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाना बलात्कार की श्रेणी में आएगा।

भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अनुसार - जब कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करता है तो उसे बलात्कार कहा जाता है। बलात्कार तब माना जाता है जब कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ निम्नलिखित छः परिस्थितियों में शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करता है:

- उसकी इच्छा के विरुद्ध:
- उसकी सहमति के बिना;
- उसकी सहमित के साथ; किन्तु यह सहमित उसे या उसके किसी प्रियजन को मृत्यु अथवा चोट पहुँचाने का भय दिखाकर, डरा धमकाकर ली गयी हो अथवा उसकी सहमित नकली पित बनकर ली गयी हो।

अपवाद - किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ बनाया गया शारीरिक सम्बन्ध बलात्कार नहीं है, यदि पत्नी की उम्र पंद्रह वर्ष या उससे कम न हो। **CrPC की धारा 198(6) के अनुसार-** पत्नी की आयु पंद्रह वर्ष से कम होने पर भी कोई न्यायालय उस दशा में भारतीय दंड संहिता (1860 के 45) की धारा 376 के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, यदि शिकायत दर्ज़ कराने के समय इस अपराध को घटित हुए **एक वर्ष से अधिक समय बीत चुका हो।**

पृष्ठभूमि

- IPC के तहत, भले ही सहमित हो या न हो, 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ यौन संबंध बनाना अपराध है। हालांकि, उस दशा को अपवाद माना गया है जब लड़की आदमी की पत्नी हो, बशर्ते कि वह 15 वर्ष से कम न हो। इस प्रकार बलात्कार को विवाह में अनुमन्य माना गया।
- वर्ष 1978 में, विवाह करने के लिए सहमित की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गयी थी। विधि आयोग ने अपनी 84 वीं रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की थी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अंतर्गत शामिल एक विवाहित महिला की परिभाषा के लिए भी यह आयू 18 साल होनी चाहिए।
- इंडिपेंडेंट थॉट बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस सन्दर्भ में एक महिला की आयु के बारे में विभिन्न कानूनों का विश्लेषण किया और कहा कि एक विवाहित महिला के लिए सहमित की उम्र 15 वर्ष है जो कि मौजूदा कानूनों के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नाबालिग के जीवन के अधिकार का भी उल्लंघन करती है।
- हालांकि, सरकार ने अदालत से अनुरोध किया कि वह अपवाद के खंड में हस्तक्षेप न करे, क्योंकि परंपराओं को ध्यान में रखते हुए और सामाजिक मानदंडों को विकास की प्रक्रिया के साथ सुसंगत बनाते हुए ही इस आयु का प्रावधान किया गया था। इसके अलावा, सरकार के अनुसार यह भी संभावना हो सकती है कि इस तरह के कानून का दुरुपयोग **पति को डराने धमकाने के लिए किया जाए**।

भारत में बाल विवाह

2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 में पिछले नौ साल की अवधि में 15.3 करोड़ (कुल महिलाओं का लगभग 20%) लड़कियाँ 18 वर्ष की उम्र से पहले विवाहित हुईं।

पर्सनल लॉ

- मुस्लिम पर्सनल लॉ (मुस्लिम विवाह अधिनियम, 1939 के विघटन) के तहत, यदि 15 वर्ष से कम आयु की एक नाबालिग लड़की मुस्लिम कानून के तहत विवाहित हो जाती है, तो वह 18 साल की आयु प्राप्त करने से पहले विवाह के विघटन की एक डिक्री प्राप्त कर सकती है, बशर्ते विवाह वास्तविकता में परिणत न हुआ हो (शारीरिक सम्बन्ध न बना हो)।
- हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अनुसार, एक हिंदू लड़की तलाक के लिए याचिका दायर कर सकती है यदि उसका विवाह 15 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले हुआ हो और उसने पंद्रह वर्ष की आयु पूरी होने के पश्चात, किन्तु 18 की आयु पूर्ण होने से पहले, इस विवाह को अस्वीकृत कर दिया हो। इस दशा में यह मायने नहीं रखता कि वह विवाह वास्तविकता में परिणित हुआ है अथवा नहीं।

निर्णय के महत्वपूर्ण बिंदु

- अदालत ने IPC की धारा 375 के उस अपवाद को निरस्त कर दिया जिसमें 15 से 18 वर्ष की आयु की एक लड़की के पित को उसके साथ बिना सहमित के शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए एक प्रकार की आच्छादित स्वतंत्रता (blanket liberty) प्रदान की गयी थी। यह प्रावधान एक विवाहित बालिका और एक अविवाहित बालिका के बीच एक कृत्रिम भेद पैदा करता था।
- यह अपवाद एक बड़ी विसंगति बना रहा है ,क्योंिक धारा 375 स्वयं ही यह प्रावधान करती है कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ यौन संबंध, उसकी सहमति के साथ या उसकी सहमति के बिना, वैधानिक रूप से बलात्कार होता है।
- हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि CrPC की धारा 198(6), 18 वर्ष से कम उम्र की पत्नियों के साथ बलात्कार के मामलों पर लागू होगी और इन मामलों में संज्ञान इस धारा के प्रावधानों के अंतर्गत ही लिया जाएगा।
- यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस फैसले में जो भी कहा गया है, उसे "वैवाहिक बलात्कार" के सन्दर्भ में किसी भी प्रकार के प्रेक्षण के रूप में न देखा जाए।

प्रभाव

- इस फैसले को **बाल विवाह को शुरू से ही शून्य मानने (void ab initio)** की घोषणा के प्रेरक के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि अदालत ने IPC की धारा 375 के अपवाद 2 और अन्य बाल संरक्षण कानूनों के बीच की इस दशकों पुरानी विसंगति को समाप्त कर दिया है।
 - इनमें बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम,1929, 2006 का बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA), बच्चों का लैंगिक अपराधों
 से संरक्षण अधिनियम और बाल न्याय अधिनियम शामिल हैं, जो कि "बच्चों" को 18 वर्ष से कम उम्र के किसी व्यक्ति के रूप में
 परिभाषित करते हैं।

• वैवाहिक बलात्कार की अपराधिकता के सन्दर्भ में भी इस निर्णय का असर होने की संभावना है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर संसद और अदालतों में व्यापक रूप से बहसें होती रहती हैं।

चिंताएँ

- हालांकि बाल विवाह निषिद्ध है परन्तु यह भारत के नागरिक कानूनों के तहत स्वतः शून्य नहीं है। अदालत ने इस तथ्य की आलोचना की है कि PCMA ने बाल विवाह को केवल 'शून्य घोषित किये जाने योग्य' माना है, अर्थात, इस बात की जिम्मेदारी बाल-वधू पर थोप दी गयी है की वह अदालत जाये और अपने विवाह की शून्यता सिद्ध करे। अतः विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं को दूर करने के लिए कानूनों में परिवर्तन और संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।
- एक नाबालिग लड़की के लिए, अच्छे स्वस्थ्य की उपलब्धता एक अधिकार है ताकि वह एक स्वस्थ महिला के रूप में विकसित हो सके। इसके लिए न केवल अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है बल्कि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता भी होती है किन्तु बाल विवाह इसे सीमित कर देता है।

7.9. लिंगानुपात में वृद्धि: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP)

(Sex Ratio Increase: Beti Bachao Beti Padhao)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (WCD) द्वारा BBBP योजना के तहत लिंगानुपात में वृद्धि का दावा किया गया था।
 विवरण
- मंत्रालय ने दावा किया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शामिल किये गए 161 जिलों में से 104 जिलों में लिंगानुपात
 में वृद्धि की प्रवृत्ति पायी गयी, और शेष जिलों में गिरावट देखने को मिली है।

जन्म पर लिंगानुपात (SRB): प्रति 1000 लड़कों पर जन्म लेने वाली लड़कियों की संख्या है।

बाल लिंगानुपात: 0-6 वर्ष की उम्र के बीच प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या है।

BBBP परिणामों को बढ़ाने के लिए अन्य पहल

- 'सुकन्या समृद्धि खाता: बालिकाओं के लिए आयकर लाभ के साथ एक छोटी बचत योजना है। इसमें उच्च ब्याज दर प्रदान की जाती है, जो प्रथम वर्ष में 9.1 प्रतिशत है।
- बेटी के साथ सेल्फी: यह एक पहल है जिसका उद्देश्य समाज को एक लड़की के माता-पिता होने पर गर्व महसूस करने के लिए प्रेरित करना है।
- बालिका मंच- BBBP के तहत छात्राओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और लैंगिक मुद्दों से संबंधित जागरूकता लाने के लिए।
- इसी तरह, 119 जिलों ने 2015-16 की तुलना में 2016-17 की पहली तिमाही के दौरान **गर्भधारण के पंजीकरण** में प्रगति की है।
- इसी अवधि के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में 146 जिलों में रिपोर्ट किये गये कुल प्रसव के सापेक्ष **संस्थागत प्रसव** में सुधार हुआ है।
- कई जिले जिन्होंने 2015-16 और 2016-17 के बीच जन्म पर लिंगानुपात (SRB) में वार्षिक गिरावट दर्ज की है, उन्होंने वर्ष 2011 की जनगणना के बाल लिंगानुपात (CSR) की तुलना में वृद्धि दर्शाई है।

बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना (BBBP)

- बाल-लिंगानुपात (CSR) में गिरावट को रोकने और महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों एवं जीवन चक्र के सातत्य को संबोधित
 करते हुए वर्ष 2015 में, हरियाणा के पानीपत से इस योजना की शुरुआत की गयी।
- यह योजना तीन मंत्रालयों का संयुक्त प्रयास है, जिसमें महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय शामिल हैं।
- इस योजना में व्यक्तिगत नकदी हस्तांतरण अवयव या प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना का प्रावधान नहीं है।
- प्रयासों में शामिल हैं;
 - o *प्री-कन्सेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नॉस्टिक टेक्निक्स एक्ट*, 1994 को लागू करना।
 - o पहले चरण में चयनित जिलों (जहाँ पर CSR कम है) में राष्ट्रव्यापी जागरूकता और पहल अभियान तथा बहु-क्षेत्रीय कार्यवाही करना।
 - जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण, संवेदीकरण के साथ समुदाय को जोड़कर जागरूकता फ़ैलाने एवं लोगों की मानसिकता बदलने पर जोर।

- ANM (नर्स) और ASHA (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता), जो **जमीनी स्तर से जुड़ी होती हैं।** इनके माध्यम से समुदाय को **प्रोत्साहित** करके बालिकाओं की शिक्षा एवं उनके स्वास्थ्य एवं पोषण आदि में सहायता प्रदान करने पर बल।
- पंचायतों, आंगनवाड़ी केन्द्रों जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर "गुड़ी-गुड़ा" बोर्डों के माध्यम से लड़िकयों और लड़कों के जन्म से संबंधित लैंगिक आधार पर विभेदीकृत आंकड़े प्रदर्शित करना अनिवार्य किया जाए।

7.10 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का मूल्यांकन

(Evaluation of Rashtriya Swasthya Bima Yojana)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) के प्रारंभ होने के आठ वर्ष पश्चात् इसका मात्रात्मक रूप से मूल्यांकन किया गया है।

मूल्यांकन के प्रमुख बिंद

- यह गरीबों द्वारा स्वास्थ्य देखभाल पर किये जाने वाले **क्षमता से अधिक खर्च को** कम करने में असमर्थ है। इस प्रकार बीमारी भारत में मानव वंचना के सर्वाधिक व्यापक कारणों में से एक है।
- योजना में कोई संशोधन नहीं: 2008 से इसके तहत 30,000 रुपये का बीमा किया जाता है जबकि अस्पताल में भर्ती की लागत लगभग दोगुनी हो गयी है। इसके साथ ही यह अस्पताल में भर्ती होने के पश्चात होने वाले खर्चों को भी इसमें शामिल नहीं किया जाता है।
- देखभाल की प्रक्रिया में देरी: काम के दिनों और मजदूरी को खोने के भय के कारण गरीब तब तक अस्पताल में भर्ती होने में देरी करते हैं जब तक कि अधिक गंभीर रूप से बीमार न हो जाएँ। यह लागत और स्वास्थ्य, दोनों के परिप्रेक्ष्य से महँगा है।
- सकारात्मक प्रभाव: RSBY के प्रभावी होने के बाद "आभासी आय हस्तांतरण" के कारण गरीबों द्वारा गैर-चिकित्सीय खर्च में वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY)

- यह BPL (गरीबी रेखा के नीचे) परिवारों के लिए कर-वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसका प्रबंधन िनजी बीमा कंपनियों के माध्यम से किया जाता है।
- इसकी शुरुआत 2007-08 में **असंगठित क्षेत्र में कामगारों** के लिए की गयी थी। (1 अप्रैल 2008 से)
- यह IT-समर्थित और स्मार्ट कार्ड आधारित कैशलेस स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है, जिसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष पारिवारिक फ्लोटर आधार पर मातृत्व लाभ सहित कुल बीमा राशि 30,000/- रुपए होगी।
- अनुदान पद्धति: भारत सरकार तथा राज्य सरकार का योगदान क्रमशः 75:25 के अनुपात में है।
- यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू की गयी है।

आगे की राह

- निजी स्वास्थ्य बीमा को बढ़ावा देना: चूँकि कम और निम्न-मध्यम आय वाले देशों के लिए वित्तपोषण हेतु पूर्ण कर राजस्व का प्रयोग संभव नहीं है।
- **सख्त निगरानी:** ऐसी प्रदाता भुगतान विधियों का उपयोग करना जो स्वस्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा अनावश्यक चिकित्सा और परीक्षण करने को कम करती हों तथा प्रदाताओं की ऑडिट करने के लिए एक IT सिस्टम स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करती हों।
- योजना में बाह्य रोगियों के देखभाल (OC) को शामिल करना: भारत में बाह्य रोगियों की देखभाल में कुल स्वास्थ्य उपयोग का 70% तक और कुल स्वास्थ्य व्यय का 60% तक शामिल है। इससे निर्धनों द्वारा चिकित्सीय देखभाल लेने में विलम्ब करने के उदाहरणों में कमी आएगी।
- जोखिम में साझेदारी करने और पूर्व-भुगतान के माध्यम से **सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल (UHC) को प्राप्त** किया जा सकता है।


7.11. ECHO क्लीनिक

(Echo Clinic)

• ECHO (एक्सटेंशन फॉर कम्युनिटी हेल्थकेयर आउटकम्स) साप्ताहिक या पाक्षिक रूप से संचालित एक वर्चुअल क्लीनिक की अवधारणा है। इसका उपयोग सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों द्वारा टेलीकान्फ्रेंसिंग के जरिए अभावग्रस्त क्षेत्रों तक चिकित्सीय सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा।

- ECHO क्लीनिक, टेलीमेडिसिन की तरह रोगियों को प्रत्यक्ष देखभाल नहीं प्रदान करता है। इसकी जगह, वे जटिल मामलों को प्रबंधित करने के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने वाले चिकित्सकों को ज्ञान और सहयोग प्रदान करते हैं।
- यह उन क्षेत्रों में विशेषज्ञ देखभाल और जानकारी प्रदान करने में सहायता करता है, जहाँ कोई भी अस्पताल नहीं है।
- भारत का पहला ECHO क्लीनिक 2008 में एचआईवी एड्स रोगियों के इलाज के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज (MAMC) द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। तब से ECHO क्लीनिक देश में विभिन्न रोगों से निपटने में सहायता प्रदान कर रहे हैं।

प्रोजेक्ट ECHO की **शुरुआत 2003 में न्यू मैक्सिको में** हुई थी। तब अमेरिका के एक यकृत रोग विशेषज्ञ ने महसूस किया कि न्यू मैक्सिको में हेपेटाइटिस C के हजारों मामलों में कोई भी उपचार नहीं किया गया था। इस प्रकार, उन्होंने ECHO क्लीनिकों के माध्यम से स्थानीय चिकित्सकों और विशेषज्ञों को एक साथ एकत्रित किया।



8. संस्कृति

(CULTURE)

8.1 पाइका विद्रोह

(Paika Rebellion)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री ने घोषणा की है कि पाइका विद्रोह का नाम परिवर्तित कर "प्रथम स्वतंत्रता संग्राम" किया जाएगा।

पाइका विद्रोह का इतिहास

- पाइका विद्रोह 1817 में **ओडिशा** के **खुर्दा** में हुआ था।
- पाइका ओडिशा के गजपित शासकों के कृषक-सैन्य दल (peasants-militias) थे। ये युद्ध के समय राजा को सैन्य सेवाएँ उपलब्ध कराते थे और शांतिकाल में कृषि करते थे।
- ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं ने बंगाल और मद्रास प्रांत में शासन स्थापित करने के बाद 1803 में ओडिशा पर भी अधिकार कर लिया। खुर्दा के राजा का वर्चस्व समाप्त हो गया और पाइका लोगों की शक्ति और प्रतिष्ठा का पतन होने लगा।
- 1817 में कृषक सैन्य दल के वंशानुगत नेता बख्शी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में पाइका लोगों ने ब्रिटिश दासता को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ़ विद्रोह कर दिया।
- यह विद्रोह 1825 में बख्शी जगबंधु के आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हुआ।

"प्रथम स्वतंत्रता संग्राम" के रूप में घोषित करने के पक्ष में तर्क

- बहुलवादी लोगों का आंदोलन: विद्रोह की शुरूआत खुर्दा में हुई, लेकिन शीघ्र ही यह घुमसुर (वर्तमान समय में गंजाम और कंधमाल जिले का हिस्सा), किनका, कुजंग और नयागढ़ में फैल गया। तत्पश्चात् ज़मींदारों, आदिवासी गाँवों के मुखियाओं और आम किसानों ने इस आंदोलन में भाग लिया।
- खुर्दा से अंग्रेज भाग गए थे अत: पाइका विद्रोहियों ने खुर्दा की और कूच करते हुए ब्रिटिश सत्ता के प्रतीकों पर हमला किया तथा पुलिस स्टेशनों, प्रशासनिक कार्यालयों और ट्रेज़री में आग लगा दी।

विपक्ष में तर्क

- सीमित भौगोलिक प्रसार: यद्यपि पाइका विद्रोह प्रभावशाली था, परंतु मुख्य रूप से ओडिशा तक ही सीमित था। ओडिशा के बाहर इसके सम्बन्ध में जानकारी अत्यंत सीमित थी। अतः ओडिशा से बाहर के लोगों की इसमें अत्यल्प या शुन्य भागीदारी थी।
- जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में **जनजातीय विद्रोह** मूल रूप से आदिवासियों के पारंपरिक अधिकारों और लगान मुक्त भूमि के अधिकार से संबंधित था, जिन्हें अंग्रेजों द्वारा छीन लिया गया था।
- कालानुक्रमिक रूप से प्रथम नहीं: 1817 के पाइका विद्रोह से पहले भी 18वीं सदी की शुरुआत में बंगाल में सन्यासी विद्रोह, 1766 में बंगाल एवं बिहार में चुआर विद्रोह, 1805 में त्रावणकोर के दीवान वेल्लू थम्पी का विद्रोह और 1814 में अलीगढ़ के तालुकदारों के विद्रोह हुए थे।
- स्वतंत्रता का स्थानीय विचार: इतिहासकारों ने 1857 से पहले हुए किसी भी विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम का नाम नहीं दिया, क्योंकि ये विद्रोह ब्रिटिश सरकार से भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए नहीं हुए थे। उनका स्वतंत्रता का विचार स्थानीय था क्योंकि वह केवल स्थानीय शासकों के शासन को पुनःस्थापित करना चाहते थे, जिनसे उन्हें अपने विशेषाधिकार प्राप्त होते थे।
- 1857 के विद्रोह के साथ तुलना: पाइका विद्रोह का विस्तार और प्रभाव 1857 के विद्रोह के समान नहीं था। 1857 का विद्रोह सम्पूर्ण उत्तर भारत के साथ-साथ मध्य और पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में भी विस्तारित था।
- इतिहास लेखन में राजनीतिक हस्तक्षेप: पाइका या किसी अन्य विद्रोह का राजनीतिक कारणों से उन्नयन या पदानुक्रम तय करना,
 भारत की स्वतंत्रता में अन्य विद्रोहों के योगदान के महत्त्व को कम करता है। इसके साथ ही यह एक अनुचित उदाहरण भी प्रस्तुत करता है।

8.2 वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड ने 25 जोखिमपूर्ण सांस्कृतिक स्थल नामित किए

(World Monuments Fund Names 25 At-Risk Cultural Sites)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड (विश्व स्मारक कोष) ने 30 देशों के 25 सांस्कृतिक विरासत स्थलों को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच लिस्ट 2018 में शामिल किया है।

वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड (WMF)

- यह एक निजी तथा गैर-लाभकारी संस्था है। वर्ष 1965 में इसकी स्थापना की गयी थी। सम्पूर्ण विश्व में महत्वपूर्ण कलात्मक परिसंपत्तियों की तीव्र गति से हो रही समाप्ति के संबंध में चिंतित व्यक्तियों द्वारा इसकी स्थापना की गयी थी।
- इसका उद्देश्य वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच लिस्ट प्रोग्राम के माध्यम से संकटग्रस्त सांस्कृतिक विरासत स्थलों को चिह्नित करना और उनके संरक्षण के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना है।

प्रभाव

- वॉच लिस्ट में विरासत स्थलों को शामिल करने का अर्थ है कि वे वर्तमान में देश में होने वाले संघर्ष, जलवायु परिवर्तन या अन्य कारणों से खतरे में हैं।
- इन स्थलों में कैरेबियाई, खाड़ी और मैक्सिको के तूफान ग्रस्त क्षेत्र और सीरिया में चल रहे गृहयुद्ध में क्षितिग्रस्त हुए अलेप्पो के बाज़ार स्थल शामिल हैं।
- भारत से "स्वतंत्रता के बाद निर्मित दिल्ली की वास्तुकला" को संरक्षण के लिए चिह्नित किया गया है।
- यह न्यायालय की सुनवाई की प्रतीक्षा किये बिना ही हॉल ऑफ़ नेशन्स बिल्डिंग को ध्वस्त किये जाने के बाद प्रकाश में आया। दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित इस बिल्डिंग का निर्माण 1972 में प्रसिद्ध वास्तुकार राज रेवल द्वारा किया गया था।
- दिल्ली में स्वतंत्रता के बाद की वास्तुकला में सरकारी और अन्य सार्वजनिक भवन, कॉर्पोरेट और संस्थागत कार्यालय तथा होटलों के साथ-साथ धार्मिक तीर्थस्थल, खेल सुविधाएँ और आवासीय भवन शामिल हैं। ये महान भारतीय वास्तुकारों के कार्य हैं, जिनमें अच्युत कानविंदे, शिवनाथ प्रसाद, चार्ल्स कोरिया, कुलदीप सिंह, राज रेवल तथा साथ ही जोसेफ़ एलन स्टीन जैसे विदेशों में जन्मे वास्तुकार भी शामिल हैं।

स्वतंत्रता के बाद के अन्य प्रमुख वास्तुकलात्मक आश्चर्य

- सुव्यवस्थित सड़कों और कई ग्रीन बेल्ट के साथ फ्रेंच वास्तुकार ले कोर्बुज़ियर द्वारा निर्मित चंडीगढ़ का शहरी नियोजन।
- केरल में लॉरी बेकर द्वारा निर्मित वृहद् आवास परियोजनाएं। इनमें स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री के उपयोग द्वारा पर्यावरण-अनुकूल भवनों का निर्माण किया गया।
- चार्ल्स कोरिया के वास्तुकलात्मक आश्चर्य। इनमें अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल म्यूजियम, जयपुर में स्थित जवाहर कला केंद्र तथा न्यू बॉम्बे शामिल हैं। इनका निर्माण स्थान निर्धारण के प्रमुख तत्वों के रूप में विद्यमान संसाधनों, उर्जा तथा जलवायु के विशेष महत्त्व को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

8.3 'धरोहर गोद लें' योजना

(Adopt A Heritage Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में सात कंपनियों को 'धरोहर गोद लें' योजना के अंतर्गत चौदह स्मारकों के संरक्षण के लिए चुना गया है।

'धरोहर गोद लें' योजना/'अपनी धरोहर अपनी पहचान' परियोजना का विवरण

- यह संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ की गयी एक योजना है।
- इस योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र की कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और कॉर्पोरेट व्यक्तियों को विरासत स्थलों को गोद लेने
 के लिए आमंत्रित किया गया है।
- इन्हें "स्मारक मित्र" (Monument Mitras) कहा जाएगा और इनके द्वारा संरक्षण हेतु की गयी गतिविधियों को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) पहल के अंतर्गत माना जाएगा।

- यह योजना पूरे भारत में स्मारकों, विरासतों और पर्यटन स्थलों का विकास करने तथा उन्हें पर्यटन के अनुकूल बनाने की परिकल्पना करती है। इस योजना का उद्देश्य इन स्मारकों, विरासतों और पर्यटन स्थलों की पर्यटन क्षमता और सांस्कृतिक महत्व में वृद्धि करना है
 तािक इन्हें और अधिक चिरस्थायी बनाया जा सके।
- इसके अंतर्गत शामिल **गतिविधियों के विस्तार में** विश्व स्तरीय पर्यटन अवसंरचना और सुविधाओं का विकास तथा रखरखाव शामिल है। इसके अंतर्गत समावेशी पर्यटन अनुभव के लिए बुनियादी नागरिक सुविधाएँ और अन्य उन्नत सुविधाएँ जैसे स्वच्छता, सार्वजनिक सुविधा, सुगम पहुंच, सुरक्षित वातावरण, रोशनी और रात्रि प्रदर्शन (night viewing) सुविधाएँ सम्मिलित हैं।

8.4 इंटरनेशनल डायलॉग ऑन सिविलाइज़ेशन

(International Dialogue on Civilisation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नई दिल्ली में **इंटरनेशनल डायलॉग ऑन सिविलाइज़ेशन- IV** का आयोजन किया गया। डायलॉग ऑन सिविलाइज़ेशन (सभ्यता पर परिसंवाद) के बारे में:

- 2013 में **नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी** द्वारा इसका प्रारंभ किया गया। इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
 - o विश्व की पांच प्राचीन साक्षर सभ्यताओं के संबंध में विद्वानों और सार्वजनिक बहस को प्रोत्साहित करना।
 - वर्तमान और भविष्य पर अतीत के प्रभाव का अध्ययन करना।
- इसके अंतर्गत अध्ययन की जाने वाली सभ्यताएं
 - मिस्र की सभ्यता
 - मेसोपोटामिया की सभ्यता
 - दक्षिण एशियाई सभ्यता
 - o चीन की सभ्यता
 - मध्य-अमेरिकी सभ्यता

मेसोपोटामिया की सभ्यता

- इस सभ्यता का उदय वर्तमान ईरान और कुवैत की दजला (टिगरिस) और फरात (यूफ्रेट्स) नदियों के तट पर हुआ था।
- यह लगभग 12000 ई.पू. में नवपाषाण काल के दौरान प्रारम्भ हुई।
- महत्वपूर्ण मेसोपोटामियाई सभ्यता में सुमेरिया, असीरिया, अक्कादिया और बेबीलोनिया की सभ्यतायें शामिल थी। साक्ष्यों के अनुसार इस सभ्यता के अंतर्गत प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता था। इन्होंने अपना धर्म, साहित्य, विधि संहिता तथा दर्शन स्थापित किया था। साथ ही इस सभ्यता के बाह्य व्यापारिक संबंध भी थे।

दक्षिण एशियाई सभ्यता

- यह सभ्यता सिंधु और इसकी सहायक निदयों के तट पर विकसित हुई।
- यह मुख्यतः ताम्रपाषाण काल में फली-फूली और विकसित हुई।
- सबसे महत्वपूर्ण दक्षिण एशियाई सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी।
- निष्कर्षों के अनुसार इस सभ्यता की निम्नलिखित विशेषताएं थीं:
 - o विस्तृत **शहरी नियोजन**
 - व्यापार पर आधारित एक सुव्यवस्थित अर्थव्यवस्था
 - o उन्नत कृषि, मृद्भांड तथा मुहर निर्माण की कला आदि।

- यहाँ पशुपति और मातृ देवी की पूजा की जाती थी।
- इन्हें पुनर्जन्म में विश्वास था तथा इन लोगों ने विस्तृत शवाधान प्रक्रिया को अपनाया था।

चीन की सभ्यता

- यह सभ्यता तृतीय और द्वितीय सहस्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य येलो रिवर (पीली नदी) के तट पर तथा 5000 ईसा पूर्व से पहले यांग्त्ज़ी
 नदी के तट पर विकसित हुई। (नवपाषाण काल)
- इस सभ्यता के निवासी प्रकृति की पूजा करते थे।

मध्य-अमेरिकी सभ्यता

• यह सभ्यता लगभग 21000 ई.पू. में मैक्सिको और मध्य-अमेरिका के हिस्सों में विकसित हुई।



9. नीतिशास्त्र

(ETHICS)

9.1. नैतिकता के दृष्टिकोण से मृत्यु दंड

(Ethics of Death Penalty)

किसी विशेष अपराध के लिए एक वैध कानूनी मुकदमे के पश्चात् दंडस्वरूप अपराधी को मृत्यु की सजा देना **मृत्युदंड** है। इसे केवल राज्य (स्टेट) द्वारा उपयोग किया जा सकता है।

निहित नैतिक मुद्दे

न्याय का मुद्दा (Matter of Justice) - न्याय यह मांग करता है कि अदालतों को अपराध के अनुसार दंड प्रदान करना चाहिए ताकि अदालतें अपराध के प्रति सार्वजनिक घृणा को प्रतिबिंबित कर सकें। मृत्युदंड की सजा के किसी अनुचित अनुप्रयोग के आधार पर इसे समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। हालाँकि मृत्युदंड को कुछ हद तक 'दंडात्मक न्याय' के रूप में देखा जाता है, जिसे कुछ लोग अनैतिक मानते हैं क्योंकि 'मृत्युदंड का क्रियान्वयन' और 'क्रियान्वयन की पूर्व-प्रक्रिया के दौरान इंतज़ार' के रूप में मृत्युदंड 'दोहरा दंड' प्रदान करता है। यह दोहरा दंड किए गए अपराध से असंगत होता है।

एक अवधारणा के रूप में निवारक प्रभाव (Deterrence as a concept) - मृत्युदंड, क़ानून और क़ानून के डर को बढ़ावा देने में एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। अतः यह भविष्य में संभावित अपराधियों हेतु निवारक के रूप में कार्य करता है। हालाँकि सांख्यिकीय प्रमाण यह सिद्ध नहीं करते कि इसका निवारक प्रभाव होता है (लेकिन यह भी नहीं सिद्ध करते कि निवारक प्रभाव नहीं होता है)। पुनः यदि मृत्युदंड निवारक का कार्य करता भी हो, तब भी एक प्रश्न यह है कि क्या भविष्य में किये जाने वाले संभावित अपराधों की सजा किसी अन्य को दिया जाना स्वीकार्य है या नहीं।

सामुदायिक स्वीकृति (Community acceptance) - मानवता की इमारत का निर्माण 'जीवन के सम्मान' के सिद्धांत की बुनियाद पर किया गया है। जब किसी अन्य सदस्य को मारकर समुदाय का कोई सदस्य इस बुनियादी सिद्धांत का उल्लंघन करता है, तब समाज स्वयं को इस सिद्धांत के बंधनों में नहीं बाँध पाता है। इसीलिए समाज 'किसी भी मामले में मृत्युदंड नहीं (death sentence-in-no-case)' सिद्धांत में प्रतिबिंबित मानवतावादी दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करता है।

एक कारक के रूप में समाजीकरण (Socialization as a factor) - अपराध का जितना सम्बन्ध व्यक्तिगत उत्तरदायित्व से है उतना ही सामाजिक विफलता से भी है। इससे यह तात्पर्य नहीं है कि किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी कृत्य के संबंध में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को पूरी तरह से नकार दिया जाए। न्याय की हमारी मांगों को इस वास्तविकता के साथ संतुलन बनाना होगा। समाज उस स्थिति में किसी व्यक्ति का जीवन लेने की मांग नहीं कर सकता है, जब समाज ने स्वयं उस प्रक्रिया और उससे उत्पन्न होने वाले परिणाम में योगदान दिया हो।

मानव जीवन की रक्षा का नैतिक दायित्व (Moral obligation to protect human life) - यह तर्क दो तरीके से काम करता है - अपराधी समाज की सुरक्षा और कल्याण के लिए खतरा बने हुए हैं। क्या केवल अपराधी को मृत्युदंड देकर समाज यह सुनिश्चित कर सकता है कि भविष्य में अपराधी पुनः किसी की हत्या नहीं करेंगे। इसी प्रकार, दूसरी तरफ हम जीवन को जितना मूल्य प्रदान करते हैं उसे देखते हुए, यदि समान उद्देश्य को पूरा करने वाला मृत्युदंड से कम कठोर दंड (आजीवन कारावास) उपलब्ध हो, तब हम कम कठोर दंड के पक्ष में मृत्युदंड को अस्वीकृत करने के लिए कर्तव्य-बद्ध हैं।

निष्कर्ष

भारत में, उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड देने की शक्ति के प्रयोग का दायरा निर्धारित किया है। इस संबंध में 'आजीवन कारावास' को नियम एवं मृत्युदंड को अपवाद की श्रेणी में रखा गया है। उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदण्ड का औचित्य सिद्ध करने के लिए 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस' के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इसलिए, परिस्थितियों के अनुसार भारत ने अभी तक मृत्युदंड को समाप्त नहीं किया है, अपितु इसका अधिक विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया है।

10. विविध

(MISCELLANEOUS)

10.1. मीनाक्षी मंदिर को '*क्लीनेस्ट आईकॉनिक प्लेस*'(सबसे स्वच्छ प्रसिद्ध स्थल) का टैग मिला

(Meenakshi Temple Gets 'Cleanest Iconic Place' Tag)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मदुरै के मीनाक्षी सुन्दरेश्वरर मंदिर को भारत के '**सबसे स्वच्छ प्रसिद्ध स्थल**' (स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस) के रूप में घोषित किया गया।

मीनाक्षी सुन्दरेश्वरर मंदिर, तमिलनाडु

- मंदिर की वर्तमान संरचना का निर्माण 1623-1655 की कालावधि में मदुरै के नायक शासकों द्वारा करवाया गया था। यद्यपि इसकी ऐतिहासिकता के अंश छठी शताब्दी ई.पू. के प्राचीन मदुरै के पांड्य शासन की समयावधि में भी खोजे जा सकते हैं।
- यह मंदिर पार्वती, जिन्हें मीनाक्षी के नाम से जाना जाता है, और उनके पित शिव, जिन्हें यहाँ सुंदरेश्वरर नाम दिया गया है, को समर्पित है।
- एक मंदिर कुंड, विशालकाय विमान, 14 गोपुरम और 1000 स्तम्भों वाले मंडपम से युक्त यह मंदिर द्रविड़ स्थापत्य कला की एक उत्कृष्ट कृति है।

विषय सम्बन्धी अतिरिक्त जानकारी

- 'स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस', स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रारंभ की गयी एक पहल है।
- इस पहल हेतु पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को समन्वयक मंत्रालय बनाया गया है। इसमें शहरी विकास मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इसे सहयोग प्रदान किया जाएगा।
- स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस पहल के तहत सरकार देश के 100 प्रतिष्ठित विरासतों तथा आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों पर साफ़-सफाई की एक विशेष पहल आरम्भ करेगी।
- सभी प्रसिद्ध स्थलों की वित्तीय और तकनीकी सहायता के लिए PSUs को नामित किया गया है।

10.2. पर्यटन पर्व

(Paryatan Parv)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पर्यटन मंत्रालय ने अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और हितधारकों के सहयोग से पर्यटन पर्व का आयोजन किया। पर्यटन पर्व के बारे में

- इसका आयोजन 5-25 अक्टूबर के मध्य किया गया। इसका उद्देश्य पर्यटन के लाभ पर ध्यान आकर्षित करना, सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन और "सभी के लिए पर्यटन" के सिद्धांत को बढ़ावा देना था।
- इस कार्यक्रम ने भारतीयों को अपना देश घूमने (*देखो अपना देश)* के लिए प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित किया। इसके तहत विभिन्न राज्यों में पर्यटन के क्षेत्र में कौशल विकास और नवाचार पर संवादमूलक सत्र (interactive sessions) और कार्यशालाओं जैसे पर्यटन कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे।

10.3. साहित्य का नोबेल पुरस्कार: काजुओ इशिगुरो

(Nobel Prize in Literature: Kazuo Ishiguro)

सुर्ख़ियों में क्यों?

स्वीडिश अकादमी ने जापानी मूल के ब्रिटिश लेखक **काज़ुओ इशिगुरो** को वर्ष 2017 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। **विषय सम्बन्धी अतिरिक्त जानकारी**

- इशिगुरो का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् नागासाकी, जापान में हुआ। कालांतर में ये ब्रिटेन में बस गए।
- द्वितीय विश्वयुद्ध के कुछ वर्षों बाद का नागासाकी इनके शुरुआती दोनों उपन्यासों 'ए पेल व्यू ऑफ़ हिल्स' और 'एन आर्टिस्ट ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड' की कथाभूमि बना।
- इशिगुरो को इनके उपन्यास **"दी रिमेंस ऑफ द डे"** के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली। इसके लिए उन्हें 1989 में बुकर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ।

10.4. ICAN को नोबेल शांति पुरस्कार, 2017 दिया गया

(Nobel Peace Prize 2017 Awarded to ICAN)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नोबेल कमेटी ने *इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वीपन्स* (ICAN) को 2017 का वार्षिक शान्ति पुरस्कार प्रदान किया।

विश्व में परमाण संकट

- वर्तमान में विश्व के नौ देशों भारत, पाकिस्तान, चीन, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इजराइल और उत्तर कोरिया के पास लगभग 16000 परमाणु हथियार हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के पास संयुक्त रूप से विश्व के परमाणु हथियारों का 93% हिस्सा है तथा वे लगभग 2,000 परमाणु हथियारों को हाई अलर्ट पर रखते हैं।
- मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया, उत्तर पूर्व एशिया आदि क्षेत्रों में व्याप्त क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता परमाणु युद्ध का खतरा उत्पन्न करती है।
- परमाणु हथियारों की चाह रखने वाले आतंकवादी संगठनों का खतरा चिंता का विषय हैं। यह देखा गया है कि करीब 1800 मीट्रिक टन, प्रयोग करने योग्य परमाणु हथियार (अत्यधिक संबंधिंत यूरेनियम और प्लूटोनियम) ऐसे लगभग 25 स्थानों पर संग्रहित हैं, जहाँ सुरक्षा उपायों की बेहद कमी है।

इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वीपन्स (ICAN)

- यह लगभग 100 देशों में यूनाइटेड नेशन्स वीपन बैन ट्रीटी के समर्थन हेतु अभियान चला रहे गैर-सरकारी संगठनों का एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है।
- यह एक व्यापक और समावेशी अभियान है। यह परमाणु हथियारों के उपयोग के मानवता पर पड़ने वाले विनाशकारी परिणामों की ओर वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- इसके प्रयासों के चलते जुलाई 2017 में 'यूनाइटेड नेशन्स ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ़ न्यूक्लियर वीपन्स' को आधिकारिक तौर पर अपनाया गया। यह 50 देशों के अनुसमर्थन के उपरांत प्रभावी हो जाएगी।

('यूनाइटेड नेशन्स ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ़ न्यूक्लियर वीपन्स' के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया Vision IAS करंट अफेयर्स जुलाई 2017 देखें।)

10.5. जलवायु परिवर्तन नीति

(Climate Change Policy)

सर्ख़ियों में क्यों?

महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में 'क्लाइमेट प्रुफ़' गाँव पर केंद्रित जलवाय परिवर्तन अनुकूल नीति को मंजूरी दी है।

'क्लाइमेट प्रूफ़' गाँव

'क्लाइमेट प्रूफ़' गाँव एक ऐसा गाँव है जिसमें शून्य-जुताई कृषि (zero-till farming), एकीकृत पोषक तत्व और जल प्रबंधन तथा उचित कटाई व भंडारण जैसे संधारणीय क्रियाकलापों को अपनाया जाता है।

नीति की मुख्य विशेषताएँ

- यह नदियों का बारहमासी प्रवाह और भुजल स्रोतों का पुनर्भरण सुनिश्चित करेगी।
- यह नीति संधारणीय कृषि और पारंपरिक फसलों के संरक्षण के लिए 'जलवायु परिवर्तन प्रतिरोधी फसलों (climate change resilient crops)' को प्रोत्साहित करेगी।
- क्लाइमेट-प्रुफ़ गाँवों की स्थापना।
- जल संरक्षण में लोगों की भागीदारी में वृद्धि करना।
- मैंग्रोव का संरक्षण और पारिस्थितिक रूप से सुभेद्य जिलों के लिए विशेष उपाय करना।
- आपदा प्रबंधन कार्यक्रम की स्थापना।

10.6. वैल्यू इंजीनियरिंग प्रोग्राम

(Value Engineering Programme)

सर्ख़ियों में क्यों?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राजमार्ग परियोजनाओं में PPP प्रणाली से अथवा सार्वजनिक वित्तपोषण प्रणाली से **"वैल्यू इंजीनियरिंग प्रोग्राम"** को लागू करने का निर्णय लिया है।

इस प्रोग्राम के बारे में

- इस प्रोग्राम का उद्देश्य अभिनव प्रौद्योगिकी, सामग्रियों और उपकरणों का उपयोग कर निम्नलिखित परिणामों को प्राप्त करना है-
 - निर्माण की गति में वृद्धि
 - निर्माण लागत में कमी
 - ० परिसंपत्तियों के स्थायित्व में वृद्धि
 - उन्हें अधिक पर्यावरण-अनुकूल बनाना
 - ० सुंदरता और सुरक्षा में सुधार
- राजमार्ग क्षेत्र में अभिनव/नवाचारी सामग्रियों, तकनीकों और उपकरणों से संबंधित प्रस्तावों को स्वीकृति देने के लिए मंत्रालय ने पिछले वर्ष विशेषज्ञों के एक राष्ट्रीय पैनल (NPE-National Panel of Experts) का भी गठन किया था।

10.7 डेलामैनिड- टीबी की नई औषधि

(Delamanid- New TB Drug)

- हाल ही में, मल्टी-ड्रग-रेज़िस्टेंट टी.बी. (MDR-TB) के बढ़ते हुए बोझ से निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के तकनीकी समूह ने डेलामैनिड नामक दवा को मंजुरी दी है।
- यह अभी भी चिकित्सकीय परीक्षणों (clinical trials) के तीसरे चरण में ही है। हालाँकि इसके सन्दर्भ में वैश्विक शोध के परिणाम आशाजनक सिद्ध हुए हैं, उदाहरण: दक्षिण अफ्रीका तथा जापान में हुए शोध।
- संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम :RNTCP) के तहत डेलामैनिड का प्रयोग पहले से उपयोग में लायी जा रही बेडाक्वीलाइन नामक दवा (Bedaquiline) के साथ-साथ किया जाएगा। इसे प्रतिस्थापित नहीं किया जायेगा।



Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS